प्राक्कथन

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा न्यायिक अधिकारियों के उपयोग हेतु समय-समय पर वित्तीय नियमों से सम्बन्धित संकलन तैयार किए जाते रहे है। पिछला संकलन (अंक संख्या-155) वर्ष 2001-02 में तैयार किया गया था। तत्समय से अधिकांशतः वित्तीय नियमों में संशोधन हो चुके है। अतएव यह विचार किया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभार्थ सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु पर दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में 'सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय परिलब्धियॉ' विषयक अंक प्रकाशित किया जाय।

इस पुस्तिका में सेवानिवृत्ति पर देय परिलब्धियों यथा-पेंशन, पेंशन का राशिकरण, उपादान, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान, उ. प्र. राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि का ब्याज सहित भुगतान एवं स्थायी निवास स्थान तक का यात्रा भत्ता तथा सरकारी कर्मचारी की सेवारत मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को दी जाने वाली सुविधायें यथा-पारिवारिक पेंशन, उपादान, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि एवं सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान, उ. प्र. राज्य सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान, स्थायी निवास स्थान तक का यात्रा भत्ता, तत्काल सहायता, अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता, भवन

निर्माण आदि के अग्रिम पर देय ब्याज से अभिमुक्ति एवं परिवार के एक सदस्य का नियोजन आदि विषयों का समावेश किया गया है।

आशा है कि यह पुस्तिका निश्चय ही सभी न्यायिक अधिकारियों/अन्य सरकारी सेवकों के लिए उपयोगी होगी। इस पुस्तिका को तैयार करने में संस्थान के वरिष्ठ सहायक श्री परमानन्द का योगदान प्रशंसनीय रहा है, जिन्होंने अपर निदेशक (वित्त) श्री आनन्द स्वरूप के निर्देशन में अपने कार्यों के अतिरिक्त मेहनत एवं लगन से अद्यतन शासनादेशों को समावेश करते हुए इस संकलन को तैयार किया है। इस पुस्तिका के टंकण एवं मुद्रण कराने में वैयक्तिक सहायक, श्री रुद्र सहाय श्रीवास्तव का अथक परिश्रम भी सराहनीय रहा है।

(अल्ताफ रहमान)
निदेशक

मार्च, 2005

विषयानुक्रमणिका

भाग-1
सेवानिवृत्ति पर देय परिलब्धियाँ

क्रम सं.	विषय	पृ.सं.
1	पेंशन	02
ए	अधिवर्षिता पेंशन	02
बी	सेवानिवृत्तिक पेंशन	13
सी	प्रतिकर पेंशन	35
डी	अशक्तता पेंशन	37
ई	पेंशन का आगणन	43
एफ	पेंशन के सम्बन्ध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम	91
2	पेंशन का राशिकरण	100
3	उपादान	106
4	अर्जित अवकाश का नकदीकरण	110
5	सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि	116
6	'उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना' के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित	138
7	स्थायी निवास स्थान तक यात्रा भत्ता	161

भाग–2
मृत्यु पर देय परिलब्धियाँ

क्रम सं.	विषय	पृ.सं.
1	पारिवारिक पेंशन	177
2	उपादान	184
3	अर्जित अवकाश का नकदीकरण	196
4	सामान्य भविष्य निधि एवं सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि	197
5	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि	211
6	स्थायी निवास स्थान तक यात्रा भत्ता	220
7	तत्काल सहायता	229
8	अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता	234
9	भवन निर्माण आदि के अग्रिम पर देय ब्याज से अभिमुक्ति	246
10	परिवार के एक सदस्य का नियोजन	249

भाग-1

सेवा निवृत्ति पर देय परिलब्धियाँ

सरकारी सेवक अपनी सेवा के उपरान्त जब सेवा निवृत्त होता है अथवा अन्यथा सेवा निवृत्ति प्राप्त करता है, तो उसे निम्नलिखित प्रसुविधायें एवं लाभ प्राप्त होते हैं :–

1. पेंशन ।
2. पेंशन का राशिकरण ।
3. उपादान।
4. अर्जित अवकाश का नकदीकरण।
5. सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि।
6. "उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित।
7. स्थायी निवास स्थान तक यात्रा भत्ता।

1. पेंशन

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, के मूल नियम–56 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला प्रत्येक सरकारी सेवक पेंशन सम्बन्धी नियमों के अनुरूप, पेंशन पाने का हकदार होता है। पेंशन पाने का उसका यह हक उसकी सम्पत्ति है।

उच्चतम न्यायालय की खण्ड–पीठ के एक निर्णय के अनुसार अधिकतम पेंशन का लाभ कर्मचारी का हक है। यह कोई लूट का माल नहीं है, बल्कि सेवा के बाद कड़ी मेहनत से अर्जित किया गया गाढ़ी कमाई का लाभ है। इसके अधिकतम लाभ से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है।

पेंशन सम्बन्धी नियम सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (सी0एस0आर0), उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2, भाग–2 से 4 में दिये गये हैं।

पेंशन चार प्रकार की होती है :–

(ए) अधिवर्षता पेंशन
(बी) सेवानिवृत्ति पेंशन–
  (क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
  (ख) अनिवार्य सेवानिवृत्ति
(सी) प्रतिपूर्ति पेंशन
(डी) अशक्तता पेंशन

ए– अधिवर्षता (Superannuation) पेंशन

सरकारी सेवक सेवा नियमों में नियत आयु के उपरान्त जब विधानतः सेवानिवृत्त हो जाता है, तो ऐसी सेवा–निवृत्ति को "अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति" कहते हैं और स्वीकृत की जाने वाली पेंशन "अधिवर्षता पेंशन" कहलाती है।

सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 458 (संलग्नक–1–ए (i)) में अधिवर्षता पेंशन का उल्लेख है तथा उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2002 (संलग्नक–1–ए (ii) के अनुसार इस नियम के अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस

मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवा निवृत्त होगा, परन्तु कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्म तिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा।

किन्तु इसी सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में क्रमशः शासनादेश संख्याः 75/ 79-6-04-28(5)/2004, दिनॉक 14 जनवरी, 2004, संख्याः 127/15-8-2004-16 नियम/2003 टी0सी0, दिनॉक 4 फरवरी, 2004 एवं शासनादेश संख्याः 213/सत्तर-2- 2004-16(79)/99टी0सी0, दिनॉक 4 फरवरी, 2004 क्रमशः संलग्नक 1-ए (iii),1-ए (iv) एवं 1-ए (v) पर संलग्न हैं।

शासनादेश संख्याः सा-3-1168/दस-935-87, दिनॉक 22 जून, 1987 के पैरा 4.1 के अनुसार- 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी। जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी।

शासनादेश संख्याः सा-3-1152/दस-915-89, दिनॉक 01 जुलाई, 1989, (संलग्नक 1-ए (vi)) के अनुसार दिनॉक 01-06-1989 से अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे समस्त अस्थायी कर्मचारियों, जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को भी स्थायी कर्मचारियों की भॉति पेंशन, उपादान, तथा पारिवारिक पेंशन देय होगी।

अतः अधिवर्षता पर 10 वर्ष की नियमित/अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले सभी स्थायी एवं अस्थायी सेवकों को अधिवर्षता पेंशन की सुविधा अनुमन्य है।

.....

संलग्नक-1-ए (i)

C.S.R.-458

A superannuation pension is granted to an officer in superior and inferior services entitled or compelled by rule, to retire at particular age.

.....

संलग्नक-1-ए (ii)

उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्याः जी-2-605/दस-534(19)57
लखनऊ, दिनॉक, 27 जून, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0-414

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-दो से चार में दिये गये फण्डामेन्टल रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली , 2002 कही जायेगी।

(2) यह 28 नवम्बर, 2001 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन 2- फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स में, नियम 56 में,

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"56(क) इस नियम के अन्य खण्डों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा। उसे अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पश्चात् सरकार की पूर्व स्वीकृति से लोक आधार पर, जिसे अभिलिखित किया जायेगा, सेवा में रखा जा सकता है, किन्तु अति विशेष परिस्थितियों के सिवाय उसे साठ वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए:	"56(क) इस नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा:
	परन्तु कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्म तिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा :
परन्तु 5 नवम्बर, 1985 के पूर्व भर्ती किया गया और समूह 'घ' पद को धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा।	परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक जिसने नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस पर या उसके पूर्व अठ्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि के विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा।
स्पष्टीकरण– उपर्युक्त परन्तुक उन मामलों में लागू नहीं होगा जहॉ उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट	(क–1) किसी सरकारी सेवक की सेवा में साठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जायेगा:
	परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक जो बजट

पद/पदों की प्रास्थिति में 27 फरवरी, 1982 के पश्चात् परिवर्तन किया गया हो और उच्चतर समूह के पद/पदों में वर्गीकृत किया गया हो।"

कार्य से सम्बद्ध है या किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो जिसका अल्प समय में परिसमापन किया जाना है, सेवा का विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन माह से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:

परन्तु यह और सरकार को किसी स्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अन्यून या अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में एक मास की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।"

(ख) टिप्पणी 3 निकाल दी जाएगी।

आज्ञा से,
नवीन चन्द्र बाजपेई
प्रमुख सचिव

.....

संलग्नक-1-ए (iii)

संख्या-75/79-6-04-28(5)/2004

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ, दिनॉक: 14 जनवरी, 2004

विषयः परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु वर्तमान 60 वर्ष से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु वर्तमान 60 वर्ष से 62 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार अध्यापकों की अधिवर्षता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
(हरिराज किशोर)
सचिव

.....

संलग्नक-1-ए (iv)

संख्या-127/15-8-2004-16नियम/2003टी0सी0

प्रेषक,

नीरा यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊः दिनॉकः 04 फरवरी, 2004

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु में वृद्धि कर दी जाय।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ा कंर 62 वर्ष किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। फलस्वरूप 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवा नैवृत्तिक लाभ अब 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर तथा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवा नैवृत्तिक लाभ 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर अनुमन्य होंगे।

3- "श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि जो शिक्षक 01 जुलाई, 2003 के पश्चात् अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सत्रांत लाभ पर चल रहे हैं उन्हें भी अधिवर्षता आयु वृद्धि सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जायेगा"।

4- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उनकी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5– उ0प्र0 इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के संगत नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही शासनादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर सुनिश्चित कर ली जायेगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–यू0ओ0/ई–11–168/दस–04, दिनॉक 4–2–2004 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(नीरा यादव)
प्रमुख सचिव

.....

संलग्नक–1–ए (v)

संख्या:213/सत्तर–2–2004–16(79)/99 टी.सी.

प्रेषक,

नीरा यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   इलाहाबाद।
2. कुल सचिव,
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ :दिनॉक: 04 फरवरी, 2004

विषय: राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शासन

द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु में वृद्धि कर दी जाय।

2– अतः श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शासन द्वारा सृजित पदों पर कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। फलस्वरूप 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानैवृत्तिक लाभ 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर तथा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानैवृत्तिक लाभ 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर अनुमन्य होंगे।

3– श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि जो शिक्षक 01–07–2003 के पश्चात् अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सत्रान्त लाभ पर चल रहे हैं, उन्हें भी अधिवर्षता आयु वृद्धि सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उनकी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के नियम–50 के उप नियम–6 के अनुसार संगत नियम में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही शासनादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर सुनिश्चित कर ली जायेगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– यू0ओ0–ई–11–167/दस–04, दिनॉक 4–2–2004 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(नीरा यादव)
प्रमुख सचिव

.....

संलग्नक-1-ए (vi)

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्याः सा0-3-1152/दस-915/89
लखनऊः दिनॉक 1 जुलाई, 1989

कार्यालय ज्ञाप

विषयः अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु पर पेन्शनरी लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा पेंशन हेतु तब तक अर्ह नहीं मानी जाती है जब तक कि सरकारी सेवक किसी पद पर स्थायी न हो गया हो। सरकारी सेवकों के यथा समय स्थायीकरण किये जाने हेतु शासन के विद्यमान आदेशों के बावजूद कुछ मामलों में प्रकिया सम्बन्धी अपेक्षायें पूरी न हो पाने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी स्थायी हुए बिना ही अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिससे उन्हें पेंशनीय लाभ, अनुमन्य नहीं हो पाते हैं।

2- उपरोक्तानुसार अस्थायी रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने के कारण सरकारी सेवकों को होने वाली कठिनाईयों को दूर किये जाने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है और सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हों, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु पूर्णतया अक्षम घोषित कर दिये जाने पर अधिवर्षता/अशक्तता पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार स्वयं उन्हीं दरों पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होती है।

3- यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहॉ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गयी हो।

4- यह आदेश 1-6-89 से लागू माने जायेंगे। उक्त दिनॉक से पूर्व अस्थायी रहते हुए अधिवर्षता/अशक्तता पर अथवा स्वेच्छया सेवा निवृत्त हो चुके ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जो उक्त दिनॉक को जीवित हो, संगत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मिल चुकी

ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में, संगत नियमों के अन्तर्गत, कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं थी उनमें इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे सरकारी सेवकों को जो अस्थायी रहते हुए दिनॉक 1–6–89 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे और जिन्हें उसके कारण कोई पेंशन अनुमन्य नहीं हुई थी, दिनॉक 1–6–89 से सेवा निवृत्ति के पूर्व सेवा की अन्तिम दस मास की औसत परिलब्धियों (दिनॉक 1–1–86 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में औसत परिलब्धियों का आशय इस वेतन से है जो उन्हें मूल वेतन 9 (21) के अन्तर्गत मिल रहा था तथा 1–1–86 अथवा उसके उपरान्त के मामलों में परिलब्धियों का आशय उस वेतन से है जो मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित है) के 50% की दर से उस दशा में पेंशन अनुमन्य होगी जब सेवानिवृत्ति के पूर्व उन्होंने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो तो पेंशन उसी अनुपात में कम हो जायेगी। इस प्रकार आगणित ऐसे कर्मचारियों की पेंशनों को जो दिनॉक 1–1–86 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे, वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः सा–4–1120/दस–87 –301/1987, दिनॉक 28–7–87 के रेडी रिकनरी भाग–1 एवं भाग–2 जैसी स्थिति हो के अनुसार 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत का लाभ देते हुए पुनरीक्षित कर दिया जायेगा और दिनॉक 1–6–89 से पुनरीक्षित धनराशि का लाभ दिया जायेगा।

5– इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशन का किसी ऐसे कर्मचारी को राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा जो 31–5–1974 अथवा उसके पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो। यदि इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत किसी ऐसे कर्मचारी को पेंशन दी जाये जो 31–5–1974 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुआ हो तो उसे 1–6–89 के उपरान्त अगली जन्म तिथि के समय उसकी आयु के समरूप दर पर मूल पेंशन की धनराशि पर राशिकरण अनुमन्य होगा और उसकी पेंशन से कम की गयी धनराशि उसकी वास्तविक सेवानिवृत्ति के दिनॉक के 15 वर्षों के बाद रेस्टोर कर दी जायेगी।

6– दिनॉक 1–6–1989 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्ति/मृत्यु के जिन मामलों में उपर्युक्त व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा, उनमें कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 19–8–1980 कार्मिक–1, दिनॉक 29–4–80 के अन्तर्गत आनुतोषिक का लाभ नहीं होगा।

(विजय कृष्ण सक्सेना)
प्रमुख सचिव।

.....

बी- सेवानिवृत्तिक (RETIRING) पेन्शन

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–II, भाग II से IV के मूल नियम 56 में अनिवार्य/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (संलग्नक–1–बी (i)) के नियम दिए हुए हैं। सेवानिवृत्ति पेंशन दो प्रकार की होती है:–

(क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
(ख) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(क) स्वैच्छिक (Voluntary) सेवानिवृत्ति:

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड– II, भाग II से IV के मूल नियम 56 (सी व डी) के अनुसार ऐसा सरकारी सेवक जिसकी आयु 45 वर्ष हो गयी हो अथवा 20 वर्ष अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह की नोटिस देकर कभी भी सेवा निवृत्त हो सकता है।

मूल नियम 56 (डी) (ii) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक को ऐसी सूचना दिये बिना अथवा अल्प सूचना पर, उसकी सूचना के बदले में अर्थदण्ड का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना सेवानिवृत्ति होने की अनुमति दे सकता है।

मूल नियम 56 (डी) (ii) के अनुसार ऐसे सरकारी सेवक, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आसन्न या लम्बित हो, द्वारा दी गयी सूचना तभी प्रभावी होगी, जब नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्वीकार कर लें। परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही आसन्न होने की दशा में, सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व, सरकारी सेवक को सूचित किया जाना अनिवार्य है कि उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना स्वीकार नहीं की गयी है।

नियम 56(डी) (ii) के अनुसार सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति के बिना, वापस नहीं ले सकेगा।

मूल नियम 56 (ई) के अनुसार सरकारी सेवक जो नियम–56 के अधीन सेवानिवृत्त होता है अथवा जिसे सेवानिवृत्त होने दिया जाय, को सुसंगत नियमों के अधीन, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ पाने का हक होगा। शासनादेश संख्याः 5/7/77(3)कार्मिक–1, दिनॉक 24–8–1977 (सलग्नक–1–बी–क (i)) व मूल नियम 56 (ई) के अनुसार जब कोइ सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है अथवा जिसे सेवा निवृत्त होने दिया जाये, तब पेंशन व उपादान के प्रयोजन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी उसे 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ अथवा अधिवर्षिता की अवशेष सेवा अवधि जो भी कम हो, प्रदान कर सकता है।

अतः उपर्युक्त के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होनी चाहिए–

1– सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,

अथवा

20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लिया हो तथा

2– उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही आसन्न या लम्बित न हो।

3– सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना तीन माह पूर्व दे दी गयी हो।

शासनादेश संख्याःसा–3–1152/दस–915/89, दिनॉक 1 जुलाई, 1989, (संलग्नक–1 –ए (vi)) के अनुसार मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले अस्थायी सरकारी सेवकों को भी स्थायी सरकारी सेवकों की भॉति पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त होंगे।

.....

ख– अनिवार्य (Compulsory) सेवानिवृत्ति

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम–56 (संलग्नक–1–बी(i)) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) तीन माह की नोटिस अथवा नोटिस के बदले में वेतन एवं भत्ता देकर बिना कोई कारण बताये जनहित में उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है।

यह समाधान करने के लिए कि क्या किसी सरकारी सेवक से खण्ड (ग) के अधीन सेवा–निवृत्त होने की अपेक्षा करना लोक–हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक से सम्बद्ध किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है और यहॉ पर दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि –

(क) किसी अवधि से संबंधित किसी प्रविष्टि पर, जिसके पूर्व ऐसे सरकारी सेवक को दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी या जिसके पूर्व स्थानापन्न या मौलिक रूप से या तदर्थ आधार पर उसकी पदोन्नति की गयी थी, या

(ख) किसी प्रविष्टि पर, जिसके विरूद्ध कोई अभ्यावेदन विचाराधीन है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्रविष्टि के साथ अभ्यावेदन पर भी विचार किया जाय, या

(ग) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान के किसी रिपोर्ट पर, विचार करना अपवर्जित है।

सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 13/48/85–कार्मिक–1, दिनॉक 26–10–1985, शासनादेश संख्याः 13/5–89–का0–1–1989, दिनॉक 06 फरवरी, 1989 एवं शासनादेश संख्याः 868/13–6/98–का–1–2000, दिनॉक 23 सितम्बर, 2000 कमशः संलग्नक–1–बी–ख (i), 1–बी–ख (ii) एवं 1–बी–ख (iii) के रूप में संलग्न है।

यहॉ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। अतएव शासनादेश संख्याः 5/1/1976–का–1/1999, दिनॉक 26–2–1999 संलग्नक–1–बी–ख (iv) के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के विरूद्ध प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं है।

मूल नियम–56 (ई) के अनुसार– प्रत्येक सरकारी सेवक जिसमें इस नियम के अधीन सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उनके प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा निवृत्ति पेंशन/अन्य लाभ देय होंगे।

शासनादेश संख्या सा–3–1380/दस–2001–301(40)/2001, दिनॉक 31 जुलाई, 2001 (संलग्नक–1–बी–ख (v)) के अनुसार <u>"अनिवार्य सेवा निवृत्ति" की स्थिति में भी अस्थायी सरकारी सेवकों को सेवा नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य है।</u>

.....

संलग्नक-1-बी (i)

Financial Hand book

Volume-2, Parts II to IV

F.R.- 56

(c) Notwithstanding anything contained in clause (a) or clause (b) the appointing authority may, at any time, by notice to any Government servant (whether permanent or temporary), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of fifty years or such Government servant may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of forty-five years or after he has completed qualifying service for twenty years.

(d) The period of such notice shall be three months :

Provided that -

(i) any such Government servant may by order of the appointing authority, without such notice or by a shorter notice, be retired forthwith at any time after attaining the age of fifty years, and on such retirement the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of the notice or as the case may be for the period by which such notice falls short of three months at the same rates at which he was drawing immediately before his retirement.

(ii) It shall be open to the appointing authority to allow a Government servant to retire without any notice or by a shorter notice without requiring the Government servant to pay any penalty in lieu of notice :

Provided further that such notice given by the Government servant against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated, shall be effective only if it is accepted by the appointing authority, provided that in the case of a contemplated disciplinary proceeding the Government servant shall be informed before the expiry of his notice that it has not been accepted:

Provided also that the notice once given by a Government servant under clause (c) seeking voluntary retirement shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority.

(e) A retiring pension shall be payable and other retirement benefits, if any, shall be available in accordance with and subject to the provisions of the relevant rules to every Government servant who retires or is required or allowed to retire under this rule:

Provided that where a Government servant, who voluntarily retires or is allowed voluntarily to retire under this rule, the appointing authority may allow him for, the purposes of pension and gratuity, if any, the benefit of additional service of five years or such period as he would have served if he had continued till the ordinary date of his superannuation, whichever is less.

Explanation-

(1) The decision of the appointing authority under clause (c) to require the Government servant to retire as specified therein shall be taken if it appears to the said authority to be in the public interest, but nothing herein contained shall be construed to require any recital, in the orders, of such decision having been taken in the public interest.

(2) In order to be satisfied whether it will be in the public interest to require a Government servant to retire under clause (c) the appointing authority may take into consideration any material relating to the Government servant and nothing herein contained shall be construed to exclude from consideration.

(a) any entry relating to any period before such Government servant was allowed to cross any efficiency bar or before he was promoted to any post in an officiating or substantive capacity or in an adhoc basis; or

(b) any entry against which a representation is pending, provided that the representation is also taken into consideration along with the entry; or

(c) any report of the Vigilance Establishment constituted under the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965.

(2-A) Every such decision shall be deemed to have been taken in the public interest.

(3) The expression "appointing authority" means the authority which for the time being has the power to make substantive appointments to the post or service from which the Government servant is required or wants to retire; and the expression "qualifying service" shall have the same meaning as in the relevant rules relating to retiring person.

(4) Every order of the appointing authority requiring a Government servant to retire forthwith under the first proviso to clause (d) of this rule shall have effect from the afternoon of the date of its issue provided that if after the date of its issue the Government servant concerned bona fide and in ignorance of that order, performs the duties of his office, his acts shall be deemed to be valid notwithstanding the fact of his having earlier retired.

.....

संलग्नक-1-वी-क (i)

संख्याः 5/7/77(3)-कार्मिक-1

प्रेषक,

श्री एम0 वाघवानी,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त संचिव तथा विशेष सचिव।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 24 अगस्त, 1977

विषयः स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आदि में अतिरिक्त सेवा के लाभ का दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33,1976) द्वारा संशोधित मूल नियम 56 के अनुसार स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष हो गई है। इसके साथ ही उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा मूल नियम 56 के खण्ड-(ड.) के बढ़ाये गये प्रतिबन्धात्मक खण्ड में यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि जहॉ कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहॉ नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेंशन और उपादान के, यदि कोई हों, प्रयोजनार्थ, पॉच वर्ष की या ऐसी अवधि की जिसमें वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षता की आयु के साधारण दिनॉक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है। सामान्यतया अतिरिक्त सेवा का उक्त लाभ सभी सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगा, किन्तु आपवादिक परिस्थितियों में, जहॉ किसी सेवक की चरित्रपंजी में उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रकट हो, यह लाभ अनुमन्य न होगा।

2- उक्त प्राविधान से यह विदित होता है कि यदि कोई सरकारी सेवक जिसकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष है, 45 वर्ष या अधिक किन्तु 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है तो उसको पेंशन तथा उपादान, यदि कोई हो, के प्रयोजन के लिए पॉच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है। यदि कोई सरकारी सेवक 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने

के बाद किसी समय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, तो उसका 5 वर्ष से कम उतनी ही अवधि की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है। जितनी अवधि में वह अधिवर्षता के साधारण दिनॉक तक सेवा में रहता। यद्यपि उक्त प्राविधान के फलस्वरूप किसी सरकारी सेवक को पॉच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जायेगा, तथापि पेंशन तथा उपादान के आगणन हेतु उसकी परिलब्धियॉ वहीं मानी जायेंगी जो वह स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के दिनॉक को प्राप्त कर रहा था। अवर सेवा के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है, ऊपर उल्लिखित उपबन्ध **Mutatis mutandis** लागू होंगे।

3– आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त प्राविधानों को ध्यान में रखें तथा अपने अधीनस्थ समस्त पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों की जानकारी में संशोधित मूल नियम 56 के उपर्युक्त प्राविधान भली प्रकार ला दें तथा यह निर्देश दें कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उपर्युक्त सुविधा का लाभ देने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्परता से तथा शीघ्र करें।

भवदीय,
एम0 बाघवानी

• • • • •

संलग्नक-1-बी-ख (i)

संख्या-13/48/85-कार्मिक-1 अति गोपनीय

प्रेषक,

गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी/मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 26 अक्तूबर, 1985

विषयः सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

महोदय,

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए 3 माह की नोटिस अथवा 3 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/1975-कार्मिक, दिनॉक 26 अगस्त, 1975 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के किए जाने के लिए सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के निमित नियुक्ति प्राधिकारी की सहायता हेतु स्क्रीनिग कमेटियों का गठन करते हुए स्क्रीनिंग करने की अपेक्षा की गई है।

2- शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार प्रभारी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रकीर्ण प्राविधानों को आवश्यक संशोधनों सहित संहत में सुविधा हेतु नीचे अंकित करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नांकित प्रविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है तो विभाग के सचिव, अपने अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के बारे में उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों की सूची तैयार करेंगे जिन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए विचार योग्य समझा जाये। इस प्रयोजन हेतु वे अपने अधीन ऐसे अधिकारियों से

संस्तुति प्राप्त कर सकते हैं जिसके नियंत्रणाधीन सरकारी सेवक कार्यरत हों और यदि कोई सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा पर हो तो संस्तुति उस संस्था/सरकार से मांगी जा सकती है जहाँ वह सरकारी सेवक कार्यरत हो। तदुपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी अथवा यथास्थिति, विभागीय सचिव उक्त सूची सम्बन्धित सरकारी सेवकों के संगत अभिलेखों सहित एक स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखेंगे जिसका गठन निम्नवत् होगा:-

(1) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न है :-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 2 वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

(2) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है-

(क) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में:-

(1) प्रशासकीय विभाग के सचिव	अध्यक्ष
(2) विभागाध्यक्ष	सदस्य
(3) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

(ख) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में :-

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) प्रशासकीय विभाग के सचिव	सदस्य
(3) सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

(ग) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों सहित) के सम्बन्ध में :-

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) अध्यक्ष, राजस्व परिषद	सदस्य
(3) सचिव, नियुक्ति विभाग	सदस्य

नोट:- (1) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही नियुक्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर विशेष सचिव प्रभारी अधिकारी हैं तो विशेष सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे।

4– उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा- आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके स्व–विवेक से उपयुक्त निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित करेंगे। यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है तो यथा अपेक्षा मुख्य मंत्री/सम्बन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा नियुक्ति के आदेश पारित किये जायेंगे।

5– विचारणीय अभिलेख- अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने के लिये यद्यपि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिये कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है जिसके आधार पर उसे जन–हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किया जाना चाहिये।

6– कार्यवाही की समय-सारिणी- (1) स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं उनके विषय में सूचना सामग्री जहाँ से भी आनी हो समय से प्राप्त हो जाय।

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(3) यथासम्भव प्रति वर्ष नवम्बर माह के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाये।

(4) स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा- आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी जाय। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें।

7– स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति- स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेट्स नहीं होगा। वे केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिये होगी व उनकी कार्यवाहियाँ भी अनौपचारिक होगीं। मूल नियम 56 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में सन्निहित है। अतः वे ऐसे कर्मचारी/अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं, जिनके मामले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सकें।

8– मूल नियम 56 के अन्तर्गत आदेशों का प्रारूप- उक्त प्राविधान के तहत सेवानिवृत्ति के आदेश का प्रारूप शासनादेश संख्या 5/475–नियुक्ति–3, दिनॉक 14

अगस्त, 1975 के साथ प्रसारित किये गये थे। सुविधा हेतु उक्त प्रारूप संलग्न है। यथासम्भव उक्त प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी किये जांय।

9– कार्मिक विभाग को सूचनायें देना– अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों को सूचना प्रशासनिक, विभाग के सचिव के माध्यम से संकलित रूप में 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग–1 को निर्धारित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) पर उपलब्ध कराई जाये।

10– अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

भवदीय,
गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव।

.....

संख्या 13/48/85(1)–कार्मिक–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत करा देंगे।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव

.....

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना

वर्ष 20 –20

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	५० वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जायं	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो।	अन्य विवरण यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष–							
	2. पी०सी०एस० संवर्ग–							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी–							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी–							
	3. पी०सी०एस० सवंर्ग के भिन्न अधिकारी							
	(क) श्रेणी "क" ___							
	(ख) श्रेणी "ख" ___							
	4. श्रेणी "ग"							
	5. श्रेणी "घ"							
	योग							

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई मिन्न अधिकारी हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये गए फण्डामेन्टल रूल 56 के.खण्ड(सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)---------- जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्द्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूँ कि आप (**) ---------- इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनॉक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायं।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद नाम

(*) यहॉं पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय।
(**) यहॉं पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर हरा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

.....

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*) ---------- (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनॉक ----------के कम में (**) ---------- जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनॉक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने

वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद नाम

(*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।
(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

.....

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड(सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)---------- जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर श्री (**) ---------- आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि श्री (**) ---------- इस आदेश के निर्गत होने के दिनॉक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद नाम

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

(**) कर्मचारी का नाम

.....

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश के प्रालेख जिसके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथा संशोधित, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (*) ---------- इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनॉक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सचिव।

(*) यहॉ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

.....

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड(सी)के अन्तर्गत श्री (*) ---------- (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस, दिनॉक ---------- के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनॉक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से
सचिव

.....

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड(सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री (*) ---------- इस आदेश के जारी होने के दिनॉक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से
सचिव

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।

• • • • •

संलग्नक–1–बी–ख (ii)

संख्या 13/5–89–का0–1–1989 अति गोपनीय

प्रेषक,

सिद्धार्थ बेहुरा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी/मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ : दिनॉक 6 फरवरी, 1989

विषयः– सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

महोदय,

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक, में प्रकाशित मूल नियम 56–क के अधीन अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने हेतु सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के विषय में

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 13-48-85-का0-1, दिनॉक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शन निर्देश जारी किए गये हैं।

2- स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रत्येक 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के संबंध में अपेक्षित है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त प्राविधान के तहत कतिपय विभागों में 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की स्क्रीनिंग सूची में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी रूटीन ढंग से प्रतिवर्ष सम्मिलित किये जाते हैं जिनके बारे में स्क्रीनिंग कमेटी पूर्व में विचार कर अपनी आख्या दे चुकी होती है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है।

3- इस हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिवर्ष ऐसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जाए जिन्होंने उस वर्ष की 31 मार्च तक 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरणतः यदि 1989 अप्रैल से 1990 मार्च तक स्क्रीनिंग करना है तो सम्बन्धित सभी कर्मचारी/अधिकारी के मामले पर विचार हो जो 31 मार्च, 1989 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उक्त शासनादेशानुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाये रखा जाये और उसके मामले को आगामी वर्षों में सम्पन्न होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे मामलों में भी यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं, तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम-56 के तहत उक्त सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।

4- कृपया संबंधित मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा,
सचिव।

.....

संलग्नक-1-बी-ख (iii)

संख्याः 868/13/6/98-का0-1-2000

प्रेषक,

श्री प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 23 सितम्बर, 2000

विषयः सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 13/48/85-कार्मिक-1, दिनॉक 26 अक्टूबर, 1985 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(2) में ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, के गठन का उल्लेख है। इस कमेटी में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी को सदस्य के रूप में रखे जाने की व्यवस्था की गई है।

2- उक्त शासनादेश के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के लिए मुख्य सचिव महोदय को वरिष्ठ अधिकारी के नामांकन हेतु प्रत्येक विभाग से प्रत्येक वर्ष पत्रावलियॉ सम्प्रेषित की जाती हैं। शासन स्तर पर सेवा सम्बन्धी नीति-निर्धारण एवं अन्य कार्यों का सम्पादन कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए कार्मिक विभाग में विशेष सचिवगण नियुक्त हैं। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार हेतु आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित अधिकारी के रूप में कार्मिक विभाग के विद्यमान विशेष सचिवगण स्वतः ही नामित माने जाएंगे।

3- अतः स्पष्ट किया जाता है कि अब उक्त व्यवस्था के हो जाने से भविष्य में प्रश्नगत बैठक के लिए मुख्य सचिव महोदय की ओर से कार्मिक विभाग के अधिकारी के नामांकन हेतु पृथक से आवश्यकता न होगी।

भवदीय,
प्रदीप शुक्ला
सचिव

संलग्नक-1-बी-ख (iv)

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या : 5/1/1976-का-1/1999
लखनऊ, दिनॉक 26 फरवरी, 1999
कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरूद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में।

Subject :- Representations by Government Servants against their Compulsory Retirement.

समसंख्यक कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 12 मई, 1976 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरूद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों के विचारण की प्रकिया निर्धारित की गयी है। उपरोक्त संबंध में शासन के समक्ष यह प्रश्न आया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरूद्ध प्रत्यावेदन ग्राह्य हो सकते हैं अथवा नहीं।

2- उपरोक्त बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त तथा सभी विधिक पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड की श्रेणी में न आने के कारण उक्त के विरूद्ध प्रत्यावेदन की ग्राह्यता नहीं है। अतः वर्णित स्थिति में संदर्भगत शासनादेश दिनॉक 12 मई, 1976 निरस्त किया जाता है।

सुधीर कुमार,
सचिव।

सेवा में,

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से
सुधीर कुमार,
सचिव।

संलग्नक-1-बी-ख (v)

संख्या-सा-3-1380/दस-2001-301(40)/2001

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनॉक 31 जुलाई, 2001

विषयः-सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त किये जाने पर सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-सा-3-1152/दस-915-89, दिनॉक 01 जुलाई, 1989 द्वारा अस्थायी रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी उसी प्रकार तथा उन्हीं दरों के अन्तर्गत अनुमन्य करायी गयी थी जैसा कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत होती है, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। इसी शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह कहा गया था कि "यह व्यवस्था उन मामलों मे भी लागू होगी जहॉ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अंतर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुमन्यता प्रदान की गयी हो"। उक्त के कम में शासन के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित किया गया है कि जिन मामलों में मूल नियम-56 के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किये जाने की अपेक्षा की जाती हो अर्थात् उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है उनमें संबंधित सरकारी सेवकों को क्या सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जायेंगे? उपरोक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 56(ड.)के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी सेवक को, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होते हैं या जिससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानैवृत्तिक पेंशन देय होगी और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे। तदनुसार यदि किसी

सरकारी सेवक से मूल नियम–56 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् उसे लोक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त

.....

सी- प्रतिकर (Compensation) पेंशन

सी.एस.आर. अनुच्छेद-426, संलग्नक–1–सी (i) के अनुसार स्थायी पद को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को सेवामुक्त किये जाने हेतु चयनित किया जाता है तो सेवामुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा नियमों को शिथिल करते हुए उसके पूर्व पद के लगभग समान अन्य पद पर या तो नियुक्त कर दिया जाय अन्यथा उसे निम्न विकल्प प्राप्त होगा :–

1. वह प्रतिकर पेंशन या उपादान जो वह स्वयं द्वारा की गयी सेवा के लिए पाने का हकदार हो, प्राप्त कर ले, अथवा
2. वह प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार कर ले अथवा किसी अन्य अधिष्ठान में कम वेतन पर भी जैसा कि प्रस्तावित हो, अन्तरित हो जाये तथा पेंशन के लिए उसकी पूर्ववर्ती सेवा की गणना जारी रहे।

शासनादेश संख्याः सा–3–1713/दस–87–933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 1989 में "पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश" के बिन्दु 11 (2) संलग्नक 1–सी (ii) के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को प्रतिकर पेंशन अनुमन्य है।

संलग्नक–1–सी (i)

C.S.R.-426 – If an officer is selected for discharge owing to the abolition of a permanent post, he shall, unless he is appointed to another post the conditions of which are deemed by authority competent to discharge him to be at least equal to those of his own, have the option-

(a) of taking any compensation pension or gratuity to which he may be entitled for the service he has already rendered, or

(b) of accepting another appointment or transfer to another establishment even on a lower pay, if offered, and continuing to count his previous service for pension.

• • • • •

संलग्नक-1-सी (ii)

शासनादेश संख्याः सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 1989 में "पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश"

बिन्दु-11 (2) – सेवा मौलिक तथा स्थायी हो, किन्तु दिनॉक 1.6.1989 के बाद अधिवर्षता, स्वेच्छा, अशक्तता तथा प्रतिकर पेंशन सेवानिवृत्ति होने वालों के लिए स्थायी होना अनिवार्य नहीं है। इन प्रकरणों में 10 वर्ष की नियमित सेवा पर अर्ह सेवा की गणना स्थायी की भॉति की जायेगी।

.....

डी- अशक्तता (Invalid) पेंशन

अशक्तता पेंशन के सम्बन्ध में नियम सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 441 से 457 (संलग्नक 1–डी (i)) में दिए हुए हैं।

जब कोई सरकारी सेवक शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण लोक सेवा के लिए स्थायी रूप से अशक्त हो जाय तब उसे लोक सेवा से सेवानिवृत्त होने पर अशक्तता पेंशन देय होती है।

अशक्तता का विनिश्चय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा परिषद के प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाता है। प्रमाण–पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अशक्तता/अयोग्यता सरकारी सेवक को अनियमित आदतों के कारण नहीं हुई है।

अशक्तता पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से कम नहीं होगी जो उसके परिवार को उस तिथि पर उसकी मृत्यु होने की दशा में नयी पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होती।

शासनादेश संख्या–सा–3–1152/दस–915/89, दिनांक 01 जुलाई, 1989 संलग्नक–1–ए (vi) के अनुसार अस्थायी सरकारी सेवक भी अशक्तता पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह हैं।

. . . .

संलग्नक–1–डी (i)

C.S.R. Section III-INVALID PENSION

441. An Invalid pension is awarded, on his retirement from the public service, to an officer who by bodily or mental infirmity is permanently incapacitated for the public service, or for the particular branch of it to which he belongs.

Rules regarding Medical Certificates

442. An officer applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity in the manner specified below:

(a) If the officer submitting the application is on leave elsewhere than in India then the examination shall be arranged through the

Indian Missions abroad by a Medical Board consisting of a Physician, a Surgeon and an Ophthalmologist, each of them having the status of a consultant. The services of doctors approved for the officers and staff of the Mission concerned shall be utilised for this purpose, provided they fulfill the above conditions. A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board whenever a women candidate is to be examined.

(b) If the officer submitting the application is in India, then the examining medical authority shall be:

(1) a Medical Board, in the case of all Gazetted government servants and those non-Gazetted servants whose pay, as defined in Fundamental Rule 9(21) exceeds Rs. 400 per mensem.

(2) A Civil Surgeon or a Medical Officer of equivalent status in other cases.

(c) Except in the case of the officer on leave elsewhere than in India, no medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the head of his office or department is aware of his intention to appear before the Medical Officer. The Medical Officer shall also be supplied by the head of the office or department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the applicant's age. Where the applicant has a service book, the age recorded there should be reported.

443. (a) A succinct statement of the medical case, and of the treatment adopted, should, if possible, be appended.

(b) If the examining Medical Officer, although unable to discover any specific disease in the officer, considers him incapacitated for further service by general debility while still under the age of fifty-five years, he should give detailed reasons for his opinion, and, if possible, a second medical opinion should always in such a case be obtained.

(c) In a case of this kind, special explanation will be expected from the head of the office or department of the grounds on which it is proposed to invalid the officer.

444. A simple certificate that inefficiency is due to old age or natural decay from advancing years, is not sufficient in the case of an officer whose recorded age is less than fifty-five years, but a Medical officer is at liberty, when certifying that the officer is incapacitated for further service by general debility, to state his reasons for believing the age to be understated.

Form of Medical Certificate elsewhere than in India

445. The form of medical certificate given by the Medical Board arranged by the Indian Mission abroad, respecting an officer applying for Invalid pension while on leave elsewhere than India, shall be as follows :-

'We have carefully examined Sri..... taking into account all the facts of the case as well as his present condition, we consider that he is incapable of discharging the duties of his situation, and that such incapability is likely to be permanent. His incapacity does not appear to us to have been caused by irregular or intemperate habits.'

Note:-If the incapacity is obviously the result of intemperance, substitute for the last sentence: 'In our opinion his incapacity is the result of irregular or intemperate habits.'

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made).

"We are of the opinion that A/B, is fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing (or may after resting for .....months, be fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing)."

446. If any doubt arises regarding the validity of a certificate by the Medical Board arranged by the Indian Mission abroad, the Audit Officer

must not of his own motion reject the certificate as invalid but must submit the matter for the decision of the State Government.

Form of Medical Certificate in India

447. (a) The form of the certificate to be given respecting an officer applying for pension in India is as follows:

"Certified that I (we) have carefully examined A B son of C D, a.....in the ..... His age is by his own statement .....years, and by appearance about .....years, I (we) consider A B, to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind (or in the Department to which he belongs) in consequence of (here state disease or cause). His incapacity does not appear to me (us) to have been caused by irregular or intemperate habits."

Note— If the incapacity is the result of irregular or intemperate habits, the following will be substituted for the last sentence.

"In my (our) opinion his incapacity is directly due to ..... has been accelerated or aggravated by irregular or intemperate habits."

If the incapacity does not appear to be complete and permanent , the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made:

I am (we are) of opinion that A B is fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing (or say, after resting for ..... months, be fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing).

(b) The object of the alternative certificate (of partial incapacity), is that an officer should, if possible, be employed even on lower pay, so that the expense of pensioning him may be avoided. If there is no means of employing him even on lower pay, then he may be admitted to pension, but

it should be consider whether, in view of his capacity for partially earning a living, it is necessary to grant to him the full pension admissible under rule.

447-A. Not printed.

448. Not printed.

Special Precautions in the Police

449. District Superintendents of Police should be on their guard against endeavours to retire on Invalid pension by officers who are capable of serving longer.

450. Medical Officers should confine themselves to recommending leave to such policemen as are not likely to benefit by a further stay in hospital and should not certify that a policeman is incapacitated for further service unless they are officially requested to report upon him incapacity for further service.

451. Medical Officer should be specially searching in their examination of the physical unfitness of every applicant for pension, and, whenever the number of applicants for pensions is large, the examination should, if possible be conducted by two Medical Officers.

Restrictions

452. An officer discharged on other grounds has no claim under Article 441. even although he can produce medical evidence of incapacity for service.

453. Cancelled.

454. If the incapacity is directly due to irregular or intemperate habits, no pension can be granted. If it has not been directly caused by such habits, but has been accelerated or aggravated by them, it will be for the authority by which the pension is gratable to decide what reduction should be made on this account.

Applicant to be discharged

455. An officer who has submitted under Article 442 a medical certificate of incapacity for further service, must not (except for special reasons to be reported to the State Government) be retained in active service

pending a decision on his application for pension, nor can he obtain leave of absence.

Without the special orders of the authority, which has power to sanction the pension, service after the date of such medical certificate does not count for pension.

Decisions of the State Government

In the case of an officer who is invalided from service retirement should ordinarily take effect from the date of the report by the medical board.

456. The object of Article 455 is to discourage tentative applications; but an inferior servant (including in that term a Police Officer whose pay does not exceed Rs. 20) who, in the opinion of the head of his office, is fit for light work may be retained in employment till his pension is sanctioned, provided that his place is not filled up till he retires, and that his service counts only to the date of his medical certificate.

457. Article 455 refers only to the retention in active service of an officer who has furnished a medical certificate in respect of an application for Invalid pension or gratuity while in India. The retirement of an officer who is absent on leave other than Privilege leave, when such certificate is submitted, may have effect from the termination of his leave, and the officer may continue to draw leave allowance to the end of his leave.

Decisions of the State Government

The retirement of a government servant who is invalided while on leave granted under subsidiary rule 155 in the Financial Hand Book, Volume II, may have effect from the termination of the hospital leave already granted to him. The period spent on hospital leave on average pay will be treated as privilege leave for pension under Article 407, and the period, if any, spent on hospital leave on half-average pay will count for pension to the extent indicated in Article 408.

ई-पेंशन का आगणन

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स, उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में पेंशन हेतु पात्रता, समय से पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान सुनिश्चित करने, आगणन की प्रकिया एवं प्रपत्र विहित है।

सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-361 के अनुसार निम्नलिखित तीन शर्तें पूर्ण होने पर ही सरकारी सेवक की सेवा पेंशन के लिए अर्ह होगी :-

1. सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।
2. सेवायोजन मौलिक एवं स्थायी होना अनिवार्य है।
3. सेवा के लिए भुगतान सरकार द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

किन्तु शासनादेश संख्या-सा-3-1152/दस-915/89, दिनॉक 01 जुलाई, 1989, शासनादेश संख्या-सा-3-1380/दस-2001-301(40)/2001, दिनॉक 31 जुलाई, 2001 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 1989 के "पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश" के विन्दु-11 (2) के अनुसार अधिवर्षिता, स्वेच्छा, अनिवार्य, अशक्तता एवं प्रतिकर पेंशन कतिपय शर्तों के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को भी अनुमन्य है।

सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्ति पर पेंशन आदि का भुगतान समय से किये जाने हेतु शासन सतत् प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में तैयारी 24 माह पूर्व से प्रारम्भ किये जाने का प्राविधान है। जिसमें से प्रथम 16 माह की अवधि में सर्वप्रथम सेवा पुस्तिका का पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। अनावश्यक विलम्ब को दूर के लिए शासनादेश संख्याः सा-3-1644/दस-904-94, दिनॉक 2 नवम्बर, 1995 के द्वारा "उ0प्र0 पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995" बनायी गई है तथा शासनादेश संख्याः सा-3-881/दस-2003-17/95 टी0सी0, दिनॉक 11 अगस्त, 2003 के द्वारा मण्डल स्तर पर "पेंशन अदालत का आयोजन" किये जाने की व्यवस्था की गई है, जो कमशः संलग्नक- 1-ई (i) एवं 1-ई (ii) के रूप में संलग्न है।

शासनादेश संख्या- सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 89 में विहित पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण के स्वीकृति हेतु प्रपत्र (प्रपत्र-1-भाग-1, 2, 3, 4 एवं 5 मय संलग्नक-1, 2 एवं प्रपत्र-2 एवं प्रपत्रों के भरने सम्बन्धी अनुदेश) संलग्नक-1-ई (iii) पर संलग्न है। साथ ही शासनादेश संख्याःसा-3

–1446/दस– 912/85, दिनॉक 6–8–1985 द्वारा लागू मास्टर इन्डेक्स रजिस्टर एवं चेक रजिस्टर के प्रोफार्मा भी संलग्न है।

सी०एस०आर० के अनुच्छेद- 468, शासनादेश संख्याः सा–3–1489/दस–916–79, दिनॉक 7 सितम्बर, 1979, शासनादेश संख्याः सा–3–1168/दस–935–87, दिनॉक 22 जून, 1987 एवं शासनादेश संख्याःसा–3–1720/दस–308–97, दिनॉक 23 दिसम्बर, 1997, जो यहॉ संलग्नक 1–ई(iv),1–ई(v),1–ई(vi) तथा 1–ई (vii) के रूप में संलग्न है, के अनुसार पेंशन के आगणन के लिए निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है:–

1– परिलब्धियॉ :

परिलब्धियों का तात्पर्य उस वेतन (मूल वेतन) से है जैसा कि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है। इसमें वैयक्तिक वेतन अथवा विशेष वेतन शामिल नहीं है। किन्तु चिकित्सकों को मिलने वाला प्रैक्टिस बन्दी भत्ता परिलब्धियों का भाग होगा।

2– पेंशन की गणना पिछले 10 माह की औसत परिलब्धियों पर की जाती है।

3– अर्ह सेवा :

पेंशन के लिए 10 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण होना आवश्यक है और अधिकतम 33 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण होने पर पेंशन पिछले 10 माह के औसत परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी। किन्तु 33 वर्ष की अर्ह सेवा अवधि कम है तो पेंशन की धनराशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी। (अर्ह सेवा की गणना सम्बन्धी नियम शासनादेश संख्याः सा–3–1713/दस–87– 933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 1989 का सम्बन्धित अंश संलग्नक– 1–ई (viii) के रूप में संलग्न है।)

4– अर्हकारी सेवा छमाहियों में आगणित की जाती है। तीन माह या इससे अधिक की अवधि एक छमाही मान ली जाती है।

5– पेंशन की धनराशि को रूपये के अंश को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जाता है।

. . . . .

पेंशन के आगणन के सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य होंगे:–

1– सरकारी सेवक 'अ' वेतन रू0 18400–500–22400 में कार्यरत था। दिनॉक 31 दिसम्बर, 2003 को 33 वर्ष 7 माह 14 दिन की अर्ह सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के पूर्व 01–01–2003 से 31–12–2003 तक रू0 22400 प्रतिमाह की दर से वेतन आहरित किया।

<u>पेंशन का आगणन</u> :

अर्ह सेवा की कुल अवधि – 33 वर्ष 7 माह 14 दिन

=67 छमाही

=66 छमाही (अधिकतम)

औसत परिलब्धियाँ –

अन्तिम दस माह में प्राप्त परिलब्धियाँ–

से दिनाँक	तक दिनाँक	परिलब्धियाँ (मूल नियम 9(21)(1) के अनुसार)
01–03–2003 से	31–12–2003	22400 X 10 = 224000
		योग– 224000
		औसत 224000÷10
		=22400
पेंशन = 22400/2		=11200
		=रू0 11200 + राहत

2– सरकारी सेवक 'अ' वेतनमान रू0 6500–200–10500 में कार्यरत है। दिनाँक 31–5–2004 को 30 वर्ष 2 माह 27 दिन की अर्ह सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त होगा। दिनाँक 1–1–2003 से रू0 10300 के स्तर पर तथा दिनाँक 1–1–2004 से रू0 10500 के स्तर पर वेतन आहरित कर रहा है।

पेंशन का आगणन :

अर्ह सेवा की कुल अवधि - 30 वर्ष 2 माह 27 दिन

=60 छमाही

औसत परिलब्धियॉं –

अन्तिम दस माह में प्राप्त परिलब्धियॉं–

से दिनॉक		तक दिनॉक	परिलब्धियॉं (मूल नियम 9(4)(1) के अनुसार)
01–8–2003	से	31–12–2003	10300 X 5 = 51500
01–1–2004	से	31–5–2004	10500 X 5 = 52500
		योग	104000

औसत 104000÷10

=10400

पेंशन– $\frac{10400}{2} \times \frac{60}{66}$ =4727.27

=4728

=रू0 4728 + राहत

.....

संलग्नक-1-ई (i)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्याःसा0-3-1644/दस-904-94
लखनऊ, दिनाँक 2 नवम्बर, 1995

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बाद प्रतिकूल न हो, इस परिभाषायें नियमावली में :-

(क) "मुख्य नोडल अधिकारी" का तात्पर्य पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) "विलम्ब" का तात्पर्य समय अनुसूची से अधिक अवधि से हैय

(ग) "अग्रसारण अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है ;

(छ) "कार्यालयाध्यक्ष" का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है ;

(ज) "नोडल अधिकारी" का तात्पर्य समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "पेंशन" का तात्पर्य सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–41 में यथा परिभाषित पेंशन से है ;

(ञ) "पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" का तात्पर्य समय–समय पर सरकार के द्वारा इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है;

(ट) "समय अनुसूची" का तात्पर्य अनुसूची के स्तम्भ–स्तम्भ में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के सम्बन्ध में स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट समय से है।

अध्यारोही प्रभाव

3– किन्ही अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, यह नियमावली प्रभावी होगी।

समय अनुसूची और सहबद्ध

4–(1) किसी विलम्ब को नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारीः–

(क) पेंशन प्राप्तकर्ता/पेंशन प्राप्तकर्ताओं के संगठनों की शिकायत पर;

(ख) पेंशन के मामलों के निस्तारण के अनुवर्तन पर, अभिनिश्चित कर सकते हैं।

विषयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

(2) जब कभी नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी की जानकारी में कोई विलम्ब का मामला आता है तो वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से विलम्ब के कारणों के संबंध में सभी सुसंगत सूचनायें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और ऐसी जांचोपरान्त जिसे वे उचित समझे विलम्ब के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगायेगा और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये एक प्रस्ताव सम्बद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने तक मामले का अनुसरण करेगा और ऐसी कार्यवाही का अभिलेख रखेगा। नोडल अधिकारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के संबंध में मुख्य नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के संबंध में या उससे संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में अपेक्षित सूचना नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी, को देने में असफल रहता है, या जो विलम्ब के लिये उत्तरदायी है, वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्डात्मक नियमों के अधीन दण्डनीय होगा।

(4) सम्यक रूप से पूर्ण पेंशन के कागज पत्रों को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ उसके संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर, पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(5) मुख्य नोडल अधिकारी/नोडल अधिकारी और पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी पेंशन के मामलों का समय–अनुसूची के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

(6) पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों/पदधारियों की नियमित मासिक बैठक आयोजित करेगा या आयोजित होने देगा, जो ऐसे मामलों में व्यवहार करते हों और ऐसे मामलों के परीक्षण और निस्तारण के लिये सभी समुचित कदम उठायेगा।

(7) सरकार में सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव सभी पेंशन संबंधी मामलों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और समय–अनुसूची के भीतर ऐसे मामलों का परीक्षण और निस्तारण सुनिश्चत करायेगा।

पी0 के0 मिश्र
सचिव।

अनुसूची

(नियम 3 (ख) और 3 (ट) देखिये)

क्रम–संख्या	कार्य का विवरण	समय अनुसूची समय जिसके भीतर कार्य किया जाना है	कार्य के लिये उत्तरदायी व्यक्ति
1	2	3	4
1.	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	प्रत्येक वर्ष का जून मास	1–विभाग के सम्बन्धित अधिष्ठान का संबंधित लिपिक 2–कार्यालय का अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
2.	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो, का पूरा किया जाना।	सेवा निवृत्ति के 8 मास पूर्व	1–संबंधित अधिष्ठान लिपिक 2–कार्यालय अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
3.	अदेयता प्रमाण–पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना	सेवा निवृत्ति के दो मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
4.	क–सेवानिवृत्ति होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र प्रदान किया जाना	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
	ख–पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	सेवानिवृत्ति के 6 मास पूर्व	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक
5.	मृत्यु के मामलों में प्रपत्र का भरा जाना	मृत्यु के एक मास पश्चात्	1. पेंशन लिपिक 2. कार्यालय अधीक्षक 3. कार्यालयाध्यक्ष
6.	नियुक्ति प्राधिकारी से जॉच किया जाना कि क्या कोई विभागीय	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	1. कार्यालय अधीक्षक 2. कार्यालयाध्यक्ष

	कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं		
7.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति	सेवानिवृत्ति के 7 मास पूर्व	नियुक्ति प्राधिकारी
8.	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण (क) सेवा पेंशन (ख) पारिवारिक पेंशन	सेवानिवृत्ति के पॉच मास पूर्व मृत्यु के एक मास पश्चात्	 कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
9.	पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और संवीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाये तो, उसे दूर करने के लिये विभाग को लिखा जाना	पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के दो मास	1– लेखाकार 2– सहायक लेखाधिकारी 3– पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
10.	आपत्तियों का निराकरण	आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् एक मास	विभागीय कार्यालयाध्यक्ष
11.	पेंशन मामले का पुनः परीक्षण/निस्तारण	शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् एक मास	1.लेखाकार 2.सहायक लेखा अधिकारी 3.पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
12.	रोके गये उपादान के निर्मुक्त किये जाने के लिये प्रपत्र–2 पर अदेयता प्रमाण–पत्र का अग्रसारण	सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष
13.	(पेंशन/उपादान/पेंशन के सारांशीकरण) के भुगतान आदेश	सेवानिवृत्ति की संध्या तक या पर	1.लेखाकार 2.सहायक लेखा अधिकारी 3.पेंशन भुगतान आदेश जारी

	का जारी किया जाना		करने वाला अधिकारी
14.	टनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव न हो)	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक मास पश्चात्	1.पेंशन लिपिक 2.कार्यालय अधीक्षक 3.कार्यालयाध्यक्ष
15.	टनन्तिम पेंशन का भुगतान	प्रत्येक मास के सातवें दिन तक	आहरण और वितरण अधिकारी
16.	पेंशन का भुगतान	भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनॉक से एक मास	कोषाधिकारी/आहरण और वितरण अधिकारी
17.	सेवानिवृत्ति कार्यकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही	सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351–क में दी गयी प्रकिया के अनुसार और सरकारी आदेश के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर निर्णय का लिया जाना यदि विभागीय कार्यवाही सेवा निवृत्ति के पूर्व संस्थित की गयी हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनॉक से छः माह के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिये।	सरकार का प्रशासनिक विभाग/ नियुक्ति प्राधिकारी

18.	पेंशन से संबंधित मामलों के संबंध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद	न्यायालय के आदेश के अनुसार या रिट याचिका की प्राप्ति के दिनॉक से दो मास के भीतर, जो पहले हो, प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत होना चाहिये।	संबंधित विभाग का प्रतिवादी

.....

संलग्नक-१-ई (ii)

संख्याःसा-3-881/दस-2003-17/95टी0सी0

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक 11 अगस्त, 2003

विषयः मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनके सेवानैवृत्तिक लाभों के ऐसे प्रकरणों जो या तो विवादित है या अति दीर्घकाल से लम्बित है, को यथास्थान निस्तारित कराने हेतु शासनादेश संख्या-सा-3-1186/दस-98-17/95, दिनॉक 15 सितम्बर, 1998 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में पेंशन अदालतों का पुनर्गठन किया गया था। सेवानैवृत्तिक लाभों से संबंधित नियमों/शासनादेशों की व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न प्रकार के मामलों पर विचार किया जाना पेंशन अदालत के अधिकार क्षेत्र में हैः-

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ऐसे मामले जिनकी पेंशन/ग्रेच्यूटी स्वीकृत न हुई हो।
2. पेंशन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के विरूद्ध पेंशनर द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार।
3. सेवानिवृत्ति के उपरान्त यदि वेतन आदि का पुनरीक्षण किया गया है, तो तदनुसार पेंशन पुनरीक्षण के मामलें।
4. ऐसे प्रकरणों, जिनके निस्तारण में प्रशासकीय विभाग और पेंशन विभाग में मतभेद हो।
5. ऐसे प्रकरण, जो न्यायालय में लम्बित हों, परन्तु पेंशनर उसे न्यायालय से बाहर निस्तारित कराने के इच्छुक हों।
6. पेंशनरों की अन्य शिकायतों के संबंध में।

पेंशन अदालतों का प्रत्येक मण्डल पर नियमित रूप से तीन माह में एक बार अवश्य आयोजन किया जाना था। परन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि पेंशन अदालतों का नियमित रूप से आयोजन नहीं हो रहा है।

2. यह भी शासन के संज्ञान में आया है कि पेंशन अदालतों में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के उपस्थित न होने से अनेक मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है। यह एक चिन्ता का विषय है। पेंशन की स्वीकृति का मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण से संबंधित शासनादेश संख्या–सा–3–697/दस–26/98, दिनॉक 08 अक्टूबर, 1999 के प्रस्तर–6 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि "मण्डल स्तर पर पेंशन निस्तारण के कार्य से संबंधित सभी अधिकारी/ कर्मचारी मण्डलायुक्त के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। मण्डलायुक्त उनकी त्रैमासिक समीक्षा भी करेंगे और उनकी गोपनीय रिपोर्ट प्रमुख सचिव, वित्त को सीधे प्रेषित करेंगे। पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा का दायित्व भी मण्डलायुक्त द्वारा प्रभावी ढंग से किया जायेगा। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही करने का दोषी पाया जाये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए लघु दण्ड देने का अधिकार भी मण्डलायुक्त में निहित होगा"।

3. मुख्य सचिव के अर्द्धशा0प0सं0सा–3–270/दस–2003, दिनॉक 24 फरवरी, 2003 में भी लम्बित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करने पर बल दिया गया है। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त व्यवस्था के अनुसार पेंशन अदालतों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इस कार्य में शिथिलता

बरतने एवं पेंशन अदालतों में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी करें।

4. चूँकि पेंशन अदालतों के संयोजक संयुक्त/अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन है। अतः उनका यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक त्रैमास में मण्डलायुक्त से पेंशन अदालत के आयोजन हेतु समय व तिथि प्राप्त करके पेंशन अदालत के आयोजन की आवश्यक व्यवस्था करें।

5. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को शीघ्रातिशीघ्र सेवानैवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराया जाना केवल शासन का विधिक/नियमजन्य दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक दायित्व भी है। इस दृष्टि से भी इस प्रकरण को शासन/प्रशासन के हर अपेक्षित स्तर पर पूरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को मात्र दया का पात्र न समझ कर उसे उस व्यक्ति के रूप से पहचाना जाना चाहिए जिसने स्वेच्छा से अपने जीवन के सर्वोत्तम उत्पादक समय व श्रम को शासकीय सेवा के माध्यम से जनहित के साधन का माध्यम बनाया है। अतः इस दृष्टि से सभी सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के इन प्रकरणों के संवेदनायुक्त, समयबद्ध, तत्परता एवं सार्थक निस्तारण के लिए तत्पर रहना होगा।

भवदीय,
(नवीन चन्द्र बाजपेई)
प्रमुख सचिव, वित्त

.....

संलग्नक–1–ई (iii)

1. प्रपत्र–1

   भाग 1, 2, 3, 4, 5

   संलग्नक 1, 2

2. प्रपत्र–2

3. प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में अनुदेश

4. मास्टर इन्डेक्स एवं चेक रजिस्टर का प्रोफार्मा

भाग–1

पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिए प्रार्थना–पत्र

(फार्म भरने के पूर्व भाग–6 में उल्लिखित निदेश पढ़ लिये जाय)

सेवा में,

_____(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

_____

_____

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें :–

1– नाम : _____

2– पिता/पति का नाम : _____

3– सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता : _____

(क) स्थायी निवास स्थान _____

(ख) पत्र व्यवहार का पता _____

4– जन्म तिथि : _____

5– सेवा प्रारम्भ करने की तिथि _____

6– सेवा निवृत्ति की तिथि : _____

7– अन्तिम पद जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पद नाम तथा कार्यालय/विभाग का नाम एवं पता _____

8– मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाय : _____

9– पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है _____

10– भुगतान किस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं _____

11– परिवार का विवरण:

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1–					
2–					
3–					
4–					
5–					
6–					

भवदीय/भवदीया,

_____

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा आनुतोषिक, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना–पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा/ दूँगी। (सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये

(यथासंभव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिये जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1– नाम_____ हस्ताक्षर

पद नाम _____

पता _____

2– नाम_____ हस्ताक्षर

पद नाम _____

पता _____

भाग–2

पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

_____(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

_____

_____

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें :–

1– मृत सरकारी सरकारी सेवक का नाम : _____

2– मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम : _____

3– मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता : _____

4– क्या मृत सरकारी सेवक पेंशन पा रहा था? यदि हाँ तो :–

(क) सेवानिवृत्ति का दिनाँक _____

(ख) पेंशन भुगतानादेश संख्या _____

(ग) पेंशन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं पता : _____

5– प्रार्थी का –

(क) नाम _____

(ख) पिता/पति का नाम _____

(ग) जन्मतिथि _____

(घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध _____

6– मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी :–

(क) स्थायी निवास स्थान _____

_____

_____

(ख) पत्र व्यवहार का पता: _____

_____

_____

7– सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनॉक _____
(मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है)

8– मृत सरकारी सेवक का विवरण :–

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

9– कोषागार का नाम जहॉ से भुगतान अपेक्षित है : _____

10– अनन्तिम पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि कोई हो) :

(क) पारिवारिक पेंशन _____

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी _____

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान

घोषणा

मैं_____पत्नी/पति,पुत्र/पुत्री स्वर्गीय श्री _____की (विभाग/कार्यालय का नाम) _____द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु गेच्युटी स्वीकार करते हुए यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी

जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. नाम _____
   पदं नाम _____
   पता _____
2. नाम _____
   पद नाम _____
   पता _____

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(उपर्युक्त साक्षी यथासंभव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिये जहाँ मृतक कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे)

.....

भाग–3

प्रार्थी का विवरण

1– सरकारी सेवक का नाम _____
   पदनाम तथा कार्यालय का नाम: _____
2– सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में
   पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का
   नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध : _____
3– नमूने के हस्ताक्षर :
   (क) सरकारी सेवक के
   (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)

1_____
2_____
3_____

(ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवायें जायेंगे) 1_____

2_____

3_____

4– यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें अंगूठे एवं उंगलियों के निशान :

(क) सरकारी सेवक के _____

(ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के _____

5– वैयक्तिक पहचान:

(क) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेन्शनर की ऊँचाई _____

(ख) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेन्शनर के पहचान चिन्ह _____

6– सरकार सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार में संयुक्त फोटो। मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो (फोटो की तीन प्रतियाँ दी जायेंगी जिनमें से दो फार्म्स पर चिपकाई जायेगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी। प्रदेश के बाहर पेन्शन लेने पर पाँच प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी। जिनमें से चार फार्म्स पर तथा पांचवी प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी।

फोटोग्राफ

सत्यापित

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद नाम _____

_____

भाग–4

सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम _____

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनॉक दिये जाय)	पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदवनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधियॉ भी इंगित की जायं।	स्तम्भ–3 में दर्शायी गयी अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशन युक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर_____

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पता)

.....

भाग–5

(कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु)

1–सरकारी सेवक का नाम _____

2–सरकारी सेवक की जन्म तिथि _____

3–सेवा में आने का दिनॉक _____

4–सेवानिवृत्ति का दिनॉक _____

	वर्ष	माह	दिन
5–कुल अवधि (4–3)	_____	_____	_____
6–सैन्य सेवा, जो पेंशन के लिये अर्ह है, की अवधि (ऐपेन्डिक्स–ए संलग्न किया जाए)	_____	_____	_____

7–अन्य सेवा (यदि कोई हो), जिसे पेंशन हेतु ______ ______ ______
अर्ह माना गया (आदेश संलग्न करें)

8–पेंशन अनर्ह सेवा:–

(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा ______ ______ ______
(ख) सेवा में विच्छेद ______ ______ ______
(ग) पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि ______ ______ ______
(घ) कोई अन्य सेवा, जो पेंशन हेतु अनर्ह हो ______ ______ ______
(कारण सहित उल्लेख किया जाये)

____

योग(क+ख+ग+घ)

____

	वर्ष	मास	दिन
9–पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5, 6 7–8)	____	____	____

या____________(छमाहियाँ)

10–पेंशन का प्रकार प्रतिकर/अशक्तता/रिटायररिंग/अधिवर्षता

11–सेवानिवृत्ति के दिनाँक को मूल नियम 9
(21) (1) में परिभाषित परिलब्धियाँ ______________

12–औसत परिलब्धियों का आगणन अन्तिम दस माह में प्राप्त/प्राप्त होने वाली परिलब्धियाँ (अनावश्यक को निरस्त कर दिया जाय)

धारित पद	दिनाँक से	दिनाँक तक	परिलब्धियाँ मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित
1	2	3	4

योग (स्तम्भ 4 का) ÷10=रू0 ____

13–पेंशन का आगणन _____

14–सर्विस गेच्युटी का आगणन (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) _____

15–सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन _____

16–सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)_____

17–शुद्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि _____

18–पारिवारिक पेंशन का आगणन–

(क) सामान्य दर _____

(ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनॉक _____ से रू0 प्रतिमाह तथा दिनॉक _____से रू0_____प्रतिमाह (सामान्य दर)

19–पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनॉक _____

20–पेंशन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है _____

21–राशिकृत मूल्य का आगणन _____

22–राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि _____

23–कोषागार का नाम जहॉं, से पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित किए जायेंगे। _____

24–अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन (यदि कोई स्वीकृत की गई हो) _____

25–अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की गई हो) _____

26–पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनॉक_____(यह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :–

(1) भवन निर्माण अग्रिम में से रू0 _____की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

(2) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रू0 _____ _____ की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रू0 _____ की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनॉक _____ तक रू0 _____ _____ की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/ कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनॉक _____ तक रू0 _____ और देना शेष रह जायेगा।

(5) आडिट के परिणामस्वरूप रू0 _____ की धनराशि देय है/ कोई धनराशि देय नहीं है।

(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रू0 _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

(7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाये) रू0_____की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

27– क्या श्री _____(सरकारी सेवक का नाम) के विरूद्ध कोई न्यायिक/वैभागिक अथवा प्रशासनाधिकरण जॉच लम्बित है, यदि हॉ, तो वर्तमान स्थिति बताई जाय।

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुचायी गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण, दिया जाये।)

नोटः– विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त कालम स्पष्ट रूप से पूर्ण किये गये हों।

(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के
दिनॉक सहित हस्ताक्षर तथा पदनाम)

संलग्नक-I

This deed of indemnity is made on the .....day of.....19 corresponding to Saka Samvat the .....day of ..... 19..... (Bounden) in FAVOUR OF the Governor of Uttar Pradesh (called "the Governor").....

Whereas :

1. The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttar Prdesh (Called "the Government") as .....(designation) in .....(name of office)
2. the Bounden above named has retired/is due for retirement on.....
3. A 'No demand certificate' is required to be issued in favour of the Bounden by .....before sanction of pension, gratuity etc. to the Bounden but the said certificate could not be issued so far and the scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.
4. The Government is willing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden.

Now this deed withnesses-

1. In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden before issue of 'No demand certificate in his favour, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered, within a period of two years from the date of retirement of the Bounden, to be due against him.
2. Any amount due under this deed may, on the certificate of .....which shall be fin`al, conclusive and binding on

the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness : .

Signed by

1.....Bounden

Address

2. .....

Address

.....

संलग्नक- II

THIS DEED OF INDEMNITY is made on the .....day of ..... 19..... corresponding to Saka Samvat the ..... day of ..... 19 ..... By (1) Srimati/Sri ..... W/o S/o late Sri ..... R/o .....(Bounden I)* and (2) II Sri ..... S/o ..... R/o ..... (Bounden) (Jointly called the "Boundens") In FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (CALLED "THE Governor").

Whereas :

1. Late Sri ..... was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called the "Government") as ..... (designation) in .....(name of office).

2. Late Sri .....(called "deceased" died on ..... and family pension and deathcumretirement gratuity is to be sanctioned to his family.

3. Bounden I is the ..... (relationship with deceased)* and Bounden II is the .....(relationship with deceased) and is/are entitled to the family pension and gratuity.

4. A 'No demand certificate' is required to be issued in regard to the decreased by .....before sanction of family pension, gratuity, etc. to the

Bounden, but the said certificate could not be issued so far and scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

5. That Government is willing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall excute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased within a period of two years from the date of his death. Now this deed witnesses that –

1- In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity etc, to the Bounden before issue of 'No demand certificate' the Bounden hereby covenants, if necessary. (Jointly and severally covenant), with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered to be due against the deceased within a period of two years from the date of his death, subject to a maximum of the amount of gratuity and family pension paid to the Bounden.

2- Any amount due under this deed may, on the certificate of ..... Which shall be final, conclusive and binding on the bounden, be recovered from her/him/them as arrears of land revenues.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has/have signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness :

Signed

1..... Bounden I

Address

2. .....Bounden II

Address

---

* if necessary

प्रपत्र–2

अन्तिम देय प्रमाण–पत्र

प्रेषक,

_____

_____

_____

सेवा में,

मुख्य लेखाधिकारी,

_____

_____

_____

अथवा

निदेशक,

पेंशन निदेशालय, उ0प्र0,

लखनऊ।

संख्याः दिनॉकः_____

विषय : पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण

महोदय,

इस कार्यालय के श्री _____ (नाम)_____ (पद नाम) के पेन्शन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या_____ दिनॉक _____ द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे। उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त होने पर दिनॉक _____को कार्यभार छोड़ दिया गया है।

2– उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है/निम्न परिवर्तन हुआ है–

अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का पुनरीक्षित आगणन :–

माह का नाम	परिलब्धियॉं
_____	_____
_____	_____
_____	_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

योग–

_____

औसत परिलब्धियाँ = (योग–10)

_____

3– इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र दिनॉक ___ को उपरोक्त अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध निम्न मदों में उनके विरूद्ध निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी:–

1. भवन निर्माण अग्रिम रू0 _____
2. मोटरकार/मोटर सायकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम रू0 _____
3. किसी अन्य प्रकार का अग्रिम रू0 _____
4. सरकारी आवास से सम्बन्धित देय धनराशि रू0 _____
5. आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि रू0 _____
6. विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि रू0 _____
7. अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि रू0 _____

योग रू0

4. उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनॉक तक उपर्युक्त सभी धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है/ निम्न धनराशियॉ शेष है :–

1. भवन निर्माण अग्रिम रू0 _____
2. मोटरकार/मोटर सायकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम रू0 _____
3. किसी अन्य प्रकार का अग्रिम रू0 _____
4. सरकारी आवास से सम्बन्धित देय धनराशि रू0 _____
5. आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि रू0 _____
6. विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि रू0 _____

7. अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय रू0 _____
धनराशि

योग रू0

8. उपरोक्त सरकारी सेवक के विरूद्ध सेवानिवृत्ति के
दिनॉक को लम्बित न्यायिक/वैभागिक जॉच की स्थिति निम्नवत् है:

5. उपरोक्त सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्या _____ दिनॉक ____ (जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है) द्वारा रू0 _____ की अनन्तिम पेंशन प्रतिमाह तथा संख्या ___ दिनॉक ____ द्वारा रू0 _____ की धनराशि अनन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत की जा रही है/चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर–4 में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनॉक को देय कुल रू0 _____ की कटौती करके तथा अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

संख्या दिनॉक

प्रतिलिपि :–

1. कोषाधिकारी _____ को इस आशय से प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर–4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन, के स्तर से सूचित न की गयी हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2. श्री _____ (पेंशनर का नाम) (पूर्ण पता) को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

खण्ड–2 (प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में अनुदेश)

भाग–1 (सामान्यतया दो प्रतियों में भरा जायेगा। प्रदेश से बाहर पेंशन आहरित करने के मामलों में चार प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी)

1– यह प्रार्थना–पत्र अधिवर्षता पर, स्वेच्छा से, अनिवार्य रूप से, अथवा अन्य प्रकार से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों द्वारा भरा जायेगा। कम्पेन्सेशन तथा इनवेलिड पेंशन के मामलों में भी यही प्रार्थना–पत्र प्रयोग में लाया जायेगा। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामलों में इस प्रार्थना–पत्र को सेवानिवृत्ति के दिनॉक के आठ माह पूर्व भरा जाना अनिवार्य है।

2– इस प्रार्थना–पत्र को संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सावधानी पूर्वक भरा जायेगा क्यों कि त्रुटि अथवा अपूर्ण छोड़ देने से उसके पेंशन स्वीकृति के मामले में विलम्ब हो सकता है।

3– इस भाग में उल्लिखित घोषणा पर संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

4– घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साक्ष्य हेतु संबंधित साक्षी यथासंभव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहॉ से सरकारी सेवक सेवा निवृत्त हुआ है। साक्षियों के उसी कार्यालय के सदस्य न होने की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष साक्षियों के चयन में अपने पूर्ण विवेक से काम लेंगे क्यों कि शासन को हानि होने की दशा में साक्षी जिम्मेदार होंगे।

भाग–2 (सामान्यतया दो प्रतियों में भरा जायेगा। प्रदेश से बाहर पारिवारिक पेंशन आहरित करने के मामलों में चार प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी)

1– यह प्रार्थना–पत्र पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी प्राप्त करने हेतु सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के संबंधित सदस्य जिसे पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत की जा सकती है द्वारा भरा जायेगा।

2– इस प्रार्थना–पत्र को मृत सरकारी सेवक के परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा सावधानी पूर्वक भरा जायेगा क्योंकि त्रुटि अथवा अपूर्ण छोड़ देने से उसके पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी की स्वीकृति के मामले में विलम्ब हो सकता है।

3– इस भाग में उल्लिखित घोषणा–पत्र पर सरकारी सेवक के परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

4– घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साक्ष्य हेतु संबंधित साक्षी यथासंभव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहॉ सरकारी सेवक मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। साक्षियों के

उसी कार्यालय के सदस्य न होने की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष साक्षियों के चयन में अपने पूर्ण विवेक से काम लेंगे क्योंकि शासन को हानि होने की दशा में साक्षी जिम्मेदार होंगे।

भाग–3

1– यह विवरण सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा तथा सेवारत मृत्यु के उपरान्त परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा, दोनों दशाओं में भरा जायेगा।

2– स्तम्भ 3 एवं 4 में नमूने के हस्ताक्षर करवायें जायेंगे किन्तु यदि प्रार्थी हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो स्तम्भ 5 में पुरूष की स्थिति में बायें हाथ के अथवा स्त्री की स्थिति में दायें अंगूठे तथा उंगलियों के निशान लगवाये जायेंगे।

3– पहचान चिन्ह शरीर के ऐसे भागों जैसे चेहरा, हाथ आदि जो बाहर दिखते है, के होने चाहिए। यदि बाहरी भागों पर कोई ऐसा चिन्ह न हो तो भीतरी भाग के पहचान चिन्ह भी इंगित किये जा सकते है।

4– सामान्यतया सरकारी सेवक को अपनी पत्नी/पति के साथ का संयुक्त फोटो देना चाहिए। यदि पत्नी/पति में से एक ही जीवित हो अथवा पत्नी/पति में सम्बन्ध विच्छेद हो गया हो तो पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर केवल अपना फोटो ही दे सकता है। फोटों की 3 प्रतियॉं प्रस्तुत की जायेंगी जिनमें से दो प्रतियॉं दो फार्म्स पर चिपकायी जायेगी तथा एक प्रति छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ डिस्बर्सहाफ पर लगाने हेतु अलग से रखा दी जायेगी। प्रदेश से बाहर पेंशन लेने पर 5 प्रतियॉं प्रस्तुत की जायेंगी जिनमें से 4 प्रतियॉं चारों फार्म्स पर तथा पॉंचवी प्रति एक छोटे लिफाफे में डिस्बर्सहाफ पर लगाने हेतु अलग से रख दी जायेगी। फोटोग्राफों की सभी प्रतियों को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।

5– उपरोक्त विवरण केवल 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के प्रार्थियों का ही दिया जायेगा। भुगतान पाने के लिए अर्ह व्यक्ति के अवयस्क होने की दशा में विधिक संरक्षक को भुगतान किया जायेगा।

भाग–4

इस भाग में सेवा पुस्तिका के आधार पर आगणित अर्हकारी सेवा का इतिहास दिया जायेगा इस हेतु पूरी सेवापुस्तिका की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न नियुक्तियों पदोन्नतियों तथा सेवा समाप्ति के दिनॉंक, मास तथा वर्ष देना पर्याप्त है। अनर्हकारी सेवा की अवधियों तथा उनका पूर्ण विवरण भी दिया जायेगा। यदि कोई अवधि मर्षण योग्य हो तो उसका भी विवरण दिया जायेगा।

भाग–5

1. पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की राशियों के आगणन हेतु कृपया खण्ड–1 में उल्लिखित अनुदेश भली प्रकार पढ़ लिये जायं।

2. सरकारी सेवक के विरूद्ध देयों की स्थिति की जानकारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ करनी चाहिए और स्तम्भ–26 के द्वारा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को विभिन्न देयों/जॉच के बारे में सेवानिवृत्ति की तिथि के आठ माह पूर्व की स्थित से अवगत करा दिया जाय। अदेयता प्रमाण–पत्र अन्तिम पॉच वर्ष की सेवा की छानबीन के आधार पर निर्गत किया जायेगा। यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि पॉच वर्ष से पहले की अवधि से सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई शासकीय देय है तो पॉच वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जॉच की जाय। 5 वर्ष की अवधि की छानबीन करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन सभी कार्यालयों से जहॉ सम्बन्धित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो अदेयता के विषय में पूछताछ की जायेगी और सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व की स्थिति को भाग–5 में दर्शा दिया जायेगा। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि इस भाग में दर्शाये गये सभी देयों की सेवानिवृत्ति के दिनॉक तक वसूली पूर्ण हो जाय किन्तु यदि किसी मद में वसूली पूर्ण न हो पाये अथवा किसी अधिकारी से देयता के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त न हो पाये तो संलग्नक–1 पर इस आशय का एक बन्ध पत्र भरवाकर यदि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर उसके विरूद्ध कोई देय निकलते है तो उसकी वसूली उससे कर ली जायेगी, ग्रेच्युटी की शेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जायगी। सेवारत मृत्यु होने की दशा मे उत्तराधिकारियों से संलग्नक–2 पर बन्धक पत्र भरवाया जायेगा। बन्धक पत्रों पर देय स्टैम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन की जायेगी।

3. इस भाग के स्तम्भ–27 में दर्शायी गयी विभिन्न मदों के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्नवत् की जायेगी :–

(1) सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष भवन निर्माण, वाहन अथवा अन्य अग्रिमों की वसूली की आठ माह पूर्व की स्थिति का आंकलन अपने अभिलेखों के आधार पर करेंगे। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लिये गये अग्रिमों की स्थिति का आंकलन कोषागार, इरला चेक अनुभाग अथवा महालेखाकार के लेखों के आधार पर किया जायेगा। सामान्यतया सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व ऐसे देयों की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए और सेवानिवृत्ति के पूर्व ऐसे देयों की वसूली पूर्ण हो जानी चाहिए किन्तु

यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाये तो शेष धनराशि की वसूली को बन्धक पत्र–1 से आच्छादित मानकर ग्रेच्युटी को अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(2) सरकारी भवन में आवासित सरकारी सेवकों से किराया वसूल करने का दायित्व राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। उनका दायित्व है कि वे नियमित रूप से ऐसी वसूली करते रहे किन्तु यदि किसी मामलें में कोई अवशेष देय रह जाय तो सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व तक कि पूर्ण सूचना राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर दी जायगी जिससे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसकी अगले आठ माह में वसूली करके शून्य "लास्ट ड्यूज सार्टीफिकेट" भेजा जा सके और सेवानिवृत्ति के उपरान्त के चार माह के किराये (एक माह का किराया सामान्य दर पर तथा तीन माह का किराया मानक दर पर) की वसूली ग्रेच्युटी से करके ग्रेच्युटी अवमुक्त की जा सके।

(3) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अन्य सभी प्रकार की वसूलियों की स्थिति का आंकलन भी हर दशा में सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूर्ण कर लेना चाहिए और शेष आठ माहों में वसूल होने वाली शेष धनराशि को इस भाग में दर्शाकर शेष धनराशि अगले आठ माह में वसूल कर लेना चाहिए। सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से सेवानिवृत्ति के दिनॉक तक जानकारी में आ गये देयों की वसूली की जा सकती है। अतः सेवानिवृत्ति के दिनांक तक जानकारी में न आ पायें देयों की वसूली हेतु बन्धक पत्र (संलग्नक–1) भरवाकर शेष ग्रेच्युटी अवमुक्त कर दी जाय।

(4) इसी स्तम्भ के उप पैरा (8) में आठ माह पूर्व तक की न्यायिक, वैभागिक अथवा प्रशासनाधिकरण की जॉच की स्थिति दर्शायी जायेगी। सेवानिवृत्ति के दिनॉक की स्थिति पुनः "लास्ट ड्यूज सार्टीफिकेट" में दर्शा दी जायेगी जिससे पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को यह जानकारी हो जाये कि ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा सकती है अथवा नही। सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही जॉच के आधार पर ग्रेच्युटी नहीं रोकी जायेगी।

फार्म–1 (मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर)

दिनांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम तथा पता	पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर का नाम व स्थायी पता	पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर के पिता/पति का नाम	सेवा–निवृत्ति/ मृत्यु तिथि	पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि	पेंशन तथा अन्य देयों की स्वीकृति का पत्र संख्या एवं दिनांक	उस अधिकारी का नाम पदनाम जिसे पेंशन तथा अन्य प्राधिकार–पत्र निर्गत किये गये	बैंक रजिस्टर का		हस्ताक्षर		विवरण
									पृष्ठ सं०	क्रम सं०	पेंशन लिपिक	सहायक लेखा अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

फार्म–2 (पैक रजिस्टर)

क्रमांक	मास्टर इन्डेक्स रजिस्टर का क्रम संख्या एवं दिनांक	सरकारी सेवक का नाम, पिता/पति का नाम व वर्तमान पता तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त स्थायी पता	सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म तिथि, पता यदि परिवार न हो तो विधिक उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों के नाम जन्म-तिथि तथा पते	सरकारी सेवक				का पद जिस पर स्थायी घोषित किया गया तथा स्थायीकरण का दिनांक	पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके साथ पेंशन प्रपत्र प्राप्त हुए	सेवा में व्यवधान/ व्यवधानों की अवधि यदि कोई हो और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसके पूर्व की सेवा को सम्मिलित किया गया।	सेवा की अन्य अवधियों जैसे निलम्बन अवधि अथवा अन्य अनधिकृत अनुपस्थितियों का विवरण तथा यदि वे विनियमित की जा चुकी हो तो उस अधिकारी का पद नाम तथा पत्र सं० एवं दिनांक जिसके द्वारा उसे विनियमित किया गया। यदि विनियमित न किया गया हो तो उसका कारण और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसे सेवा में सम्मिलित किया गया
				की जन्म तिथि	की सेवा प्रारम्भ की तिथि	की सेवा निवृत्ति की तिथि	की मृत्यु की तिथि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

अर्हकारी सेवा का आगणन	सेवा निवृत्ति के दिनांक 10 माह पूर्व तक के औसत वेतन का आगणन	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का वास्तविक आगणन	ग्रेच्युटी की धनराशि का आगणन	राशिकरण की धनराशि का आगणन	पत्र/ पत्रों की सं० एवं दिनांक जिसके/ जिनके द्वारा पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ ग्रेच्युटी राशिकरण के प्राधिकार पत्र भेजे गये	आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी का नाम जिसे ग्रेच्युटी/ राशिकरण तथा पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार पत्र भेजे गये	हस्ताक्षर			विवरण
							पेंशन लिपिक	सहायक लेखाधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी	
13	14	15	16	17	18	19	20			21

संलग्नक-1-ई (iv)

C.S.R. 468

The amount of pension that may be granted is determined by length of service. In calculating the length of qualifying service, fractions of a half year equal to three month and above shall be treated as a completed one half year and reckoned as qualifying service.

.....

संलग्नक-1-ई (v)

संख्याः सामान्य-3-1489/दस-916-79

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉंकः 7 सितम्बर, 1979।

विषयः पेंशन निर्धारण के फारमूले का उदारीकरण-स्लैब पद्धति को लागू करना।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के वर्तमान पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष की औसत परिलब्धियों के 1/80 की दर पर की जाती है जो औसत परिलब्धियों का अधिक से अधिक 33/80 होती है तथा जिसकी अधिकतम सीमा भी रू0 1,000/- प्रतिमाह निर्धारित है। राज्य सरकार ने पेंशन आगणन के फारमूले का उदारीकरण किये जाने के प्रश्न पर विचार किया है। पेंशन आगणन की प्रकिया में लगने वाले श्रम एवं समय को दूर करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि ऐसे समस्त सरकारी सेवक, जो नियमानुसार पेंशन पाने के पात्र है और जो दिनॉंक 31 मार्च, 1979 को अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा सेवानिवृत्त हों, उनकी पेंशन की राशि का निर्धारण निम्नलिखित स्लैबों के अनुसार किया जायेगाः

(1) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के प्रथम 1,000 रूपये तक	औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत
(2) पेंशन के लिये गणना योग्य औसत परिलब्धियों के उससे अगले 500 रूपये तक	औसत परिलब्धियों का 45 प्रतिशत
(3) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों की शेष घनराशि ।	औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत इस प्रतिबन्ध के साथ कि कुल पेंशन पेंशनर को प्राप्त होने वाली राहत की घनराशि को मिलाकर रू01,500 प्रतिमाह से अधिक नही होगी।

2– उपर्युक्त स्लैबों के आधार पर आगणित की गई पेंशन की घनराशि 33 वर्ष की अधिकतम अर्हकारी सेवा से सम्बन्धित होगी। ऐसे सरकारी सेवकों के लिए जिन्होंने सेवा निवृत्ति के 10 वर्ष या इससे अधिकतम की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है परन्तु 33 वर्षों से कम सेवा की हो, उनकी पेंशन की राशि अधिकतम स्वीकार्य पेंशन के उस अनुपात में होगी जो अनुपात उनके द्वारा की गई अर्हकारी सेवा का 33 वर्ष की अधिकतम अर्हकारी सेवा से होता हो। इस सम्बन्ध में पेंशन निर्धारण विषयक कुछ उदाहरण संलग्नक में उपलब्ध है जिनसे, पेंशन की राशि निर्धारित करने में सुगमता एवं मार्ग–दर्शन प्राप्त हो जायगा।

3– उपरोक्त स्लैबों के आधार पर निर्धारित की गई पेंशन तथा वित्त (सामान्य–3) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1386/दस–910–79, दिनॉक 25–6–1979 के पैरा 3 में जारी आदेशों के अनुसार, पेंशन पर प्राप्त होने वाली राहत की घनराशि का योग किसी भी दशा में रू01,500 से अधिक नहीं होगा। यदि पेंशन स्वयं ही रू01,500 प्रतिमाह या इससे अधिक होती है तो 33 वर्ष की पूरी अर्हकारी सेवा के लिए अधिकतम पेंशन रू01,500/– पर प्रतिबन्धित होगी और इस पर कोई राहत देय नहीं होगी।

4– सर्विस, ग्रेच्युटी, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक, पारिवारिक पेंशन अर्हकारी सेवा की सम्पूर्ण 6 माह की अवधि को मानने संबंधी उपबन्ध सहित पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा और रूपये के अंश को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित करने संबंधी स्वीकार्यता के बारे में राज्य सरकार के वर्तमान नियम यथावत् रहेंगे।

5– राज्य सरकार के वर्तमान पेंशन संबंधी नियम उपरोक्त आदेशों के अनुसार संशोधित समझे जायेंगे और औपचारिक संशोधन यथासमय अधिसूचित किये जायेंगे।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद, सचिव

संलग्नक-1-ई (vi)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3-1168/दस-935-87
लखनऊ, दिनॉक 22 जून, 1987

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः-दिनॉक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने के निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनॉक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों तथा सेवारत मृत्यु हो जाने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन की प्रकिया तथा दरों में निम्न संशोधन किए हैं :-

लागू करने की तिथि

2.1- यह आदेश उन सरकारी सेवकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में लागू होंगे जो 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त हुई हो। जो सरकारी सेवक 1-1-86 के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत हो चुके थे उसके सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

2.2- 1-1-86 के बाद सेवानिवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के जिन मामलों में पेंशनें/पारिवारिक पेंशन निर्धारत की जा चुकी हैं उन्हें इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया जाएगा।

परिलब्धियॉं

3.1- इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशनरों एवं मृत्यु सम्बन्धी समस्त लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम-9(21)(1) में परिभाषित मूल वेतन से होगा। पेंशन का आगणन सेवा निवृत्ति के पूर्व ठीक 10 माह के औसत के आधार पर किया जाएगा तथा अन्य पेंशनरी लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम-9(21)(1) में परिभाषित अन्तिम आहरित मूल वेतन से होगा।

3.2- पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु उपरोक्त प्रस्तर-3.1 के अनुसार आगणित परिलब्धियों में मंहगाई के 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता जो शासनादेश

संख्या वे0आ0 715/दस–66–(एम)–1982, दिनॉक 1–4–1986 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था, को भी सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही शासनादेश संख्याःवे0आ0–312/दस–7(एम)–84, दिनॉक 6–2–1985, संख्याःवे0आ0:1 –2425/ दस–7–(एम)–84, दिनॉक 15–10–1985 तथा संख्याःवे0आ0–1–742/दस–7(एम)–84, दिनॉक 1–4–1986 के अन्तर्गत स्वीकृत तदर्थ महंगाई भत्ते को भी यथास्थिति सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन के आगणन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 1–1–86 के उपरान्त स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किस्तों को भी सम्मिलित किया जायेगा। औसत परिलब्धियों के आगणन हेतु महंगाई भत्ते/तदर्थ महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का आगणन सेवा निवृत्ति के पीछे के 10 मासों के औसत के आधार पर किया जायेगा। 1–1–86 के पूर्व के मासों के लिए देय 568 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते को ही परिलब्धियों में जोड़ा जाएगा।

4.1– 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी।

4.2– पेंशन का आगणन 1–1–86 के पूर्व लागू स्लैब सिस्टम के बजाय औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा और उसका अधिकतम 4,500 रू0 होगा।

अतिरिक्त पेंशन के आधार पर राशिकरण

5.1– इन आदेशों के अन्तर्गत किए गए पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यदि पेंशन में वृद्धि हुई हो तो उस वृद्धि के एक–तिहाई के आधार पर राशिकरण की धनराशि भी पुनरीक्षित की जा सकती है और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी

6.1– वर्तमान में अनुमन्य डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के स्थान पर रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी तथा डेथ ग्रेच्युटी के अलग–अलग प्राविधान किए जाते हैं। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16–1/2 गुने के बराबर होगा, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रूपया एक लाख से अधिक नहीं होगी। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

6.2– सेवारत मृत्यु होने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दरें निम्नवत् होंगी :–

सेवा अवधि	डेथ ग्रेच्युटी की दर
1– एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना।
2– एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना।
3– 5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना।
4– 20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नही होगी।

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होंगी। इन दरों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते को सम्मिलित कर लिया गया है :–

मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दर जिसमें 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है।
1–1,500 रू0 से अनधिक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत
2–1,500 रू0 से अधिक किन्तु 3,000 रू0 से अनधिक।	मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450 रू0 प्रतिमाह होगा।
3–3,000 रू0 से अधिक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600 रू0 तथा अधिकतम 1,250 रू0 होगा।

दिनॉक 1–1–86 तथा वर्तमान तिथि के बीच सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

8.1– भारत सरकार द्वारा अपने सेवकों के सम्बन्ध में दिनॉक 1–1–86 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए गये हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु एक वेतन समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिशें अभी अपेक्षित हैं। अतः उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त पेंशनरों की पेंशनों के नए वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। तदुपरान्त उपरोक्त अवधि में सेवानिवृत्त सभी सरकारी सेवकों को यह विकल्प उपलब्ध कराया जाना होगा कि वे पुराने वेतनमानों के तथा पेंशन के आगणन की तत्समय उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करा लें अथवा नए वेतनमानों तथा नई पेंशन व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन कराएं।

8.2– इस अवधि के बीच सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के इस कार्यालय–ज्ञाप के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि कोई पेंशनर उपरोक्त प्रस्तर–8.1 में उल्लिखित वेतन समिति की सिफारिशों पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के पूर्व ही अपनी पेंशन पुनरीक्षित करवाना चाहता है तो उसे यह छूट होगी कि वह अपना प्रार्थना–पत्र उसके पूर्व ही सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेज दें। पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रार्थना–पत्र का प्रारूप भी संलग्न है।

9.1– उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा निगमों आदि के सेवकों पर स्वतः लागू नहीं समझे जायेंगे। उक्त के सम्बन्ध मे सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

वी0के0 सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त

संलग्नक-1-ई (vii)

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्याःसा-3-1720/दस-308-97
लखनऊ : 23 दिसम्बर, 1997
कार्यालय-ज्ञाप

विषयः वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दिनॉक 1-1-1996 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार पुनर्निर्धारण/समायोजन किया जायेगा।

2- यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्याःसा-3-969/दस-923/85, दिनॉक 8-8-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगें।

2- (1) प्रभावी होने की तिथि-

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनॉक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मृत हुए हैं। दिनॉक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृतक सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में विस्तृत प्रकिया के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2–(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनॉक 1–1–1996 अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रकिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसे पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3– (1) परिलब्धियॉं -

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवा निवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम 9 (21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3–(2) "वेतन" से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 1997 की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन से हैं।

3–(3) सेवा निवृत्ति/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4–पेंशन-

पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50% के आधार पर की जायेगी परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू 1275/– प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनॉक 1–1–96 से) के 50% से अधिक नहीं होगी। तदनुसार राज्य सरकार की पेंशन की दर से सम्बन्धी पूर्व व्यवस्था संशोधित समझी जाएगी।

5–सेवा निवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी-

सेवा निवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 3.50 लाख से अधिक नहीं होगी।

6–पारिवारिक पेंशन-

6–(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30% की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 1275/– प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30% तक सीमित होगी। इस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनॉक 1–1–1996 से तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

6–(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा निम्नलिखित होगी :-

(क) दिनॉक 1–1–1996 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है :–

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि तक अथवा 25 वर्ष की आुय तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए, अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो।

उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित है।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा सम्बन्धित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होगें। दिनॉक 1–1–1996 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जाएगा। दिनॉक 1–1–1996 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के पारिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने एवं जीविकोपार्जन से सम्बन्धित मासिक आय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा। शेष व्यवस्थाऐं पूर्ववत् रहेंगी।

7–पेंशन के एक भाग का राशिकरण

पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात् 40% तक की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। राशिकरण के सम्बन्ध में शेष व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

8–जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो जाते है उनकी सेवा निवृत्ति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

(क) जिस अवधि में पुराने वेतनमान में वेतन आहरित किया है उस अवधि का मूल वेतन तथा उस पर देय महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्त जो 1–1–1996 को लागू थी, और

(ख) जिस अवधि मे वेतन पुनरीक्षित हो गया है उसके पुनरीक्षित मूल वेतन की धनराशि।

दिनॉक १-१-१९९६ एवं ३१-१२-१९९७ के मध्य सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था -

9– ऐसे सरकारी सेवक जो दिनॉक 1–1–1996 और 31–12–1997 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं या होगें, को यह विकल्प होगा कि वे अपने पुराने वेतनमान को बनाये रखें एवं पुराने वेतनमान में ही पेंशन एवं डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के निर्धारण कराने का विकल्प दें, ऐसे प्रकरणों में पेंशन एवं डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(1) ग्रेच्युटी की गणना हेतु परिलब्धियों से आशय उस "वेतन" से होगा जैसा कि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है तथा इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1436 अंक के बराबर महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता के प्रथम तथा द्वितीय किस्त की धनराशि सम्मिलित होगी।

(2) पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50% की दर पर की जायेगी। इस प्रकार आगणित पेंशन की धनराशि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 1510 अंक के बराबर महंगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार जो धनराशि आगणित होगी वही पेंशन की धनराशि होगी।

(3) मृत्यु एवं सेवा निवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना उपरोक्त प्रस्तर–9(1) में उल्लिखित परिलब्धि के संदर्भ में अनुमन्य होगी। इस प्रकार के मामलों में ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि रू0 2.50 लाख से अधिक नहीं होगी।

(4) पेंशन के एक भाग का राशिकरण इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन ही किया जायेगा।

(5) पारिवारिक पेंशन की गणना इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन की जायेगी। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन पर मूल्य सूचकांक 1510 पर अनुमन्य दर के समान महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जायेगा और उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि पारिवारिक पेंशन होगी।

10– ऐसे सरकारी सेवक, जो पुराने वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प देते हैं और उनकी मृत्यु सेवारत दशा में दिनॉक 31–12–1997 के उपरान्त हो जाती है, की पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन जैसी भी स्थित हो, की गणना उपरोक्त प्रस्तर–4 से 7 में निहित प्रकिया के अनुसार की जायेगी। इस श्रेणी के

प्रकरणों में "परिलब्धियों" की गणना हेतु पुनरीक्षण से पूर्व के मूल वेतन मूल्य सूचकांक 1510 पर अनुमन्य महंगाई भत्ते की धनराशि तथा अन्तिरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किस्त की धनराशि सम्मिलित की जायेगी।

11– पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

12– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दिनॉक 1–10–1997 से नकद किया जायेगा। दिनॉक 1–1–1996 से 30–9–1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किश्तों में होगा। प्रथम किश्त का भुगतान दिनॉक 31–3–1998 तक किया जाएगा तथा द्वितीय किश्त का भुगतान 31–7–1998 तक किया जायेगा, किन्तु जिन प्रकरणों में दिनॉक 1–1–1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपरोक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें, स्वर्गीय कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त नकद किया जाएगा।

आलोक रंजन
सचिव, वित्त

.....

संलग्नक-1-ई (viii)

शासनादेश संख्याः सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 1989

4- पेंशन अर्ह सेवा :

(क) सेवा प्रारम्भ करने के दिनॉक से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनॉक तक की गयी सेवा पेंशन अर्ह सेवा मानी जाती है। 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की गई सेवा पेंशन अर्ह नहीं होगी। सारी कार्यावधि (ड्यूटी) तथा सारा सवेतन अवकाश, चाहें पूर्ण वेतन पर हो या अर्द्ध वेतन पर, पेंशन अर्ह होगा। वेतन रहित अवकाश निम्नलिखित तीन स्थितियों के अतिरिक्त पेंशन अर्ह नहीं है :-

1- सक्षम चिकित्सक प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर।

2- नागरिक अशान्ति होने के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुनः आने में उसकी असमर्थता अथवा

3- उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण।

निलम्बन की अवधि पेंशन अर्ह नहीं है किन्तु सेवा पुस्तिका में किसी विशेष प्रविष्टि के न होने पर निलम्बन की अवधि अर्ह सेवा में गिनी जायेगी। सेवा में हुआ व्यवधान पेंशन अर्ह नहीं है किन्तु सेवा रिकार्ड में कोई विशेष संकेत न होने पर राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा की दो अवधियों के बीच हुए व्यवधान/व्यवधानों को स्वतः मर्षित माना जायेगा और पेंशन के लिए व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व पेंशन अर्ह मानी जायेगी। सिवाय इसके कि जहॉ अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा से त्याग-पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ हो।

(ख) पूर्ण अर्हकारी सेवा को पूर्ण छमाहियों में परिवर्तित किया जायेगा और ऐसी छमाहियों की गणना करते समय तीन मास या उससे अधिक की अवधि को एक छमाही माना जायेगा। उदाहरणार्थ 29 वर्ष 9 मास की पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष या 60 छमाहियॉ मानी जायेगी।

एफ- पेंशन के सम्बन्ध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम

1– यदि राज्य सरकार का कोई (अस्थायी/स्थायी) कर्मचारी केन्द्र सरकार में सीधे (प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर) सेवा ग्रहण करता है या इन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी राज्य सरकार के कार्यालय में जाता है तो कर्मचारी जहाँ से सेवा निवृत्त होगा वही सरकार उसके सेवा निवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी।

यदि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा, वही सरकार उसके सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। इसी प्रकार यदि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आये या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती से जाय तो उसको सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–सा–3–882/दस–910–84, दिनॉक 9 मई, 1985, शासनादेश संख्याः सा–3–728/दस–98–901–98, दिनॉक 10 जुलाई , 1998 एवं शासनादेश संख्याः सा–3–1984/दस–2001–901–98, दिनॉक 28 दिसम्बर, 2001 क्रमशः संलग्नक–1 –एफ (i), 1–एफ (ii) एवं 1–एफ (iii) के रूप में संलग्न हैं।

2– पुनर्नियुक्ति पर पेंशन :

अधिवर्षिता या सेवानिवृत्तिक पेंशन प्राप्त करने के पश्चात् किसी को, यदि जनहित में आवश्यक न हो, तो न ही पुनर्नियुक्त किया जायेगा और न ही सेवा विस्तार किया जायेगा। किन्तु प्रतिपूर्ति/अशक्तता पेंशन के पश्चात् पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 529 के अनुसार सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सिवाय यदि कोई सरकारी सेवक पेंशन प्राप्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त होता है तो नई सेवा के लिए अलग से पेंशन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। बल्कि पुरानी एवं नई सेवा के योग पर केवल एक ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

यदि सैन्य सेवा से केवल ग्रेच्युटी ही प्राप्त हुई है और राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्त किया जाता है तो ग्रेच्युटी यथा सम्भव अति–शीघ्र वापस कर लिया जायेगा और दोनों सेवाओं के आधार पर पेंशन आदि स्वीकृत किया जाता है। किन्तु सैन्य सेवा से पेंशन

की प्राप्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर नई सेवा के लिए (यदि देय हो) तो अलग से पेंशन आदि की स्वीकृति दी जायेगी।

शासनादेश संख्याः सा–3–1713/दस–87–933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 1989 के "पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश" के बिन्दु 18 (ख) के अनुसार सेवा में भूतपूर्व पेंशनरों की सेवा और सिविल पेंशन मिलाकर रू0 375.00, जो दिनॉक 1–1–1996 से बढ़कर रू0 1275.00 हो गयी है, से कम होती है तो बढ़ाकर रू0 1275.00 कर दी जायेगी, अन्यथा सिविल पेंशन वास्तविक गणनानुसार स्वीकृत की जायेगी।

3– पेंशन स्वीकर्ता :

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याःसा–3–697/दस–26–98, दिनॉक 8–10–1999 एवं शासनादेश संख्याःसा–3–135/दस–2004–26/98, दिनॉक 27–2–2004 के अनुसार राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण का निर्धारण निम्नलिखित के द्वारा किया जायेगा :–

क्रम संख्या I	समूह (शासनादेश संख्या–15/140/81–का–1–03, दिनॉक 7–10–2003 के द्वारा वर्गीकरण)		स्वीकर्ता
1–	'क'	वेतनमान रू0 10000–15200 एवं इससे अधिक वेतनमान के पद	निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
2–	'ख'	वेतनमान रू0 6500–10500 से रू0 8550–14600 के पद	मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन
3–	'ग'	वेतनमान रू0 3050–4590 से रू0 5500–9000 के पद	
4–	'घ'	वेतनमान रू0 3050–4590 से निम्न वेतनमान के पद	सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष

किन्तु सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन आदि की स्वीकृति संबंधी आदेश शासनादेश दिनॉक 8–10–1999 के पूर्व व्यवस्था के अनुसार सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या–सा–3–1761/दस–26–98, दिनॉक 31–10–2000 के द्वारा दिनॉक 30–9–2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस विभाग के समूह 'ख' व 'ग' के कार्मिकों के पेंशन आदि की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश

शासनादेश दिनॉक 8–10–1999 से पूर्व व्यवस्था की भॉति वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा जारी किया जायेगा।

4– पारिवारिक पेंशन :

पारिवारिक पेंशन दो दशाओं में देय होती है –

1– सेवारत मृत्यु की दशा में, अथवा

2– सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु की दशा में।

सेवा निवृत्ति के उपरान्त भविष्य की अनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्तिक पेंशन के साथ–साथ पारिवारिक पेंशन का भी आगणन पेंशन प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) में कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में नियम इस संकलन के भाग–2 के "पारिवारिक पेंशन" शीर्षक में दिये हुए हैं।

.....

संलग्नक–1–एफ (i)

संख्याःसा–3–882/दस–910–84

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉकः 9 मई, 1985

विषयः–भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः सा–3–1239/दस–917–79, दिनॉक 13 सितम्बर, 1982 में यह आदेश जारी किये गये थे कि यदि राज्य सरकार का कोई अस्थायी कर्मचारी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार के अधीन सेवा ग्रहण कर लेता है और अन्ततः वहीं स्थायी हो जाता है तो उसके द्वारा इस शासन के अधीन अर्पित अस्थायी सेवा का लाभ उसकी पेंशन हेतु भारत सरकार के अधीन दिया जायेगा बशर्ते कि उसने उक्त सेवा ग्रहण करने हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमति प्रदान कर दी गई हो। यदि किसी प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसे अपने अस्थायी पद से त्याग–पत्र देना पड़ा हो और त्याग–पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र दे दिया गया हो कि ऐसा त्याग–पत्र उचित अनुमति से प्रशासनिक कारणों से अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया था तो ऐसे मामलों में भी त्याग–पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ दिया जा सकेगा। इसके विपरीत स्थायी कर्मचारियों के मामलों में समान परिस्थितियों में अपने पद से त्याग–पत्र देकर भारत सरकार के अधीन नई नियुक्ति ग्रहण कर लेने पर त्याग–पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ नहीं दिया जाता है।

2– इस सम्बन्ध में भारत सरकार का परामर्श भी प्राप्त किया गया है और तदनुसार शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अस्थायी कर्मचारियों के समान उपरोक्त शासनादेश दिनॉक 13 सितम्बर, 1982 में जारी आदेशों का लाभ स्थायी कर्मचारियों के मामलों में भी समान परिस्थितियों में दिया जायेगा।

भवदीय,

हरगोविन्द डबराल
विशेष सचिव

.....

संलग्नक-1-एफ (ii)

संख्या : सा-3-728/दस-98-901-98

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 10 जुलाई, 1998

विषयः-राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस राज्य सरकार में यह व्यवस्था विद्यमान है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहॉ से वह सेवानिवृत्त होगा वही सरकार उसके नैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। काफी समय से यह मांग की जा रही है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के स्वायत्तशायी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती से जाए तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाये। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के ऐसे उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के उपक्रम/निगम का कर्मचारी राज्य सरकार में आता है तो प्रश्नगत सुविधा उन्हें भी उपलब्ध करायी जाये।

2– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है और संविलीन हो जाता है या उसी परिस्थिति में भारत सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में आता है और संविलीन हो जाता है तो यदि दोनों पद पेंशनेबुल हैं तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा के योग पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे। इसके अतिरक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहाँ राज्य सरकार के सम्बन्धित उपक्रम/निगम में पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो एवं सम्बन्धित कर्मचारी का संविलियन सेवानिवृत्त होने वाले उपक्रम/निगम/सरकार में हो गया हो तथा यदि दोनों ही पद पेंशनेबुल हों, तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे और दोनों अवधियों को जोड़कर सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान उसी संस्थान/सरकार द्वारा किया जायेगा जहाँ से वह अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार के मामलों में कर्मचारी पर वही पेंशन नियम लागू होंगे जैसी कि उस सरकार/उपक्रम/निगम में लागू हों।

(1) जब किसी पेंशनयुक्त संगठन में कार्य कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में संविलियन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गयी सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन के लिए आगणित कराने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी। किन्तु पेंशन संबंधी सुविधायें केवल तभी मिलेंगी जबकि अस्थायी सेवा के बाद उनका स्थायीकरण हो गया हो। यदि वह स्वायत्तशासी निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे सेवान्त प्रसुविधायें उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध है। स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन हो जाते हैं उनके मामलों में भी वही क्रियाविधि लागू होगी।

स्वायत्त निकाय/सरकार में जैसा भी मामला जो संविलियन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेंशन/सेवा उपादान/सेवान्त उपादान तथा मत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान करके सरकार/स्वायत्त निकाय अपने पेंशन दायित्व को पूरा करेगी। अनुपातिक दरों पर पेंशन की राशि

समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेशों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार कर्मचारी यह विकल्प देगा कि वह या तो स्वायत्तशासी निकाय से मिलने वाली अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करेगा अथवा उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा करेगा और राज्य सरकार में पेंशन के लिए अर्ह सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा। इसी प्रकार से सरकारी सेवक स्वायत्त निकाय की सेवा में योगदान करने पर शासन के अधीन सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि संबंधित स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जायगी। ऐसा विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जायगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने से लिए विकल्प दे दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अंन्तिम होगा।

(3) जब किसी स्वायत्तशासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त कर ले और सरकार में नये सिरे से नौकरी शुरू करे या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर दे और सरकार के अधीन पेंशन प्रयोजनों हेतु अर्ह सेवा के रूप में जुड़वाने का विकल्प दे दे। यह विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3– राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश दिनॉक 7–2–1986 से प्रभावी माने जायेंगे।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त ।

संलग्नक-1-एफ (iii)

संख्याःसा-3-1984/दस-2001-901-98

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 28 दिसम्बर, 2001

विषयः-राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-3-728/दस-901-98, दिनॉक 10-7-1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहॉ से वह सेवानिवृत्त होगा वहीं सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। उक्त शासनादेश दिनॉक 10-7-98 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जाये तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाएं। उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति से स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" जहॉ पेंशन व्यवस्था लागू है, में लागू की गयी है। परन्तु उक्त आदेश दिनॉक 10-7-1998 में कतिपय स्थानों पर स्वायत्तशासी निकाय के स्थान पर "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है। जब

कि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि "उपक्रम/निगम' के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनॉक 10–7–1998 की व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम/निगम" में नहीं। अतएव शासनादेश में जहॉं–जहॉं "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द स्थापित माना जाए।

2– "स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50% से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के समविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होंगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है।

3– शासनादेश संख्या सा–3–728/दस–98–901–98, दिनॉक 10–7–98 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त।

.....

2– पेंशन का राशिकरण
(Commutation of Pension)

राशिकरण सम्बन्धी नियम उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम–4, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड रूल्स, 1961 के नियम–9 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेण्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम–8 में दिए गए हैं।

शासनादेश संख्याः सा–3–1720/दस–308–97, दिनॉक 23 दिसम्बर, 1997 के अनुसार दिनॉक 01 जनवरी, 1996 से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात् 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा।

राशिकरण की धनराशि सेवानिवृत्ति की अगली जन्म तिथि को आयु के गणनांक जो संलग्नक–2 (i) में दिये गये हैं, में 12 से गुणा कर एक रूपये का राशिकृत मूल्य मानकर की जाएगी। जैसे 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का एक रूपये का राशिकृत मूल्य – 9.81x12=रू0 117.72 होगा।

पेंशन प्राधिकार पत्र जारी होने के एक वर्ष तक बिना स्वास्थ्य परीक्षा के कोई पेंशनर पेंशन के किसी भाग (अधिकतम 40 प्रतिशत) का राशिकरण करा सकता है किन्तु एक वर्ष के बाद स्वास्थ्य परीक्षा आवश्यक है।

राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन में, पेंशन के राशिकृत भाग के बराबर की कमी, पेंशनर को राशिकरण की धनराशि के भुगतान की तिथि अथवा भुगतान आदेश की तिथि के तीन महीने बाद, जो भी पहले हो, से की जाएगी।

शासनादेश संख्याः सा–3–1587/दस–90–958–80, दिनॉक 23 जुलाई, 1987 एवं सपठित शासनादेश संख्याः सा–3–भा.स.–32/दस–92–958–80, दिनॉक 06 दिसम्बर, 1990, जो कमशः संलग्नक–2(ii) व संलग्नक–2(iii) के रूप में संलग्न हैं, के अनुसार यदि राशिकरण सेवानिवृत्ति के साथ–साथ प्रभावी हुआ तो सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद किन्तु अन्य मामलों में राशिकृत भाग का पुनःस्थापित उस तिथि के 15 वर्ष बाद माना जाएगा जब कि राशिकरण पूर्ण हुआ है अर्थात् राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की धनराशि से अपेक्षित कमी की गयी हो।

नोट :- शासनादेश दिनॉक 23 जुलाई, 1987 के साथ संलग्न प्रारूप–ii पर सूचना महालेखाकार के कार्यालय से पेंशन के राशिकृत भाग की सूचना मंगाने हेतु है। किन्तु वर्तमान समय में पेंशन की स्वीकृति महालेखाकर के कार्यालय से नहीं होती है। अतएव प्रारूप–ii पर सूचना पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी से मंगाना होगा।

संलग्नक–2 (i)

Commutation Table effective from 1st March, 1971 prescribed by Government of India vide Ministry of Finance O.M. - No. 2 (1) - E.V. 71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U.P. Endorsement No. G-2-687/X-5-57, dated March 29, 1971

Commutation Values for a pension of Re. 1 per annum

Age Next birth day	Commutation Value expressed as number of years, purchase	Age Next Birth day	Commutation Value expressed as number of years, purchase	Age Next birth day	Commutation Value expressed as number of years, purchase
	Rs. P.		Rs. P.		Rs. P.
17	19.28	41	15.64	65	08.50
18	19.20	42	15.40	66	08.17
19	19.11	43	15.15	67	07.85
20	19.01	44	14.90	68	07.53
21	18.91	45	14.64	69	07.22
22	18.81	46	14.37	70	06.91
23	18.70	47	14.10	71	06.60
24	18.59	48	13.82	72	06.30
25	18.47	49	13.54	73	06.01
26	18.34	50	13.25	74	05.72
27	18.21	51	12.95	75	05.44
28	18.07	52	12.66	76	05.17
29	17.93	53	12.35	77	04.90
30	17.78	54	12.05	78	04.65
31	17.62	55	11.73	79	04.40
32	17.46	56	11.42	80	04.17
33	17.25	57	11.18	81	03.94
34	17.11	58	10.78	82	03.72
35	16.92	59	10.46	83	03.52
36	16.72	60	10.13	84	03.32
37	16.52	61	09.81	85	03.13
38	16.31	62	09.48		
39	16.09	63	09.15		
40	15.97	64	08.82		

संलग्नक-2 (ii)

शासनादेश संख्याः सा-3-1587/दस-87-958/80, दिनॉक 23 जुलाई, 1987

कार्यालय ज्ञाप

विषयः पेंशन के राशिकृत भाग का सेवा निवृत्ति के १५ वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन (रिन्टोरेशन)।

महोदय,

उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन नियमावली, 1961 की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, उसे स्वीकृत की गयी पेंशन के एक तिहाई भाग से अनधिक धनराशि का, राशिकरण करवा सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित पेंशनर को पेंशन राशिकृत भाग के बदले एक मुश्त धनराशि प्राप्त हो जाती है और राशिकरण कराने के दिनॉक से उसकी पेंशन की धनराशि में से राशिकृत भाग के बराबर कमी करके शेष धनराशि पेंशन के रूप में आजीवन भुगतान की जाती है।

2- पेंशन के इस राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन का मामला पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये है कि ऐसे पेंशनर जिन्होंने अपनी पेंशन के एक भाग का राशिकरण करवाया था उनकी पेंशन से राशिकृत भाग को सेवा निवृत्ति के दिनॉक के 15 वर्ष बाद दिनॉक 1-7-87 से अथवा यदि 15 वर्ष की अवधि 1-7-87 के बाद पूरी होती हो तो उस दिनॉक से पुनर्स्थापित कर दिया जाये।

3- ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/स्वशासी संस्था से संविलीन हो गये हों, और जो अपनी रिटायरिंग पेंशन के एक तिहाई भाग का राशिकरण करवा चुके हों, उन्हें इन आदेशों के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा क्योंकि संविलियन के उपरान्त वे राज्य के सरकारी सेवक नहीं रहते हैं।

4- इस आदेश के अन्तर्गत अनुमन्य प्रसुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित पेंशनर, को संलग्न प्रारूप में उस कोषाधिकारी अथवा बैंक को, जहॉ से वह अपनी पेंशन आहरित कर रहा है, एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पेंशन प्राधिकार पत्र पर पेंशन के राशिकृत भाग का उल्लेख नहीं है तो उस दशा में प्रार्थना-पत्र की एक प्रतिलिपि महालेखाकार को भी भेजी जायेगी और उस दशा में प्रार्थना-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। यदि उसके पेंशन प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) पर राशिकृत धनराशि का उल्लेख है तो सम्बन्धित कोषाधिकारी अथवा बैंक इन आदेशों के अन्तर्गत प्रश्नगत राशिकृत भाग को पुनर्स्थापित (रिस्टोर) कर देंगे और तद्नुसार पेंशन प्राधिकार पत्र पर उसका

उल्लेख कर देंगे किन्तु यदि उस पर राशिकृत भाग का उल्लेख नहीं है तो कोषाधिकारियों/बैंकों को उसके सम्बन्ध में वांछित जानकारी महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से प्राप्त करनी होगी। इस हेतु महालेखाकार को भेजने के लिए पत्र का प्रारूप भी संलग्न है। महालेखाकर से वांछित जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित कोषाधिकारी/बैंक द्वारा उसका उल्लेख पेंशन प्राधिकार पत्र पर दिया जायेगा और उसका पुनर्स्थापन कर दिया जायेगा।

विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रारूप-1

सेवा में,

_____

_____

विषयः सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद पेंशन के राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आदेश संख्याःसा–3–1587/दस–87–958/80, दिनॉक 23 जुलाई, 1987 के प्राविधान के अन्तर्गत मेरी पेंशन के राशिकृत भाग की पुनर्स्थापित (रेस्टोर) करने का कष्ट करें। विवरण निम्नवत् है –

1– पेंशनर का पूरा नाम _____

2– सेवा निवृत्त की तिथि _____

3– विभाग तथा कार्यालय जहॉ से सेवा निवृत्त हुआ _____
(स्थान एवं जिला सहित)

4– पी0पी0ओ0 संख्या _____

5– कोषागार/बैंक की गार्ड फाइल अथवा रजिस्टर संख्या _____

6– मूल पेंशन की धनराशि _____

7– राशिकृत भाग की धनराशि _____

दिनॉकः

पेंशनर के हस्ताक्षर,

पूरा पता :

उपरोक्त विवरण प्रमाणित किया जाता है :

कोषाधिकारी/बैंक के सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील।

इसकी आवश्यकता इस दशा में है जब राशिकृत भाग की सूचना महालेखाकार से मंगवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अग्रसारित किया जाये।

.....

प्रारूप–2

महालेखाकर कार्यालय से पेंशन के राशिकृत भाग की सूचना मंगाने हेतु।

प्रेषक,

_____

_____

_____

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा) द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

विषयः सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद पेंशन के राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन।

महोदय,

श्री _____ पेंशनर पी0पी0ओ0 संख्या _____ने शासनादेश संख्या–सा–3–1587/दस–958/80, दिनॉक 23 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत इस कार्यालय को अपनी पेंशन के राशिकृत भाग को पुनर्स्थापन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। उनके प्रार्थना–पत्र की एक प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया उनके पेंशन राशिकृत भाग की सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं सील

कोषाधिकारी/बैंक के अधिकारी ।

स्थानः
दिनॉकः

संलग्नक-2 (iii)

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3,

शासनादेश संख्याःसा0-3 भा0सा0-32/दस-92- 958-80, दिनॉक 6 दिसम्बर, 1990

विषयः पेंशन के राशिकृत भाग का सेवानिवृत्ति के 15वें वर्ष के उपरान्त पुनर्स्थापना (रिस्टोरेशन)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के आधार पर पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञापे संख्याःसा-3-1587/दस-87-958-80, दिनॉक 23 जुलाई, 1987 में यह आदेश जारी किये गये थे कि पेंशन के राशिकृत भाग को सेवानिवृत्ति के दिनॉक के 15 वर्ष बाद दिनॉक 1-7-1987 से अथवा यदि 15 वर्ष की अवधि 1-7-1987 के बाद पूरी होती हो तो उस दिनॉक से पुनर्स्थापित कर दिया जाये।

2- केन्द्रीय शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब यह स्पष्ट किया गया कि सेवानिवृत्ति की तिथि के 15 वर्ष बाद राशिकरण के पुनर्स्थापन की व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू रहेगी जिनमें राशिकरण सेवानिवृत्ति के साथ-साथ प्रभावी हुआ है तथा अन्य मामलों में राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन उस तिथि के 15 वर्ष बाद माना जायेगा जबकि राशिकरण पूर्ण हुआ हो अर्थात् राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की धनराशि से अपेक्षित कमी की गयी हो। तद्नुसार राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि राशिकरण के पुनर्स्थापन के मामलों में उपर्युक्तानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, किन्तु यदि इस बीच कोई मामले अन्यथा निस्तारित हो चुके हों तो उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

.....

3- उपादान (Gratuity)

उपादान के सम्बन्ध में नियम उ0प्र0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम–3, उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम–5 एवं समय–समय शासन द्वारा जारी आदेशों में दिए हुए हैं।

शासनादेश संख्या : सा–3–1168/दस–935–87, दिनॉक 22 जून,1987 (संलग्नक–1– ई–vi) के पैरा 4.1 के अनुसार "10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी, जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी"।

शासनादेश दिनॉक 22 जून, 1987 के पैरा 6.1 के अनुसार रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी। किन्तु शासनादेश संख्याः सा–3–1720/दस– 308–97, दिनॉक 23 दिसम्बर, 1997 (संलग्नक–1–ई (vii)) के पैरा–5 के अनुसार सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 3.50 लाख होगी।

उपर्युक्त शासनादेश दिनॉक 23–12–1997 के पैरा 3 (3) के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा।

शासनादेश संख्या : सा–3–1713/दस–87–933/89, दिनॉक 28 जुलाई, 1989 के "पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश के पैरा–19 (ख)" के अनुसार 10 वर्ष से कम की अर्ह सेवा होने की दशा में ग्रेच्युटी देयता के लिए सरकारी सेवकों का स्थायी होना आवश्यक है।

शासनादेश संख्याः सा–3–1901/दस–2002–971–80, दिनॉक 30 अक्टूबर, 2002 (संलग्नक-3(i)) के अनुसार सरकारी सेवक के सेवा निवृत्ति पर प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से ब्याज दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रेच्युटी पर साधारण ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गयी है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

पेन्शन के राशिकरण की धनराशि को बिलम्ब से भुगतान किये जाने पर ब्याज देय नहीं होती है।

उपुर्यक्त के अनुसार उपादान के आगणन हेतु निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य है -

(1) सरकारी सेवक 'अ' वेतनमान रू0 4000–100–6000 में कार्यरत था। माह दिसम्बर, 2003 में उसका मूल वेतन रू0 6000 था और 31–12–2003 को 32 वर्ष 2 माह 17 दिन की सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त हुआ।

सेवानिवृत्ति के पूर्व अन्तिम माह की परिलब्धियाँ –

मूल वेतन	रू0 6000.00
महंगाई भत्ता	रू0 3300.00
(दिसम्बर, 03 में महंगाई भत्ता 55%)	
	रू0 9300.00

सेवा अवधि = 32 वर्ष 2 माह 17 दिन
= 64 छमाही

उपादान = 9300/4X64
रू0 1,48,800.00
(रू0 एक लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र)

(2) सरकारी सेवक 'ब' वेतनमान रू0 16400–450–20000 में कार्यरत था। माह दिसम्बर, 2003 में उसका मूल वेतन रू0 20000 था और दिनॉक 31–12–2003 को 33 वर्ष 6 माह की सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त हुआ।

सेवानिवृत्ति के पूर्व अन्तिम माह की परिलब्धियों –

(i)	वेतन –	रू0 20000.00
(ii)	महंगाई भत्ता– –	रू0 11000.00
	योग	रू0 31000.00

सेवा अवधि = 33 वर्ष 6 माह
= 67 छमाही
= 66 छमाही (अधिकतम)

उपादान = 31000/4 X 66
रू0 5,11,500.00

रू0 3,50,000.00 (अधिकतम)
(रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र)

.....

संलग्नक-3 (i)

संख्याःसा-3-1901/दस-2002-971-80

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनॉक 30 अक्टूबर, 2002

विषयः-मृत्यु एवं सेवानिवृत्त "ग्रेच्युटी" के विलम्ब से अदायगी किये जाने पर देय ब्याज के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य देयों का भुगतान समय से करने के संबंध में समय-समय पर विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं। प्रशासनिक कारणों से "ग्रेच्युटी" की अनुमन्य धनराशि के समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस संदर्भ में शासनादेश संख्या-सा-3-684/दस-971/80, दिनॉक 29.4.1983, शासनादेश संख्या-सा-3-1776/दस-971/80, दिनॉक 30.11.84, शासनादेश संख्याःसा-3- 2102/दस-971/80, दिनॉक 6-12-1994, अर्धशासकीय पत्र संख्याः सा-3-902/दस- 99-303/99, दिनॉक 28.9.1999 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-712/दस-2001-305(4) /2000, दिनॉक 17-5-2001 निर्गत किये गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रायः कर्मचारियों द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने की मांग की जाती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्युटी पर

ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गयी है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः ग्रेच्युटी पर तीन माह से अधिक के विलम्ब पर भुगतान की अवधि में नियमानुसार साधारण ब्याज का ही भुगतान अनुमन्य होगा और उसकी दर संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज की दर के समान होगी।

3. अनुरोध है कि ग्रेच्युटी भुगतान पर ब्याज दिये जाने के मामलों में स्पष्ट की गयी उपरोक्त स्थिति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अन्य शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
आनन्द मिश्र
वित्त सचिव।

.....

4- अर्जित अवकाश का नकदीकरण
(Encashment of Earn Leave)

शासनादेश संख्याः सा–4–393/दस–99–200/88, दिनॉक 01 जुलाई, 1999, संलग्नक–4 (i) के अनुसार सेवानिवृत्ति पर अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा 300 दिनों के अधिकतम सीमा के अधीन अनुमन्य है।

शासनादेश संख्याः सा–4–438/दस–2000–203–86, दिनॉक 03 जुलाई, 2000, संलग्नक–4(ii) के अनुसार सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखे में जमा 300 दिन तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्ष को प्रदान किए गए हैं।

शासनादेश संख्याः सा–3–452/दस–2003–503–2003, दिनॉक 26 मार्च, 2003 सपठित शासनादेश संख्याः सा–3–759/दस–2003–503–2003, दिनॉक 19 जून, 2003, जो क्रमशः संलग्नक–4 (iii) व संलग्नक–4 (iv) के रूप में संलग्न हैं, के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय प्रदान की जाने वाली अवकाश नकदीकरण को 'पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ' के अन्तर्गत रखा गया है। भुगतान विभागीय आय–व्ययक से किए जाने के स्थान पर अनुदान संख्या–62 से किया जायेगा।

संलग्नक– 4 (i)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या–सा–4–393/दस–99–200/88
लखनऊ : दिनॉक : 1 जुलाई, 1999

कार्यालय ज्ञाप

विषयः सेवानिवृत्ति आदि मामलों में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवकों को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर, सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते

देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजन की समाप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा कार्यालय ज्ञाप संख्याः जी–4–1002 /दस–200–77, दिनॉक 26 अप्रैल, 1978, संख्याः सामान्य–4–1327/दस– 200–77, दिनॉक 18 जून, 1979, संख्याः सामान्य–4–1687/दस–83–200/77–टी0 सी0, दिनॉक 25 जुलाई, 1983 तथा संख्याःसा–4–1283/दस–200/88, दिनॉक 17 सितम्बर, 1988 में निहित शर्तों के अन्तर्गत 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य हैं।

2– उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 240 दिन के स्थान पर 300 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याःसा–4–1283/दस–200/88, दिनॉक 17 सितम्बर, 1988 में सेवानिवृत्ति के दिनॉक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है :–

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवा निवृत्ति के दिनॉक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनॉक को सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।}$$

उक्त प्रस्तर–2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 240 दिन के स्थान पर 300 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

4– यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

5– सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवंप्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

मु0 हलीम खॉ
सचिव।

संलग्नक-4 (ii)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या- सा-4-438/दस-2000-203-86
लखनऊ : दिनॉक 3 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः सेवानिवृत्ति के दिनॉक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले नकद धनराशि के भुगतान की स्वीकृति अधिकारों का प्रतिनिधायन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनदेश संख्या सा-4-1130/ दस-91-200-77, दिनॉक 07 जनवरी, 1992 द्वारा राज्य सरकार के सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश (240 दिन की अधिकतम सीमा के प्रतिबन्ध के अधीन) की नकदीकरण स्वीकृत करने के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किये गये थे।

2- वेतन समिति उ0प्र0 (1997) के सातवें प्रतिवेदन तथा उस पर लिये गये निर्णयानुसार, सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सीमा को शासनादेश संख्या सा-4-393/दस-99-200-88, दिनॉक 01 जुलाई, 1999 द्वारा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया है। अतः राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखे में जमा 300 दिन तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- ये आदेश दिनॉक 01 जुलाई, 1999 से प्रभावी होंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-4 (iii)

संख्या : सा-3-452/दस-2003-503-2003

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 26 मार्च, 2003

विषयः सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य अवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए बजट व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी "संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची" के नवीनतम संस्करण में सेवानिवृत्ति के समय प्रदान की जाने वाली अवकाश नकदीकरण को "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के अन्तर्गत रखा गया है। इसलिए उक्त अवकाश के नकदीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2003-2004 हेतु बजट व्यवस्था अनुदान संख्या 62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) में निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अर्न्तगत की गयी हैं :-

2071-	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ
01-	सिविल
115-	छुट्टी नकदीकरण हित लाभ
03-	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण

2- अतः वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के नकदीकरण का भुगतान उपर्युक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से किया जायेगा तथा विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों के लिए व्यवस्थित धनराशि से इस प्रयोजन हेतु कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

3– अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभों की भाँति इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय अवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी। अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्राधिकार–पत्र सम्बन्धित विभाग के पेंशन प्राधिकार–पत्र जारी करने वाले अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर सहित सम्बन्धित कोषागार को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षरित प्राधिकार–पत्र के आधार पर अवकाश नकदीकरण की धनराशि का भुगतान पेंशनर को एकाउण्ट पेयी चेक (सिंगिल नेम एकाउन्ट) द्वारा किया जायेगा।

4– कृपया वित्तीय वर्ष 2003–04 से उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव, वित्त।

.....

संलग्नक–4 (iv)

संख्या : सा–3–759/दस–2003–503–2003

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक 19 जून, 2003

विषयः सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य अवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए बजट व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याःसा–3–452/दस–2003, दिनॉक 26 मार्च, 2003 तथा शासनादेश संख्याः बी–1–1498/दस–2003– 3702–2001, दिनॉक 31 मार्च, 2003 के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनॉक 26 मार्च, 2003 के प्रस्तर–3 में भुगतान की निर्धारित प्रकिया को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में शासन को कुछ संदर्भ प्राप्त हुए थे जिन पर विचारोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश दिनॉक 26 मार्च, 2003 के प्रस्तर–3 की व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य अवकाश नकदीकरण के आहरण एवं वितरण की प्रकिया पूर्ववत रहेगी। केवल भुगतान विभागीय आय–व्ययक से किये जाने के स्थान पर अनुदान संख्या 62 के निम्नांकित लेखा शीर्षक से किया जायेगा :–

2071– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेतर)
01– सिविल
115– छुट्टी नकदीकरण हित लाभ
03– सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण
01– दिनॉक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण।
33– पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ।
02– दिनॉक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण।
33– पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ।

2– सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य अवकाश नकदीकरण के स्वीकृत आदेश में उपर्युक्तानुसार पूर्ण लेखा शीर्षक का विवरण अंकित किया जाए।

भवदीय,
नवीन चन्द्र बाजपेई
प्रमुख सचिव, वित्त

• • • • •

5. सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि का भुगतान

सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली, 1985 के नियम–24 के अनुसार सेवानिवृत्ति की स्थिति में समूह 'घ' के कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र 425–ख संलग्नक–5 (i) पर तथा समूह 'घ' से भिन्न अन्य अभिदाताओं को सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत के भुगतान के लिए प्रपत्र 425–क संलग्नक–5 (ii) तथा अवशिष्ट 10 प्रतिशत के भुगतान के लिए प्रपत्र 425–क (भाग–2) संलग्नक–5 (iii) पर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में 6 माह पूर्व तथा अन्य मामले में धनराशि देय होने के दिनॉक से एक माह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

किन्तु सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000 संलग्नक 5 (iv) के अनुसार समूह 'घ' के अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र 425–ख में आवेदन पत्र की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान संलग्नक 5 (v) (प्रपत्र 425–ख) पर अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति की तिथि को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर करेगा।

समूह 'घ' के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में शासनादेश संख्याः सा–4–ए0जी0–58/दस–89–510–84, दिनॉक 12 जनवरी, 1990 (संलग्नक–5 (vi)) एवं सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2000 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र 425–क पर आवेदन पत्र की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र (संलग्नक–5 (vii)) पर चालू एवं पूर्ववर्ती पॉच वर्षों की आगणन/परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनॉक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियॉ एवं पास बुक के साथ निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक–5 (viii)) पर अपने से सम्बन्धित विवरण को पूर्ण कराकर विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उसकी जॉच करके स्वीकृत प्राधिकारी को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा। तदुपरान्त स्वीकृति प्राधिकारी 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने का आदेश देगा और इसकी सूचना परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रपत्र (संलग्नक 5 (ix)) में आहरण एवं वितरण अधिकारी को देगा तथा प्रति

कोषाधिकारी, महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद, विभागीय लेखा अधिकारी एवं अभिदाता को प्रेषित करेगा, ताकि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामलें में सेवानिवृत्ति की तिथि को तथा अन्य मामलों में धनराशि देय होने के दिनॉक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

स्वीकृति प्राधिकारी 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति, पास बुक एवं परिकलन शीट की एक प्रति के साथ लेखा अधिकारी, महालेखाकार (लेखा) इलाहाबाद को अग्रसारित करेगा जिससे अवशिष्ट 10 प्रतिशत भुगतान प्राधिकृत हो सके और पाने वाले को समय से भुगतान हो सके।

.....

संलग्नक-5 (i)

प्रपत्र-425-ख

(समूह "घ" के सरकारी सेवकों के लिए)

भाग-एक

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र।

सेवा में,

_____

_____

(लेखा अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूँ/सेवा निवृत्त हो गया हूँ_____ मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हूँ/ मैंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है _____के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूँ।

2- मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते की सम्पूर्ण धनराशि का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए कृपया प्रबन्ध किया जाय।

3– मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या _____ है। मैं आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से भुगतान लेने का इच्छुक हूँ।

4– भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा वित्त पोषित निम्नलिखित जीवन बीमा पालिसियों को निर्मुक्त किया जाय :–

पालिसी संख्या	जीवन बीमा निगम के शाखा का नाम	बीमाकृत धनराशि
1		
2		
3		
4		

स्थान _____ भवदीय,
दिनॉक _____ हस्ताक्षर)

नाम _____

पता _____

.....

संलग्नक–5 (ii)

चतुर्थ अनुसूची (नियम 24 (5)(क)(4))

प्रपत्र–425–क

(समूह"घ" के सरकारी सेवकों से भिन्न सरकारी सेवकों के लिये)

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र।

सेवा में,

_____

_____

_____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूँ/ _____ मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हूँ। सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका हूँ और मेरा त्याग–पत्र स्वीकार कर

लिया गया है/ दिनॉक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूँ।

2– मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या.....है।

3– 20..... के ..... मास के मेरे वेतन बिल से भविष्य निधि अभिदान के रूप में ..... रूपये की धनराशि की अन्तिम बार कटौती की गयी थी।

4– मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पॉच वित्तीय वर्षों के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है और न कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया है। चालू तथा पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा लिये गये अन्तिम प्रत्याहरण का ब्यौरा/अन्तिम अस्थायी अग्रिम का ब्यौरा और साथ–साथ वसूली का भी ब्यौरा नीचे दिये गये हैं :–

क– अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम–संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनॉक
1		
2		
3		
4		

ख– अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनॉक	किस्तों की संख्या जिनमें धनराशि की वसूली की जानी हो	आवेदन पत्र के दिनॉक तक वसूल की गई किस्तों की संख्या और धनराशि	आवेदन पत्र के दिनॉक तक वसूल न की गयी किस्तों की संख्या और धनराशि	यदि वसूली नियमित न रही हो तो उनके कारण दीजिए
1	2	3	4	5	6

5–मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिए चालू और पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा में मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गयी थी। निम्नलिखित धनराशियाँ प्रत्याहृत की गयी थी :–

क्र0सं0	धनराशि	आहरण का दिनाँक
1–		
2–		
3–		
4–		
5–		
6–		

6– भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन बीमा पालिसियों का ब्योरा जिन्हें निर्मुक्त किया जाना है, नीचे दिया गया है :–

क्र0सं0	पालिसी संख्या	भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमाकृत धनराशि
1–			
2–			
3–			
4–			

7– मैं वचन देता हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूँगा।

स्थान _____ आपका विश्वास पात्र

दिनाँक _____ (हस्ताक्षर)

नाम और पता

. . . . . .

संलग्नक-5 (iii)

प्रपत्र-425-क

भाग-दो

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अन्तिम भुगतान करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र।

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूँ/सेवानिवृत्त हो गया हूँ/_____ मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हूँ/ सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका हूँ और मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है/ दिनॉक____ के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूँ।

2- मैंने अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या _____ में अपने जमाखाते में विद्यमान अति-शेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन-पत्र (उपयुक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। मैं एतद्द्वारा अनुरोध करता हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से कर दिया जाय।

*३- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मेरे नमूना हस्ताक्षर, दो प्रतियों में संलग्न हैं।

स्थान _____ भवदीय,
दिनॉक _____ (हस्ताक्षर)
नाम और पता

---

* पैरा 3 केवल तब लागू होता है जब कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से भुगतान की इच्छा की जाय।

संलग्नक-5 (iv)

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-41/दस-2000-500(1)/99
लखनऊ : दिनॉक : 19 फरवरी, 2000

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000

1- (1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में नियम 24 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (4) और (5) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :- — नियम 24 का संशोधन

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(4) जहॉं अभिदाता समूह "घ" का कर्मचारी हो, वहॉं चतुर्थ अनुसूची में दिये गये प्रपत्र 425-ख में आवेदन, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में साधारण तथा सेवानिवृत्ति के दिनॉक के छः माह पूर्व और अन्य मामलों में उस दिनॉक से जब धनराशि देय हो जाये, एक मास के भीतर लेखा अधिकारी को दिया जायेगा। लेखा अधिकारी समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उसके समान्य भविष्य निधि पास बुक में	(4) किसी अभिदाता के मामलें में, जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्रपत्र 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता के समान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के दिनॉक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के

हुए उसके समान्य भविष्य निधि पास बुक में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनॉक को और अन्य मामलें में धनराशि देय हो जाने के दिनॉक से तीन मास के भीतर करेगा।

(5) (क) अन्य अभिदाताओं के मामलें में चतुर्थ अनुसूची में दिये गये प्रपत्र 425–क में दो आवेदन–पत्र, तीन प्रतियों में, एक सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत भुगतान करने के लिए और दूसरी अवशिष्ट धनराशि के लिए, आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। साधारणतया आवेदन–पत्र अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनॉक के छः माह पूर्व और अन्य मामलों में धनराशि देय होने के दिनॉक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे।

दिनॉक से तीन मास के भीतर करेगा।

(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामलें में आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र 425–क या 425–ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र पर चालू और पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनॉक से एक माह के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियाँ सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा। जो उसकी समुचित जॉच करके उन्हें एक मास के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा–2 में उल्लिखित स्वीकृत प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनॉक को और अन्य

(ख) आहरण एवं वितरण अधिकारी तदुपरान्त विहित प्रपत्र पर चालू तथा पूर्ववर्ती पॉच वित्तीय वर्षों का परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और आवेदन–पत्रों को प्राप्ति के दिनॉक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियों तथा आवेदन–पत्रों की दो प्रतियॉं और सामान्य भविष्य निधि पास बुक विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा जो उनकी समुचित जॉच करके उन्हें एक मास के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा दो में उल्लिखित स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा। ऐसा स्वीकृति प्राधिकारी आवेदन–पत्र पर सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने का आदेश देगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और कोषाधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के मामलों में धनराशि के देय होने के दिनॉक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।

टिप्पणी– जहॉं किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहॉं परिकलन शीट की जॉच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(ख) स्वीकृति प्राधिकारी प्रपत्र 425–क या 425–ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामलें में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनॉक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनॉक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनॉक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनॉक से तीन मास के भीतर

दिनॉक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनॉक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

टिप्पणी:– जहॉ किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहॉ परिकलन शीट की जॉच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(ग) स्वीकृति अधिकारी सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र 90 प्रतिशत अतिशेष के भुगतान आदेश और सामान्य भविष्य निधि पास–बुक के साथ परिकलन शीटों की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामलें में आवेदन–पत्र सेवानिवृत्ति के दिनॉक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनॉक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनॉक से तीन मास के भीतर हो, और अन्य मामलों में धनराशि देय होने के दिनॉक के तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके। भुगतान प्राप्त कर सकें।

आज्ञा से,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संलग्नक- 5 (v)

(कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए)

1– श्री/श्रीमती _____ का भविष्य निधि लेखा संख्या _____है।

2– वह सेवा निवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवा निवृत्ति होगा/होगी _____ मास के लिए सेवा–निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/उसने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है और उसका त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनॉक_____ के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

3– _____ रूपये की अंतिम निधि कटौती और अग्रिम की धनराशि वापस करने के मद्धे_____ रूपये की वसूली उसके वेतन से ___कोषागार के रूपये के बाउचर संख्या _____दिनॉक _____ द्वारा की गयी और उपर्युक्त बाउचर के साथ संलग्न _____ रूपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित की गयी थी।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसे कोई अस्थायी अग्रिम न तो स्वीकृत किया गया और न चालू वर्ष तथा पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो के दौरान उसके भविष्य निधि लेखे से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया।

(या)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण और अन्तिम अस्थायी अग्रिम उसको स्वीकृत किया गया और चालू तथा पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से आहरित किया गया।

क–अन्तिम प्रत्याहरण

क्र0सं0	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनॉक	बाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

ख- अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनॉक	बाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई	यदि वसूली पूरी नहीं हुई तो किस्तों की संख्या और आवेदन–पत्र के दिनॉक तक वसूल न की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

5– प्रमाणित किया गया है कि बीमा किस्त के भुगतान के लिये चालू और पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गयी/ निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गयी :

क्र0सं0	धनराशि	आहरण का दिनॉक	बाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

6– दिनॉक _____ (वह दिनॉक जब धनराशि देय हो गई) को उसके सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनॉक तक देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी है _____ रूपया (अंकों में) _____ रूपया (शब्दों में) है।

7– प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है, अतएव _____ (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को _____ रूपये (अंकों में) _____ रूपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से संबंधित निम्नलिखित वसूलियाँ अभिदाता से की जानी है:–

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि
1 2 3 4		_____ योग

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे _____ रूपये की धनराशि काटने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष में से _____(अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को केवल _____ रूपये (अंको में) _____ रूपये (शब्दो में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

**8– अभिदाता की मृत्यु दिनॉक _____ को हो गयी और मृत्यु के दिनॉक का सत्यापन मृत्यु प्रमाण–पत्र से कर लिया गया है।

दिनॉक _____

लेखा अधिकारी के कार्यालय में
सम्बद्ध पदाधिकारी का हस्ताक्षर
और पदनाम।

** यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो क्रम–संख्या 8 लागू होगी।

• • • • •

(लेखा अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

_____ (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो तो, दावेदार/दावेदारों का नाम) को ____ रूपये (अंकों में) _____ रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

दिनॉक _____

लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर
और मुहर।

.....

संलग्नक- 5 (vi)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-ए0जी0-58/दस-89-510-84
लखनऊ दिनॉक 12 जनवरी, 1990

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः सेवानिवृत्ति/दिवंगत सरकारी सेवकों को भविष्य निधि खाते की धनराशि का अविलम्ब अन्तिम भुगतान/निर्धारत प्रकिया का अनुपालन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा शासन की जानकारी में यह तथ्य लाया गया है कि 1-4-85 के बाद सेवानिवृत्त, दिवंगत सरकारी सेवकों के भविष्य निधि लेखों में जमा अवशेष धनराशि के 90 प्रतिशत का अन्तिम भुगतान उनके विभाग/कार्यालय द्वारा ही किये जाने के लिए वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्याःसा-4-ए0जी0-57/दस-84-510-84, दिनॉक 26-12-84 में निहित स्पष्ट निर्देश तथा सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 के नियम 24 में की गई स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद ऐसे सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खातों की अवशेष धनराशि के शत-प्रतिशत अन्तिम भुगतान की अनेक प्रार्थना-पत्र उनके (ए0जी0 के) कार्यालय को भेजे जाते हैं। शासन ने महालेखाकार द्वारा सूचित इस स्थिति

पर कठोर रूख अपनाया है, क्योंकि इससे जहाँ एक ओर उक्त आदेश, नियम का उल्लंघन होता है वहीं दूसरी ओर न्यूनाधिक भुगतान हो जाने की बराबर सम्भावना बनी रहती है।

2– शासन द्वारा उपरोक्त स्थिति पर गम्भीरता से विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारी के भविष्य निधि खाते के अन्तिम भुगतान के लिए संलग्न प्रपत्र 425–'क' का ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाय और उसका भाग एक या तीन आवश्यकतानुसार भरा जाय तथा उसके बाद ही शेष 10 प्रतिशत के अन्तिम भुगतान का एक प्रार्थना–पत्र भाग दो या चार के साथ महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अग्रसारित किया जाय। जिन मामलों में ऐसी प्रकिया अपनाये बिना महालेखाकार को शत–प्रतिशत अन्तिम भुगतान के प्रार्थना–पत्र अग्रसारित किये जायेंगे उन्हें महालेखाकार कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को इस अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिया जायेगा कि पहले निर्धारित प्रकिया के अनुसार 90 प्रतिशत का अन्तिम भुगतान कर दिया जाय और उसके बाद 10 प्रतिशत के अन्तिम भुगतान का प्रार्थना–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाय।

3– कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

.....

संलग्नक- 5 (vii)

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि- वार्षिक ब्याज की आगणन सीट

अधिकारी/कर्मचारी का नाम..... कार्यालय का नाम तथा पूरा पता .....

लेखा संख्या ..... वित्तीय वर्ष ..... ब्याज की दर .....

भुगतान का मास	वेतन, अवकाश वेतन की सम्बद्ध अवधि	कोषागार बाउचर संख्या एवं दिनाँक	बाउचर की धनराशि	उस भविष्य निधि शिर्ष्मूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो	लेखा शीर्षक	सामान्य भविष्य निधि की कटौती			अस्थायी अग्रिम अथवा अंतिम निष्कासन				मासिक प्रोग्रेसिव योग जिस पर ब्याज का आगणन किया जाता है	अन्य विवरण
						अभिदान	अग्रिम की वापसी	योग	कोषागार बाउचर संख्या व दिनाँक	बाउचर की धनराशि	लेखा शीर्षक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अप्रैल														
मई														
जून														
जुलाई														
अगस्त														
सितम्बर														
अक्टूबर														
नवम्बर														
दिसम्बर														
जनवरी														
फरवरी														
मार्च														
योग														

ब्याज का आगणन

1–धनराशि जिस पर ब्याज का आगणन किया गया
(वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष+उपरोक्त स्तम्भ 14 के योग का मासिक औसत) _____
2–उपरोक्त धनराशि पर रेडीरेकनर के अनुसार ब्याज _____

पिछले वर्ष/वर्षों में असमायोजित धनराशि का विवरण

वर्ष _____
वर्ष _____ जोडिये
वर्ष _____
वर्ष _____

योग _____
ब्याज _____
कुल योग _____

वार्षिक लेखाबन्दी के ब्यौरे

प्रारम्भिक अवशेष ____
(1) वर्ष का अभिदान _____
(2) अग्रिम की वापसी _____
(3) चालू वर्ष का ब्याज ____
(4) प्रोत्साहन बोनस _____
(5) पिछले वर्ष/वर्षों में

असमायोजित धनराशि _____

घटाइये योग .....

(1) वर्ष के दौरान लिये गये अस्थायी अग्रिम एवं अन्तिम निष्कासन .....

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद नाम की मुहर .....

अवशेष अंतिम .....

_____

संलग्नक-5 (viii)

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये)

1– श्री/श्रीमती ..... का भविष्य निधि लेखा संख्या ..... है।

2– वह सेवा निवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवा निवृत्त होगा/होगी ..... मास के लिए सेवा–निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और उसका त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनॉक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवान्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

3– ..... रूपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिये ... रूपये की वसूली उनके वेतन से ..... कोषागार के ..... रूपये के बाउचर संख्या...दिनॉक ..... से किया गया था और उसे उपर्युक्त बाउचर के साथ संलग्न ..... रूपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू तथा पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अंतिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पॉच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे:–

क– अन्तिम प्रत्याहरण

क0सं0	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनॉक	बाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

ख- अस्थायी अग्रिम

क0सं0	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनॉक	बाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1. 2.						

5– प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किश्त के भुगतान के लिये चालू और पूर्ववर्ती पॉच वर्षो के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गयी/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गयी :

क0सं0	धनराशि	आहरण का दिनॉक	बाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1. 2. 3. 4.					

6– दिनॉक ..... (वह दिनॉक जब धनराशि देय हो गई) को उसके सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनॉक तक देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार..... रूपया (अंकों में) ..... रूपया (शब्दों में) है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत ....रूपया होता है।

7– प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव ..... रूपये (अंकों में) ..... रूपये (शब्दों में) जो अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है, का भुगतान ..... (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से संबंधित निम्नलिखित वसूलियाँ अभिदाता से की जानी है :–

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रु0)
1		
2		
3		
4		
	योग	

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे _____ रूपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से_____ (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/ दोवदारों का नाम) को_____रूपये (अंको में)_____रूपये (शब्दो में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

*8– अभिदाता की मृत्यु दिनॉक _____ को हुई। मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है।

9– परिकलन शीट (दो प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन–पत्र सहित _____ को अग्रसारित।

दिनॉक _____

आहरण एवं वितरण अधिकारी का
हस्ताक्षर और मुहर

जॉचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिये

1– प्रमाणित किया गया कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपुर्यक्त गणनाओं की जॉच कर ली है जो सही है।

2– _____रूपये (अंकों में) _____रूपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

3– _____ (स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनॉक _____

जॉचकर्ता लेखा प्राधिकारी का हस्ताक्षर
और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1– _____ (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को _____ रूपये (अंकों में)_____रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2– शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन–पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पास बुक महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अग्रसारित किया गया। सामान्य भविष्य निधि पास बुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस किया जाय।

दिनॉक :_____ स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
और मुहर

.....

संलग्नक–5 (ix)

परिशिष्ट "ग"

(नियम 24(5)(ख))

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में उपलब्ध धनराशि के ९० प्रतिशत के भुगतान की स्वीकृति का प्रपत्र

प्रेषक, संख्याः _____

_____

_____

(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

सेवा में,

_____

_____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

दिनॉक _____20_____

विषयः श्री/श्रीमती _____(अभिदाता का नाम)_____ (पद नाम) _____के सामान्य भविष्य निधि खाता (संख्या _____) में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान।

महोदय,

मैं उपर्युक्त अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाता (संख्या.....) में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु प्रार्थना–पत्र दिनॉक ..... को संलग्न कर रहा हूँ जिस पर मेरे द्वारा रू0..... (अंकों में) रूपया .....(शब्दों में) का भुगतान श्री/श्रीमती ..... (अभिदाता का, और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो दावेदार का नाम) को किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये हैं। आपको एतद्द्वारा उपर्युक्त धनराशि के संबंधित व्यक्ति को अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में कृपया अपनी अनुपालन आख्या मुझको यथाशीघ्र भेंजे।

2– शेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रार्थना–पत्र आगणन शीट्स तथा अभिदाता की जी0 पी0 एफ0 पास–बुक सहित, महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

भवदीय,

स्वीकृति देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

तथा पदनाम।

संख्या ..... दिनॉक .....20.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

(1) कोषाधिकारी .....
(2) महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) .....(चेक करने वाला विभागीय लेखाधिकारी)
(4) ..... (अभिदाता का नाम और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो दावेदार का नाम और पता)

स्वीकृति देने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

6-"उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना"के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित

सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना दिनॉक 1 मार्च, 1976 से लागू की गयी।

पुनः दिनॉक 1 मार्च, 1980 से "सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाने लगा है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवक के वेतन से एक निश्चित धनराशि की कटौती की जाती है, जिसमें से एक भाग बचत निधि में तथा एक भाग बीमा निधि में जमा की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत अद्यतन (दिनॉक 01-9-03 से) अभिदान आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः एस0ई0-2474/दस-2003-बीमा-19/2002, दिनॉक 31-7-2003 एवं दिनॉक 1-3-1976 से समय-समय पर लागू अभिदान आदि की दरों की सूची क्रमशः संलग्नक-6 (i) व 6-(ii) के रूप में संलग्न है।

सेवानिवृत्ति/सेवा से अन्यथा पृथक होने पर सरकारी सेवक को 'सामूहिक बीमा एवं बचत योजना' के बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित वापस प्राप्त हो जाती है।

शासनादेश संख्याः बीमा-768/दस-99/61/ए/99, दिनॉक 16 जुलाई, 1999 (संलग्नक-6 (iii)) के द्वारा दिनॉक 1-10-1999 से समस्त सरकारी सेवकों के "सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के देय धनराशि के दावे आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के स्थान पर सम्बन्धित "कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक" को भेजे जाते हैं।

अतएव सेवानिवृत्ति की स्थिति में सरकारी सेवक के बचत निधि में जमा धनराशि (ब्याज सहित) के भुगतान की कार्यवाही उक्त शासनादेश दिनॉक 16-7-1999 में निहित व्यवस्था के अनुसार दिनॉक 1-10-1999 से सुनिश्चित होती है।

संलग्नक-6 (i)

संख्याःएस0ई0-2474/दस-2003-बीमा-19/2002

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई, 2003

विषयः- "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-बीमा-959/दस- 93-189(ए)/89, दिनॉक 25 जून, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्याः प0मा0नि0-356/दस-22(एम)/97, दिनॉक 23 दिसम्बर, 1997 द्वारा दिनॉक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 25 जून, 1993 द्वारा पुराने वेतनमानों के आधार पर किये गये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान व आच्छादन के वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाली विसंगतियो के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय दिनॉक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर उक्त योजना में निम्न तालिका के अनुसार मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करते हैः-

क्रमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक	120	36	84	1,20,000

2.	वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से 13,500 तक	60	18	42	60,000
3.	वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	30	9	21	30,000

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा :–

(क) उक्त आदेश दिनॉक 1–9–2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

(ख) जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनॉक 1–1–1996 के पूर्व रू0 1350–30–1440–40–1800–द0रो0–50–2200 था तथा दिनॉक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–125–7000 हो गया है, के वेतन से दिनॉक 31 अगस्त, 2003 तक मासिक अभिदान रू0 30 की दर से लिया जायेगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 30,000 होगी, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात् अर्थात् दिनॉक 1 सितम्बर, 2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान की दर रू0 60 तथा बीमा आच्छादन की धनराशि 60,000 होगी।

(ग) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।

(घ) वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा समूहों के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
आनन्द मिश्र,
सचिव।

संलग्नक-6 (ii)

"उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत दिनॉक 01 मार्च, 1976 से समय-समय पर लागू अभिदान आदि की दरें निम्नवत् हैं:-

1. शासनादेश संख्याः सा-3-832/दस-14/76, दिनॉक 24.5.1976 के द्वारा दिनॉक 01 मार्च, 1976 से लागू दरें :-

अधिकारियों/ कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक अभिदान की दर (रू0)	शासकीय अंशदान (मासिक) (रू0)	थरस्क प्लान (वार्षिक) (रू0)	डिपाजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान (वार्षिक) (रू0)	बीमा आच्छादन की धनराशि (रू0)
समूह 'क' 'ख' 'ग' 'घ'	10	0.85	44.64	85.60	12,000

2. शासनादेश संख्याः बीमा-1/दस-2-80, दिनॉक 19.2.1980 एवं शासनादेश संख्याः बीमा-235/दस-2/1980, दिनॉक 12 मई, 1980 के द्वारा दिनॉक 01 मार्च, 1980 से लागू दरें:

अधिकारियों/ कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक अभिदान की दर (रू0)	शासकीय अंशदान (मासिक) (रू0)	रिस्क प्लान (वार्षिक) (रू0)	बचत प्लान (वार्षिक) (रू0)	बीमा आच्छादन की धनराशि (रू0)
समूह- 'क' 'ख' 'ग' 'घ' (i) रू0 165-215/170-225 के ऊपर के वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए	20	1.70	93.00	167.40	25,000
(ii) वेतनमान रू0 165-215/170-225 के कर्मचारियों के लिए	10	0.85	44.64	85.60	12,000

3. शासनादेश संख्याः बीमा–1316/दस–16–80, दिनॉक 21.10.1981 के द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दिनॉक 1.10.1981 से समूह 'घ' के भी सभी कर्मचारियों के वेतन से कटौती रू0 20 प्रतिमाह की दर से की जाने लगी है। तद्नुसार बीमा आच्छादन की धनराशि रू025000 हो गयी।

4. शासनादेश संख्याः बीमा–2627/दस–87/83, दिनॉक 29.10.1984 के द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के लिए दिनॉक 1.3.1985 से लागू दरें।

अधिकारियों की श्रेणी	मासिक अभिदान की दर (रू0)	बैमा निधि (रू0)	बचत निधि (रू0)	बीमा आच्छादन की धनराशि (रू0)
समूह 'क'	80	25	55	80,000
'ख'	40	12.50	27.50	40,000

5. शासनादेश संख्याः बीमा–994/दस–86–18/1986, दिनॉक 30.4.1986 के द्वारा वर्ष 1986–87 से राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों से लिये जाने वाले अभिदान में 'बीमा निधि' पर शासन द्वारा अंशदान दिया जाना बंद कर दिया गया है।

6. शासनादेश संख्या : बीमा–1027/दस–90–87/1983, दिनॉक 5.7.1990 के द्वारा दिनॉक 01.03.1990 से लागू दरें।

अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी	मसिक अभिदान की दर (रू0)	बीमा निधि (रू0)	बचत निधि (रू0)	बीमा आच्छादन की धनराशि (रू0)
समूह 'क'	120	36	84	1,20,000
'ख'	60	18	42	60,000
'ग'	30	9	21	30,000
'घ'	30	9	21	30,000

7. शासनादेश संख्याः बीमा–959/दस–93–189अद89, दिनॉक 25.6.1993 के द्वारा दिनॉक 01.7.1993 से लागू दरेंः–

वेतनमान	मासिक अभिदान की दर (रू0)	बीमा निधि (रू0)	बचत निधि (रू0)	बीमा आच्छादन की घनराशि (रू0)
1. वेतनमान का अधिकतम रू0 4001 या इससे अधिक	120	36	84	1,20,000
2. वेतनमान का अधिकतम रू0 2300 से रू0 4000 तक	60	18	42	60,000
3. वेतनमान का अधिकतम रू0 2299 तक	30	9	21	30,000

8. शासनादेश संख्याःएस.ई.–2474/दस–2003–बीमा–19/2002, दिनॉक 31 जुलाई, 2003 के द्वारा दिनॉक 01 सितम्बर, 2003 से लागू दरेंः–

वेतनमान	मासिक अभिदान की दर (रू0)	बीमा निधि (रू0)	बचत निधि (रू0)	बीमा आच्छादन की घनराशि (रू0)
1. वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक	120	36	84	1,20,000
2. वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से रू0 13500 तक	60	18	42	60,000
3. वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	30	9	21	30,000

.....

संलग्नक-6 (iii)

संख्याःबीमा-768/दस-99/61/।/99

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनॉक 16 जुलाई, 1999

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान प्रकिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

शासनादेश संख्या बीमा-145/दस-94-55(बी)/1992, दिनॉक 5 फरवरी, 1994 द्वारा दिनॉक 1 मार्च, 1994 से समस्त सरकारी सेवकों के सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के देय धनराशि के दावे आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सीधे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जाने एवं निदेशालय द्वारा कर्मचारी/लाभार्थी के नाम चेक बनाकर सीधे संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के आदेश इस निर्देश के साथ प्रसारित किये गये थे कि उक्त चेक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी/ लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपरोक्त निर्धारित की गयी प्रकिया में शासन द्वारा कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि वर्तमान व्यवस्था में, पूरे प्रदेश के दावे मात्र लखनऊ स्थित निदेशालय में प्रस्तुत करने से जहॉ विलम्ब एवं कर्मचारी/लाभार्थी को तरह-तरह की असुविधा होती है, वहीं सामूहिक बीमा निदेशालय स्तर पर प्रदेश के सभी आहरण-वितरण अधिकारियों की सूची रखना तथा उनके हस्ताक्षर नमूने को अद्यावधिक रखना कठिन कार्य है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनॉक 1 अक्टूबर, 1999 से बीमा एवं बचत योजना के दावे का भुगतान कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक के माध्यम से

बचत एवं बीमा निधि की धनराशि के भुगतान हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जाय :-

(1) दिनॉक 30 सितम्बर, 1999 को सेवानिवृत्ति अथवा मृतक अधिकारी/कर्मचारी के दावे जी0पी0एफ0 की भॉति कोषागार के लिये निर्धारित सामान्य देयक प्रपत्र पर दावा तथा आगणन शीट संलग्न कर संबंधित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भेजा जायेगा। मुख्यालय से बाहर भुगतान की मांग पर गवर्नमेंट बिजनेस ब्रांच से निःशुल्क सरकारी ड्राफ्ट भी बनवाया जा सकता है, बिल फार्म पर बजट साहित्य के खण्ड-2 में मुख्य लेखा शीर्षक 8011-बीमा एवं पेंशन निधियों के अन्तर्गत लघु शीर्षक/उप शीर्षक आदि दर्शाया जाय। निर्धारित सूचना/लेखा सामूहिक बीमा निदेशालय एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को कोषागार के अन्य लेखों/इनपुट जो वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भेजा जाता है, के साथ पूर्व निर्धारित तिथि तक विशेष वाहक द्वारा भेजा जायेगा।

(2) राज्य कर्मचारी बीमा योजना निधि नियमावली, 1980 के प्राविधानों के अधीन सरकारी सेवकों से प्राप्त मासिक अभिदान को प्रारम्भिक लेखा संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रखा जायेगा। बीमा एवं बचत निधि की प्राप्तियों तथा इससे भुगतान की धनराशियों का लेखा-जोखा निदेशक, राज्य सामूहिक बीमा द्वारा रखा जायेगा। निधि के लेखों का समग्र रूप से रख-रखाव प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पूर्ववत् किया जायेगा।

(3) निदेशालय स्तर से पूर्व की भॉति बजट नियंत्रण, बजट अनुमान तैयार करना, राज्य स्तरीय लेखों का संकलन, कोषागार के बाउचर्स/कटौतियों के आधार पर महालेखाकार कार्यालय से प्रतिमाह लेखों का मिलान, उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलन्ट फण्ड संबंधी समस्त कार्य, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सामूहिक बीमा संबंधी समस्त कार्य, सामूहिक बीमा संबंधी राज्य स्तरीय समन्वय, आहरण-वितरण अधिकारियों/कोषागारों द्वारा वांछित मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण पर निर्देश/मार्गदर्शन, आहरण-वितरण अधिकारी/कोषागार का निरीक्षण/सम्प्रेक्षा आदि किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों/ प्रपत्रों/एन0आई0सी0 के सहयोग से रेडीरेकनर का संकलन/प्रकाशन तथा वांछित स्तरों को यथा समस्त कोषागार, आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराने का कार्य बीमा निदेशालय

द्वारा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बीमा निदेशालय द्वारा निम्नांकित कार्य भी सम्पादित किया जायेगा:–

(क) कोषागार के कैशबुक में पूर्णतया में 8011–बीमा एवं पेंशन निधियों के प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष से डी0डी0ओ0 वार भुगतान के योग से मिलान, दोहरे भुगतान आदि पर नियंत्रण रखना।

(ख) समय–समय पर नियमों एवं प्रक्रियाओं में वांछित परिवर्तन को शासन के संज्ञान में लाना तथा शासन से परिवर्तन आदि की स्वीकृति के बाद कोषागार, डी0डी0ओ0 आदि को अवगत/प्रशिक्षित करना।

(ग) राज्य स्तर पर सामूहिक बीमा संबंधी सम्प्रेक्षा आपत्तियों के अनुपालन का अनुश्रवण, ड्राफ्ट/लोक लेखा समिति के प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही।

(घ) लम्बित मुकदमों के निस्तारण पर प्रभावशाली कार्यवाही एवं शिथिलता पर दायित्व निर्धारण।

(4) शासनादेश संख्या बीमा–2084/दस–87–10/1987, दिनॉक 31 जुलाई, 1987 के अनुसार सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का प्रेषण जी0आई0एस0 फार्म संख्या–26 पर प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार सेवारत मृत अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरण में जी0आई0एस0 फार्म–27 पर प्रस्तुत किया जायेगा (मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं नामांकन सहित)। दोनों प्रपत्रों में मात्र इतना संशोधन किया जाए कि प्रेषण "निदेशक, राज्य सामूहिक बीमा निदेशालय" के स्थान पर संबंधित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक के अधिकारी को संबोधित किया जाय। कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक में प्राप्त होने वाले तीन दावा प्रपत्रों में एक दावा प्रपत्र आहरण हेतु प्रस्तुत "कोषागार सामान्य देयक प्रपत्र" के साथ लगाया जायेगा, दूसरा सामूहिक बीमा निदेशालय को भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों के साथ भेजा जाए, तीसरी प्रति कोषागार/पे एण्ड एकाउण्ट आफिरा/इरला चेक में सम्प्रेक्षा आदि हेतु सुरक्षित रखी जायेगी। मृत्यु के प्रकरण में मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं नियमानुसार नामांकन दावा के साथ प्रेषित किया जाय।

(5) आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–26 या 27 (जैसी स्थिति हो) प्रस्तुत होने से तीन कार्य दिवसों के अधीन दावे का परीक्षण, आहरण–वितरण

अधिकारीवार बनाये गये लेजर (संलग्न जी0आई0एस0 प्रपत्र–28) पर प्रविष्टि करके निस्तारित करना अनिवार्य होगा। जॉच के बाद यदि दावा सही पाया जाय तब उसे कम्प्यूटर पर उपलब्ध साफ्टवेयर की सहायता से कटौतियों की धनराशि एवं अवधि के आधार पर ब्याज का आगणन किया जाय। कटौती की धनराशि में आगणित ब्याज शामिल करते हुए बचत निधि की आगणन शीट तैयार करना चाहिये। आगणन शीट तीन प्रतियों में तैयार की जानी चाहिये। एक प्रति कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक की दावा पत्रावली में तथा दो प्रति आहरण वितरण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (संलनग्क जी0आई0एस0 प्रपत्र–29) पर भेजनी चाहिये। आहरण–वितरण अधिकारी को चाहिये कि दावा प्रस्तुत करने के दिनॉक से तीन कार्य दिवसों में एक प्रति दावा तथा प्रति आगणन शीट कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक से प्राप्त कर लें। आगणन प्राप्त होने के दिनॉक से दो दिन के अन्तर्गत जिस प्रपत्र पर सामान्य भविष्य निधि का आहरण होता है (कोषागार सामान्य देयक प्रपत्र), पर देय धनराशि का विवरण, मुख्य लेखा शीर्षक 8011–बीमा तथा पेंशन निधियॉ एवं उसके अधीन अन्य सुसंगत लेखा शीर्षक का उल्लेख, दावा की एक प्रति, आगणन शीट की एक प्रति (जो कोषागार द्वारा उपलब्ध करायी गई हो) संलग्न कर कोषागार में उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाय जिस प्रकार आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा अन्य अधिष्ठान संबंधी देयक (बिल) कोषागार में प्राप्त कराये जाते हैं। आहरण–वितरण अधिकारी को देयक पर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि चेक कर्मचारी/लाभार्थी के नाम निर्गत किया जाय जिसका बैंक खाता संख्या दर्शाया गया है। बैंक तथा शाखा का नाम एवं खाता संख्या इस प्रकार के देयक प्राप्त होने के दिनॉक से दो कार्य दिवसों के अधीन कर्मचारी/लाभार्थी के नाम कोषागार के चेक/निर्धारित चेक एकाउन्ट पेयी" लिखकर चेक निर्गत किया जाय तथा आहरण–वितरण अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय। आहरण–वितरण अधिकारी का निजी दायित्व होगा कि विलम्बतम तीन दिन के अन्तर्गत कर्मचारी/लाभार्थी को चेक निर्धारित प्राप्त रसीद लेकर उपलब्ध करावें। यदि किसी प्रकरण में दी गई समय–सारिणी में विलम्ब हो तब दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण अभिलेखों में दर्शाया जाय कि विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है?

(6) सामूहिक बीमा दावा पंजी के प्रपत्र–28 के सभी स्तम्भों को सही ढंग से

भरना चाहिये तथा चेक हस्तान्तरण के साथ–साथ कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक के अधिकारी द्वारा आवश्यक अभ्युक्ति के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा।

(7) प्रतिमाह लेखा तैयार करने के साथ–साथ निर्धारित तिथि पर महालेखाकर–1 के कार्यालय में सामूहिक बीमा संबंधित बाउचर, पोस्टिंग शिड्यूल आदि उपलब्ध कराया जाय। प्रत्येक कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक द्वारा विशेष वाहक से विलम्बतम् 10 तारीख तक इनपुट भेजने का प्राविधान है। अतः इनपुट के साथ सामूहिक बीमा निदेशालय को उसी विशेष वाहक से निम्नलिखित अभिलेख भेजे जायें:–

(क) दावा पंजी (जी0आई0एस0 प्रपत्र–28) के प्रारूप पर प्रतिमाह दावे के भुगतान का विवरण तथा लम्बित दावे की सूचना।

(ख) प्रत्येक दावे की एक प्रति (प्रपत्र 26 या प्रपत्र 27)

(ग) आगणन शीट संबंधी आदेश की एक प्रति।

(घ) 8011–बीमा एवं पेंशन निधियों के अधीन कुल प्राप्तियों तथा श्रेणीवार प्राप्तियाँ, जैसा कि वेतन बिल के साथ प्रपत्र में कटौतियों के अधीन दर्शाया गया है (वर्ग "क" तथा "ख" के अधीन)

(ड.) 8011–बीमा एवं पेंशन निधियों के अधीन भुगतान प्रपत्र 47 ख पोस्टिंग शिड्यूल की प्रति।

(च) 8011–बीमा एवं पेंशन निधियों के अधीन निर्गत चेक के आधार पर पेड/अनपेड चेक तथा कालातीत चेक का विवरण।

(8) सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा कोषागार से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर राज्य स्तरीय लेखा–जोखा तैयार कर महालेखाकार को बी0एम0 12 तथा शासन के वित्त विभाग को बी0एम0–13 प्रपत्रों पर मासिक सूचना भेजेंगे। प्राप्त सूचनाओं में किसी भी प्रकार की कमी से सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल अवगत करावेंगे एवं तब तक उसका अनुश्रवण करेंगे जब तक कमी दूर न कर ली जाय।

(9) समस्त आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को चाहिये कि प्रत्येक 15 जनवरी तक अगले दो कलैण्डर वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का वर्गवार विवरण संबंधित कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। बचत निधि पर

अनुमानित व्यय तथा अनुभव के आधार पर बीमा निधि के भुगतान का बजट अनुमान का प्रस्ताव–कोषागार/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस/इरला चेक द्वारा बीमा निदेशालय को तथा बीमा निदेशालय द्वारा शासन को निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाय।

(10) सामूहिक बीमा निदेशालय के अधिकारी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को प्रभावशाली ढ़ंग से लागू करने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियें को तत्काल प्रशिक्षित करने हेतु शासनादेशों का संग्रह तथा अन्य अध्ययन सामग्री तैयार कर वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ से सम्पर्क कर कार्यवाही करें।

(11) सामूहिक बीमा में कम्प्यूटर आगणन के साफ्टवयर में एन0आई0सी0 के सहयोग से यथा वांछित परिवर्तन कराकर कोषागार के कम्प्यूटर में "लोड" कराने तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

(12) एन0आई0सी0 की राज्य इकाई के सहयोग से प्रतिवर्ष ब्टौतियों की तिथि/धनराशि के आधार पर "रेडी रेकनर" बनवाया जाय एवं सभी स्तरों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(13) 30 सितम्बर, 1999 तक के दावे सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा पूर्व प्रकिया की भॉति निस्तारित किये जायें।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन निर्धारित स्तरों पर तत्काल से किया जाय जिससे कियान्वयन में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। शासनादेश संख्याः 145/दस– 94–55(बी)/92, दिनॉक 05 फरवरी, 1994 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नकः उपर्युक्त

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव, वित्त

.....

जी०आई०एस० प्रपत्र संख्या - 28

राज्य सामूहिक बीमा दावा पंजी

(कोषागार .....)

आहरण वितरण अधिकारी .....(पदनाम)

विभाग .....

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पद नाम	लाभार्थी का नाम	कर्मचारी के सम्मुख तथा सेवा निवृत्ति/ पृथक/मृत्यु की तिथि	योजना में कटौती कब से कब तक	दावा प्राप्त होने की तिथि तथा कुल कटौती की धनराशि	आगमन/ आपत्ति की तिथि/ विवरण	बाउचर संख्या	बचत निधि रूपय	बीमा निधि रूपय	कुल देय धनराशि रूपये	चेक संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जी०आई०एस० संख्या-29

पत्रांक _____

दिनॉक _____

प्रेषक,

कोषागार अधिकारी,

_____

सेवा में,

_____

_____

(आहरण वितरण अधिकारी)

विषयः– _____(नाम) के सामूहिक बीमा की कटौतियों के आधार पर देय धनराशि का आगणन।

महोदय,

आप द्वारा प्रेषित श्री/श्रीमती _____ पदनाम _____ से संबंधित सामूहिक बीमा की कटौतियों के विवरण के आधार पर ब्याज के आगणन के बाद बचत निधि में रूपये _____(शब्दों में) _____कर्मचारी/लाभार्थी बीमा निधि में रूपये _____ (शब्दों में) _____ को कुल रूपये _____ (शब्दों में) _____ देय होगा।

कृपया दावा की एक प्रति एवं आगणन शीट आदेश (इस पत्र) की एक प्रति संलग्न करते हुये "कोषागार सामान्य देयक प्रपत्र" पर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करें। शासनादेश के अनुसार इस पत्र के प्राप्त होने के दिनॉक से दो दिन में कोषागार में बिल प्रस्तुत करना तथा चेक प्राप्त होने के तीन दिन के अन्तर्गत कर्मचारी/लाभार्थी को चेक उपलब्ध कराना होगा।

संलग्नकः उपर्युक्त

भवदीय,

कोषागार अधिकारी ।

जी0आई0एस0 फार्म संख्या–26
(प्रथम पृष्ठ)

(यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सभी स्तम्भों को संबंधित कार्यालय द्वारा भरकर सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित करना है)

(सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवा से पृथक होने वाले अधिकारी/कर्मचारी (मृत्यु की दशा को छोड़कर) का दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ :–

1– अधिकारी/कर्मचारी का नाम _____
2– पिता/पति का नाम _____
3– पद नाम _____
4– राजपत्रित/अराजपत्रित _____
5– वेतनमान _____
6– राजपत्रित के मामलों में –
(क) समूह "क" में आने का दिनॉक _____
(ख) समूह "ख" में आने का दिनॉक _____
7– (क) विभाग _____
(ख) विभागाध्यक्ष _____
8– जन्म तिथि–
(क) अंकों में _____
(ख) शब्दों में _____
9– (अ) सेवा में नियुक्ति का दिनॉक _____

(ब) योजना में प्रवेश का दिनॉक _____

10– (अ) रू0 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ___ से ___तक

(ब) रू0 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ___से ___तक

(स) रू0 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ___से___तक

(द) रू0 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ___ से___तक

11– योजना से निर्गमन की तिथि _____

12– योजना से निर्गमन का कारण _____

13– (अ) लाभग्रही का नाम _____

(ब) पता _____

(स)संबंध _____

1– प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी अल्पकालीन रिक्तियों अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्त नहीं था।

2– प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी से सामूहिक बीमा योजना संबंधी कटौती नियमित रूप से एवं निर्धारित दर से अधिकारी/कर्मचारी की अधिवर्षता आयु/सेवा से अन्यथा पृथक होने तक की गयी है।

3– प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी की जन्म तिथि का सत्यापन संबंधित अभिलेखों से कर लिया गया है।

4– प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी के दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है और इससे पूर्व अधिकारी/कर्मचारी को देय सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

5– मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि उपरांकित विवरण सही हैं और उक्त विवरणों के आधार पर दावें के भुगतान का आग्रह करता हूँ। मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्रही से रसीदी स्टैम्प लगी भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूँगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित कर दूँगा।

कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण एवं वितरण अधिकारी के
हस्ताक्षर

दिनॉक _____
स्थान _____

स्ताक्षरकर्ता का नाम _____
ताक्षरकर्ता का पद नाम _____
कार्यालय की मोहर _____

संख्या-26 (द्वितीय पृष्ठ)

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे किन्तु दावा प्रेषण से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी इस प्रपत्र पर अपने समुहर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेंगे

क्रम संख्या	कर्मचारी/लाभार्थी का नाम	माह और वर्ष		अभिदान की संख्या	बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित में	बचत निधि में जमा धनराशि अतिरिक्त दिया गया धन	योग	टिप्पणी
		योजना में प्रवेश का	योजना से निकलने का					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हम एतद्द्वारा शासन से रू0 .....(रूपया .....) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अनुबन्ध दिनॉक ..... के अन्तर्गत देय हुई, संपूर्ण दोष सहित दावों के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....

जी0आई0एस0 फार्म संख्या–27 (यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सामूहिक
(प्रथम पृष्ठ) बीमा निदेशालय को प्रेषित करना है)

(केवल राज्य सरकार के सेवारत मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत मृत अधिकारी/कर्मचारी का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ:–

1–(अ) अधिकारी/कर्मचारी का नाम _____
(ब) पिता/पति का नाम _____
2–(अ) पदनाम _____
(ब) राजपत्रित/अराजपत्रित _____
(स) वेतनमान _____
(द) राजपत्रित के मामलों में
(अ) समूह "क" में आने का दिनॉक _____
(ब) समूह "ख" में आने का दिनॉक _____
(त) विभाग _____
(थ) विभागाध्यक्ष _____
3– जन्म तिथि–
(क) अंकों में _____
(ख) शब्दों में _____
4– (अ) सेवा में नियुक्ति का दिनॉक _____
(ब) योजना में प्रवेश का दिनॉक _____
5– (अ) रू010 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ___ से _____तक
(ब) रू0 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ____से _____तक
(स) रू0 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि ____से_____तक

(द) रू0 80 प्रतिमाह अमिदान देने की अवधि _____से_____तक

6– मृत्यु की तिथि _____

7– अधिकारी/कर्मचारी विवाहित था अथवा अविवाहित _____

8– यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक से अधिक विवाह किया गया हो तो निम्न विवरण दिया जाए एवं यदि दूसरा विवाह अनुमति से किया गया है तब अनुमति सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।

	नम	विवाह की तिथि	उनसे उत्पन्न संतानों के नाम	जन्म तिथि
पहली पत्नी दूसरी पत्नी				

9– यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसके जीवनकाल में सामूहिक बीमा योजना संबंधी नामांकन पत्र भरा गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें भी उपलब्ध करायें :–

क्रम संख्या	नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/ जन्म तिथि	प्रत्येक को देय अंश	संरक्षक का नाम (अवयस्क होने की दशा में)	नामितों में से किसी की मृत्यु हो गयी हो तो मृत्यु का दिनॉक भी अंकित करें।
1	2	3	4	5	6	7

यदि नामितों में कोई अवयस्क हो और नामांकन प्रपत्र में संरक्षक का नाम अंकित न हो तो सक्षम न्यायालय द्वारा उसके नियुक्त किये गये संरक्षक के संबंध में जारी संरक्षता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।

10– यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी नामांकन पत्र न भरा गया हो तो अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु दिनॉक को शासनादेश संख्याः

बीमा–56/दस– 86–36/1981, दिनॉक 10 जनवरी, 1986 के प्रस्तर–3(ग) में दिये गये कमानुसार परिवार के सदस्यों की स्थिति स्पष्ट करें :–

कम संख्या	परिवार के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/जन्म तिथि	विवाहित अथवा अविवाहित/विवाह की तिथि	यदि कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार में से किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसकी मृत्यु तिथि भी अंकित करें
1	2	3	4	5	6

नोट संख्या:– (1) 1– शासनादेश संख्या–बीमा–56/दस–86–36/1981, दिनॉक 10 जनवरी, 1986 के अनुसार परिवार में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे :–

1– पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)
2– पुत्रगण
3– अविवाहित तथा विधवा पुत्रियॉं (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियों सहित)
4– भाई (18 वर्ष आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहनें (सौतेले भाई/बहनों सहित)
5– पिता तथा माता
6– विवाहिता पुत्रियॉं (सौतेली पुत्रियों सहित) तथा
7– पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियॉं ।

उपर्युक्त शासनादेश का प्रस्तर 3(ग) निम्न प्रकार है :–

3 (ग) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व ही मृत्यु हो गई हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित कम में होना चाहियें :–

1– अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो
2– अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियॉं
3– वयस्क पुत्र

4– माता व पिता

5– अवयस्क भाई तथा अविवाहित वहनें

6– विवाहिता पुत्रियाँ तथा

7– पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियाँ ।

नोट संख्या:– (2)स्तम्भ–5 में केवल पुत्रियों के मामलें में यह स्पष्ट करें कि विवाहित हैं अथवा अविवाहित तथा विवाहित होने की स्थिति में पुत्री के विवाह की तिथि भी स्तम्भ–5 में ही दर्शायें।

11– यदि अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के प्रस्तर संख्या 10 में दर्शाया गया कोई सदस्य न हो और उसके द्वारा नामांकन भी न भरा गया हो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का विवरण देते हुए उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें जिसमें सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि वसूलने का उल्लेख करें।

क्रम संख्या	घोषित उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों का नाम	आयु/ जन्म तिथि	देय अंश
1	2	3	4

12– लाभार्थी का निर्धारण :–

(कृपया जैसी स्थिति हो उसके सम्मुख (✔) अंकित करें और जो लागू न हों, उसे काट दें)

(अ) सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी भरे गये नामांकन प्रपत्र के अनुसार किया गया_

(ब) शासनादेश संख्या–बीमा–56/दस–86–36/1981, दिनॉक 10–1–86 के प्रस्तर–3

(ग) में दिये गये व्यवस्थानुसार किया गया है _____

(स) सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के अनुसार किया गया है _

13– निर्धारित लाभार्थी/लाभार्थियों का नाम _____

14– मृतक से सम्बन्ध _____

15– अवयस्क की स्थिति में उसके नियुक्त संरक्षक का नाम _____

16– पता .....

1– प्रमाणित किया जाता है कि मृत अधिकारी/कर्मचारी अल्पकालीन रिक्तियों अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्त नहीं था।

2– प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी से सामूहिक बीमा योजना संबंधी कटौती योजना में प्रवेश की तिथि से निकलने की तिथि तक नियमित रूप से एवं निर्धारित दरों के अनुसार की गयी है।

3– प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की तिथि का मिलान मृत्यु प्रमाण–पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण–पत्र/ नामांकन/उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र (जैसी स्थिति हो) की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

4– प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी के दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है और इससे पूर्व अधिकारी/कर्मचारी के लाभार्थी का देय सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

5– प्रमाणित किया जाता है कि मृत अधिकारी/कर्मचारी की जन्म तिथि का सत्यापन संबंधित अभिलेखों से कर लिया गया है।

6– मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर अंकित विवरण सही हैं और उक्त विवरणों के आधार पर दावें के भुगतान का आग्रह करता हूँ। मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्रही से रसीदी स्टैम्प लगी भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूँगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित कर दूँगा।

कार्यालयाध्यक्ष/

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनॉक .....

स्थान .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम .....

कार्यालय की मोहर .....

जी0आई0एस0 फार्म संख्या–27 द्वितीय पृष्ठ

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे किन्तु दावा प्रेषण से पूर्व संबंधित अधिकारी इस प्रपत्र पर अपने समुहर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेंगे।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	माह और वर्ष		अंशदान की संख्या	लभ देय बीमा धनराशि	बचत ब्याज सहित	योग	टिप्पणी
	प्रवेश का	निकलने का					
1	2	3	4	5	6	7	8

हम एतद्द्वारा शासन से रू0 ..... (रूपया .....) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अन्तर्गत देय व मांग हुई, पूर्ण संतोष सहित दावों के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण एवं वितरण
अधिकारी के हस्ताक्षर.....
हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम .....
कार्यालय की मोहर .....

7. स्थायी निवास स्थान तक यात्रा भत्ता

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 81–बी के अनुसार सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को उनके स्थायी निवास या अन्य स्थान जहाँ वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् निवास करना चाहे, अपने परिवार और व्यक्तिगत सामान सहित जाने हेतु यात्रा भत्ता अनुमन्य है।

सामान्यतया सेवानिवृत्ति का तात्पर्य अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति से लगाया जाता है। किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 81–बी (i) [संलग्नक–7(i)] एवं शासनादेश संख्याःसा–4– 290/दस–98–626–60, दिनाँक 13 अप्रैल,1998 [संलग्नक–7(ii)] के अनुसार अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के अलावा अशक्तता, प्रतिपूर्ति, ऐच्छिक एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भी यात्रा भत्ता अनुमन्य है।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 6 के अनुसार परिवार का अभिप्राय सरकारी सेवक की यथास्थिति पत्नी अथवा पति, वैध संतान, जो सरकारी सेवक के साथ रहते हो, से है और इसके अन्तर्गत इनके अतिरिक्त, माता–पिता, बहनें एवं अवयस्क भाई, जो उसके साथ रहते हो और उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हों, भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत इस नियमावली के प्रयोजन हेतु एक से अधिक पत्नी नहीं है।

टिप्पणी–(1) यदि सरकारी सेवक की व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत, गोद ली गयी संतान को विधिक दृष्टि से प्राकृतिक संतान का दर्जा प्राप्त है तो दत्तक संतान धर्मज संतान मानी जायेगी।

(2) सरकारी सेवक ऐसी धर्मज पुत्रियों, दत्तक पुत्रियों एवं बहनें जिनका गौना अथवा रूखसत सम्पन्न हो चुका है, सरकारी सेवक पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं मानी जायेगी।

यात्रा, आनुषंगिक एवं सामान के परिवहन आदि की दरों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः सा–4–395/दस–99–600/99, दिनाँक 11 जून, 1999 [संलग्नक–7(iii)] एवं यात्रा के साधन (रेल अथवा सड़क मार्ग) आदि अन्य नियम हेतु वित्तीय नियम संग्रह–3 के नियम–81–बी [संलग्नक–7(i)] दृष्टव्य होंगे।

.....

संलग्नक-7 (i)

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3

81–बी (i) सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उन्हें तथा उनके परिवार को जैसा वह नियम 6 में परिभाषित है, उनके घर के नगर अथवा उस स्थान तक जाने हेतु जहाँ वह सेवानिवृत्ति के उपरान्त बसना चाहते हों, यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा। यह सुविधा अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले के अतिरिक्त अशक्तता पेंशन तथा कम्पेन्सेशन पेंशन जैसी सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 441 एवं 426 में परिभाषित है के मामलों में भी अनुमन्य होगी। यह सुविधा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलें में भी अनुमन्य होगी किन्तु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग II के मूल नियम 56 के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलें में अनुमन्य नहीं होगी।

(2) {i} यह यात्रा भत्ता सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों तथा उसके निजी सामान के परिवहन के लिए उसके ड्यूटी के अंतिम स्थान से उसके घर के नगर तक निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :

(ए) रेल से एवं/अथवा स्टीमर से यात्रा करने पर–

(1) सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए ड्यूटी की अंतिम तिथि को वह जिस श्रेणी (वातानुकूलित श्रेणी को छोड़कर) से यात्रा करने हेतु अधिकृत था, आरक्षण चार्जेज को सम्मिलित करते हुए, के वास्तविक भाड़े साथ ही उन दरों एवं शर्तो के अधीन ऐसा आनुषागिक व्यय जो उसे सेवारत रहने की दशा में स्थानान्तरण पर अनुमन्य होता भी अनुमन्य होगा।

(2) नियम 42 (2) (1) {iii} में निर्धारित मानक के अनुसार निजी सामान के परिवहन पर वहन किया गया वास्तविक व्यय भी अनुमन्य होगा।

(बी) सड़क मार्ग से यात्रा करने पर –

(1) स्वयं के लिये– (ए) जब यात्रा बस से की जाये–नियम 27(बी) के उप खण्ड (i) के अपवाद के अन्तर्गत अनुमन्य एक भाड़ा दो गुनी दर पर आनुषंगिक व्यय के साथ जैसा उसे सेवारत रहने की दशा में स्थानान्तरण पर अनुमन्य होता।

(बी) जब श्रेणी I अथवा II का सरकारी सेवक ऐसे मोटर कार अथवा अन्य वाहन में यात्रा करें जो उसकी निजी हो अथवा उधार पर लिया गया हो और उसका चालन व्यय उसके स्वयं के द्वारा वहन किया गया हो अथवा जब ऐसा वाहन भाड़े पर लिया गया

हो तो नियम 42(2)(II)(IV) के अन्तर्गत अनुमन्य चार्जेज देय होंगे।

(सी) जब श्रेणी III का एक सरकारी सेवक ऐसे मोटर साइकिल स्कूटर अथवा मोपेड से यात्रा करे जो उसका निजी हो और उसका चालन व्यय उसके द्वारा स्वयं वहन किया गया हो तो उसे नियम 42(2)(II)(IV) के अन्तर्गत अनुमन्य चार्जेज देय होंगे।

अपवाद–तथापि जहाँ श्रेणी I अथवा II का एक सरकारी सेवक भाड़े पर चलने वाले मोटरकार अथवा किसी अन्य वाहन में यात्रा करें और उसकी केवल एक सीट किराये पर ले तो उसे उस सीट हेतु भुगतान किया गया भाड़ा तथा दो गुनी दर पर ऐसा आनुषंगिक व्यय अनुमन्य होगा जो उसे सेवारत रहने की दशा में स्थानान्तरण पर अनुमन्य होता।

(II) परिवार के लिए–

(ए) जब बस से यात्रा की जाय– नियम 27(बी) के उपखण्ड (i) के अपवाद (I) के अन्तर्गत परिवार जिनके लिए दावा किया गया है के सदस्यों की संख्या और उनसे संबंध का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक वयस्क के लिये एक तथा प्रत्येक बच्चे के लिए उस श्रेणी का क्रमशः एक तथा आधा भाड़ा अनुमन्य होगा जिसके लिए सरकारी सेवक अधिकृत है।

(बी) जब श्रेणी I अथवा II के एक सरकारी सेवक का परिवार ऐसे मोटर कार अथवा अन्य वाहन में यात्रा करे जो उसकी निजी हो अथवा उधार पर लिया गया हो और उसका चालन व्यय उसके स्वयं के द्वारा वहन किया गया हो अथवा जब ऐसा वाहन भाड़े पर लिया गया हो तो उसे निम्नवत चार्जेज अनुमन्य होंगे –

(i) जब दो स्टेशन रेल मार्ग से जुड़े हो तो ऐसे चार्जेज जो नियम 42(2)(I)(IV) में अनुमन्य है।

(ii) जब दो स्टेशन केवल सड़क मार्ग से जुड़े हो तो– यदि स्वयं के अतिरिक्त परिवार के दो सदस्य यात्रा करें तो नियम 42(2)(i)(iv) में अनुमन्य दर पर एक मील भत्ता, यदि स्वयं के अतिरिक्त परिवार के दो से अधिक सदस्य यात्रा करें, तो एक प्रमाण–पत्र जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनसे सम्बन्ध का उल्लेख हो प्रस्तुत करने का उसी दर पर दो मील भत्ते।

अपवाद– तथापि, जहाँ श्रेणी I अथवा II के एक सरकारी सेवक का परिवार एक भाड़े पर चलने वाले मोटर कार अथवा किसी अन्य वाहन में यात्रा करे और परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर सीटें किराये पर ले तो उसे ऐसी सीटों पर व्यय किया गया वास्तविक भाड़ा अनुमन्य होगा।

(iii) नियम 42(2)(II)(iii) में निर्धारित मानक के अनुसार निजी सामान के

परिवहन पर वहन किया गया वास्तविक व्यय।

(सी) ऐसी यात्राओं के लिये जो आंशिक रूप से यात्रा के एक साधन से– की गयी हों और आंशिक रूप से दूसरे साधन से जैसा उपरोक्त उप प्रस्तर (ए) एवं (बी) में अनुमन्य है।

टिप्पणी–(1) मोटर अथवा अन्य वाहन जिसका सरकारी सेवक द्वारा सेवा निवृत्ति के पूर्व रखरखाव किया जा रहा था, के परिवहन पर किया गया वास्तविक व्यय भी, उन्हीं दरों एवं शर्तों पर जिनके अन्तर्गत उसके सेवारत रहते हुए उसके स्थानान्तरण पर अनुमन्य होता देय होगा।

(2) निवास से रेलवे स्टेशन अथवा बस अड्डे की बीच की गयी यात्राओं के लिए दोंनो सिरों पर नियम 42(2)(II) सपठित नियम 14 के अन्तर्गत मील भत्ता भी अनुमन्य होगा।

(डी) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सरकारी सेवक द्वारा निजी कार अथवा प्राइवेट कार से यात्रा करने के लिये–उप प्रस्तर (ए) की सीमा तक उपप्रस्तर (बी) के अनुसार अनुमन्य होगा।

(ई) सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को उनके घर के नगर अथवा ऐसे स्थान तक जाने हेतु जहॉं वे सेवा निवृत्ति के उपरान्त बसना चाहते हो एक मुश्त धनराशि उन्हीं दरों एवं शर्तों पर जैसी उन्हें सेवारत रहते हुए स्थानान्तरण पर अनुमन्य होती, भी देय होगी।

(3) इस सुविधा की अनुमन्यता निम्न अतिरिक्त शर्तों स्पष्टीकरणों तथा सहायक अनुदेशों तक परिसीमित रहेगी:

(1) यह सुविधा सरकारी सेवक के ड्यूटी के अंतिम स्थान से उसके घर के नगर तक सर्वाधिक समीपवर्ती मार्ग से अनुमन्य होगी। उपरोक्त संदर्भित घर के नगर का तात्पर्य उसके स्थायी घर के नगर अथवा गॉव से है जैसा उसके यथोचित सरकारी अभिलेख में अभिलिखित हो अथवा उस स्थान से है जिसे उसने कारण (जैसे अचल सम्पत्ति का स्वामित्व, निकट सम्बन्धियों जैसे माता पिता, भ्राता आदि आदि का स्थायी आवास) सहित घोषित किया हो तथा जहॉं वह, यदि सरकारी सेवा पर न गया होता तो, सामान्यतया रहता। ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने निकट पूर्व में भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो अथवा वे जिन्होंने अभी तक किसी भी उद्देश्य से जैसे सेवा अभिलेखों, भवन निर्माण अग्रिमों के प्रार्थना पत्रों आदि के लिये, अपने घरों के स्थानों की घोषणा नहीं की है, अब ऐसी औपचारिक घोषणा कर दें।

प्रत्येक मामलें में ऐसी घोषणा सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी की स्वीकृति के अधीन रहेगी जो, ऐसा साक्ष्य जिसे वह उचित समझे, आमंत्रित करके उसकी सत्यता का

सत्यापन करेगा।

(i) घर के नगर के संबंध में एक बार की गयी ऐसी घोषणा सामान्य रूप से अन्तिम समझी जायगी किन्तु आपवादिक परिस्थितियों में शासन का प्रशासकीय विभाग ऐसी घोषणा में परिवर्तन भी प्राधिकृत कर सकता है बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन सरकारी सेवक की पूर्ण सेवा में एक बार से अधिक न किया जाय।

(ii) जब एक सरकारी सेवक अपने घर के नगर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बसने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे उस स्थान तक जाने का वास्तविक यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा बशर्ते कि यात्रा भत्ते की धनराशि उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो उसे ड्यूटी के अंतिम स्थान से घर के नगर तक जाने पर अनुमन्य होती।

(iii) इस सुविधा का उपभोग सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश/अस्वीकृत अवकाश की अवधि में अथवा सेवा निवृत्ति के छः माह के भीतर किया जा सकता है।

(iv) यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को अनुमन्य नहीं है जो त्याग पत्र देकर सेवामुक्त हुए हो अथवा जिन्हें सेवा से हटाया अथवा पदच्युत किया गया हो।

(v) यदि एक सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर है अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त छः माह के भीतर पुनर्योजित किया जाता है तो वह इस सुविधा का पुनर्नियोजन की अवधि की समाप्ति के छः माह के भीतर उपभोग कर सकता है यदि ऐसा उपभोग इसके पूर्व न किया गया हो।

(vi) एक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों का तथा निजी सामान के परिवहन का यात्रा भत्ता, यदि वह सरकारी सेवक के साथ न जाय, नियम 42(2)(II)) के अन्तर्गत अंकित टिप्पणी 2(ए) एवं (सी) के प्राविधानों के अनुसार विनिश्चित होगा। एक सरकारी सेवक का परिवार तथा उसका निजी सामान उसके जाने के यदि छः माह के भीतर अथवा उसके पूर्व एक माह के भीतर ले जाया गया हो तो यह माना जायेगा जैसे वह सरकारी सेवक के साथ ही गया हो। एक माह अथवा छः माह की उक्त अवधि सेवा निवृत्ति के दिनॉक से अथवा पुनर्योजन की समाप्ति के दिनॉक से आगणित की जायेगी। परिवार के सदस्यों के यात्रा भत्ते का दावा तब तक देय नहीं होगा जब तक परिवार के प्रमुख ने स्वयं यात्रा न कर ली हो।

(4) इन नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य यात्रा भत्ते के दावों का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावों के लिए निर्धारित बिल के प्रारूप पर आहरण किया जायेगा। ऐसे सरकारी सेवकों के दावों पर जो सेवानिवृत्ति के पूर्व स्वतः नियंत्रक अधिकारी थे, अगले उच्च प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेगें किन्तु जहॉ ऐसा उच्च प्रशासनिक अधिकारी न हो तो शासन के सम्बन्धित विभाग के सचिव प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के

सेवानिवृत्त होने वाले सचिवों के दावों पर उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे। इन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत दावों पर वही प्रमाण पत्र अंकित किये जायेंगे जो स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावों पर अंकित किये जाते हैं।

(5) उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति करने के पूर्व प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी को स्वयं को, यथासम्भव इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि दावा करने वाला व्यक्ति तथा इसके परिवार द्वारा घर के नगर अथवा उस स्थान तक यात्रा कर ली गयी है जहाँ वह बसना चाहता हो, उदाहरणार्थ (i) संबंधित सरकारी सेवक से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करके कि उसने तथा उसके परिवार ने वास्तव में उसी श्रेणी से यात्रा की है जिसका दावा प्रस्तुत किया गया है, तथा (ii) सामान/वाहन आदि के परिवहन पर वहन किये गये व्यय के दावों के सम्बन्ध में रसीदें/वाउचर्स आदि अधिग्रहीत करके।

(6) कोषाधिकारी द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत दावों का भुगतान कोषागार नियम 23 सपठित वित्त हस्तपुस्तिका, खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 101 को शिथिल करके, करना अपेक्षित है जैसे वह ऐसे दावों का भुगतान अन्तिम वेतन भुगतान पत्र निर्गत करने के उपरान्त भी बिना अन्तिम वेतन भुगतान पत्र के समर्पित करवाये भी कर सकता है क्योंकि अन्तिम वेतन भुगतान पत्र की आवश्यकता पेंशन की अन्तिम स्वीकृति के समय पड़ती है।

.....

संलग्नक-7 (ii)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्याःसा-4-290/दस-98-626-60
लखनऊ, दिनॉक 13 अप्रैल, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर सरकारी सेवकों को यात्रा भत्ते की स्वीकृति।

Subject:- Grant of Travelling Allowance to Govt. servants on their Compulsory Retirement.

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-81-बी(1) की व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त राज्य सरकार के सेवकों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अपने परिवार और व्यक्तिगत सामान सहित, स्थायी निवास स्थान जाने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होता है। इस संदर्भ में शासन के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित हुआ है कि अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति की स्थिति में स्थायी निवास स्थान तक जाने हेतु यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा अथवा नहीं?

2. इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि अनिवार्य सेवा निवृत्ति दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति की स्थिति में यदि राज्य सरकार के सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को उनके स्थायी निवास स्थान, या अन्य स्थान जहॉं वे अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति के पश्चात् निवास करना चाहें, अपने परिवार और व्यक्तिगत सामान सहित जाने हेतु यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

3. उक्त संदर्भित नियम-81 बी के शेष उपबन्ध पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 के संगत नियम को तद्नुसार यथासमय संशोधित किया जायेगा।

4. यह आदेश इस कार्यालय-ज्ञाप के जारी होने के दिनॉक से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-7 (iii)

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्याः सा-4-395/दस-99-600-99
लखनऊ, दिनॉक 11 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

Subject:- Revision of Travelling Allowance Rates.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय-ज्ञाप संख्याः सा-4- 1307/दस-88-600/88, दिनॉक 23 सितम्बर, 1988 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी :

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे :-

क्र0 सं0	वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
(1)	रू0 25000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले।	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास।
(2)	रू0 18400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
(3)	रू0 16400 से 18399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि0मी0 से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
(4)	रू0 8000 से 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2-टियर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार।

(5)	रू0 5000 से 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच, 3–टियर/ए0सी0 चेयरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)।
(6)	रू0 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)।

(2) <u>आनुषंगिक व्यय</u> :

(i) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23(I) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :–

क्रम संख्या	वेतन सीमा	आनुषंगिक व्यय की दर
1	2	3
(1)	रू0 8000 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	11.0 पैसे प्रति कि0मी0
(2)	रू0 5000 से रू0 रू0 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	8.0 पैसे प्रति कि0मी0
(3)	रू0 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	5.0 पैसे प्रति कि0मी0

(ii) हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की दरें रू0 30/– प्रति यात्री की दर से अनुमन्य होगा।

(3) <u>दैनिक भत्ता</u> :

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी :–

सरकारी सेवक का वर्ग	"क" वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहाँ कहीं	"ख" वर्ग के नगरों के लिये दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहाँ कहीं	साधारण दर (स्तम्भ 1 व 2 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)

	विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी– कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मसूरी, देहरादून और गाजियाबाद।	विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी– मुरादाबाद, अलीगढ़, झाँसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रूखाबाद।	

(धनराशि रूपये में)

	1	2	3
(1) रू0 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	155.00	125.00	100.00
(2) रू0 8000 से रू0 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	140.00	110.00	90.00
(3) रू0 6500 से रू0 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	120.00	95.00	80.00
(4) रू0 4100 से रू0 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	100.00	80.00	65.00
(5) रू0 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	65.00	50.00	40.00

उपरोक्त तालिका के "क" वर्ग के नगरों मे रू0 8000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को, जिन्हें अन्य संस्थान अथवा होटल में ठहरना पड़े, पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा:–

क्र0 सं0	वेतन सीमा	विशेष दैनिक भत्तें की दरें (रू0 में)
1	2	3
(1)	रू0 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	400.00
(2)	रू0 8000 से रू0 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	300.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में, जहाँ ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्स टैरिफ पर उपलब्ध है, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के लिए दिये गये किराये से है। भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वास्तविक व्यय की पुष्टि में बाउचर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोंनो उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध है वे यथावत् रहेंगे।

(4) <u>सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता :</u>

(क) सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(बी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता अब निम्न प्रकार देय होगा :–

(i) रू0 10,000 प्रतिमाह या उसे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक:–

(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गई सड़क यात्राओं के लिए :–

रूपये प्रति कि0मी0

		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
(1)	प्रथम 500 कि0मी0 तक तय की गई दूरी के लिये।	4.50	3.50

(2)	500 कि0मी0 से अधिक परन्तु 1200 कि0मी0 तक तय की गई दूरी के लिये।	3.25	2.75
(3)	1200 कि0मी0 से अधिक तय की गई दूरी के लिये।	.....शून्य	
(ख)	उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रू0 2.00 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रू0 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	
(ग)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रू0 0.60 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रू0 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	
(ii) रू0 10,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवक:–			
(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रू0 2.00 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रू0 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से या पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रू0 0.60 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रूपये 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	

(ख) यात्रा पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाले अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों को रू0 1.75 प्रति कि.मी. के स्थान पर अब रू. 4.00 प्रति कि0मी0 की दर

से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त अल्प दूरियों की गणना पूर्ववत् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम –14 सपठित परिशिष्ट–5 के आधार पर ही की जायेगी।

जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में शासकीय सेवकों से यह भी अपेक्षित है कि वे टैक्सी इत्यादि के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रेलगाड़ी या बस) का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करें।

5. स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें:–

(अ) घरेलू सामान की ढुलाई –

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम-42(2)(1)(III) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जायेगी:–

(i) यदि यात्रा परिवार सहित की गई हो:–

क्र0 सं0	सरकारी सेवक/वेतन सीमा	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अधिकतम सीमा
(1)	रू0 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	6000 कि0ग्रा0 या 4 पहियों का एक वैगन
(2)	रू0 8000 से रू0 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	6000 कि0ग्रा0 या 4 पहियों का एक वैगन
(3)	रू0 6500 से रू0 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	3000 कि0ग्रा0
(4)	रू0 4100 से रू0 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	2500 कि0ग्रा0
(5)	रू0 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	1250 कि0ग्रा0

(ii) यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो :–

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत सामान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

(ब) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)–

कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैकिंग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिये सड़क मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात् कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर अब उपरोक्त भत्ते देय नहीं होंगे।

एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन अधिकतम रू0 10,000 की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य होगी।

जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा:

क्र0 सं0	वेतन सीमा	पैकिंग भत्ते की दर (रू0 में)
1	2	3
(1)	रू0 6500 प्रतिमाह या इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले	500.00
(2)	रू0 6499 प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले	250.00

स्थानान्तरण यात्रा सम्बन्धी व्यय को सीमित रखने के उद्देश्य से पत्रावलियों के माध्यम से स्थानान्तरण के जो प्रस्ताव उच्चाधिकारियों/मा0 मन्त्रिगणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हों, उनमें यह अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय कि चालू वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में विभाग में कुल कितनी धनराशि उक्त मद पर देय हो चुकी है और कितनी धनराशि की देयता सृजित हो रही है।

2. ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं/किये गये हैं अथवा जो वर्तमान वेतनमान बनाये रखने का विकल्प रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता की उपरोक्त विभिन्न संशोधित पुनरीक्षित दरों की अनुमन्यता के लिए उनके वेतन स्तर के निर्धारण हेतु "वेतन" का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनॉक 1–1–1996 को शासनादेश संख्या वे0आ0–1–297/दस–48(एम)/88, दिनॉक 21–5–96 के अनुसार देय महंगाई भत्ता और शासनादेश संख्या वे0आ0–1–2043/दस–93–39(एम)/93, दिनॉक

14–10–1993 तथा शासनादेश संख्या वे0आ0–1–624/दस–39(एम)/93 टी0सी0, दिनॉक 16–8–1995 के अनुसार देय अन्तरिम सहायता कमशः 100 प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 रूपये प्रतिमाह की द्वितीय किस्त का योग होगा।

3. यह आदेश दिनॉक 1 जून, 1999 से प्रभावी होगें अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जोकि उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

4. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

मु0 हलीम खॉ,
सचिव।

.....

भाग - 2

मृत्यु पर देय परिलब्धियाँ

सरकारी सेवक के सेवारत मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को निम्नलिखित प्रसुविधायें देय होती हैं:-

1. पारिवारिक पेंशन
2. उपादान
3. अर्जित अवकाश का नकदीकरण
4. सामान्य भविष्य निधि एवं सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि
5. उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि
6. स्थायी निवास स्थान तक यात्रा भत्ता
7. तत्काल सहायता
8. अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता
9. भवन निर्माण आदि के अग्रिम पर देय ब्याज से अभिमुक्ति
10. परिवार के एक सदस्य का नियोजन

1. पारिवारिक पेंशन (Family Pension)

सरकारी सेवक की सेवाकाल के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो जाने पर उसका परिवार "परिवारिक पेंशन" पाने का हकदार होता है।

उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 एवं उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में दिये हुए पारिवारिक पेंशन योजनाओं को उदार करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त 1966 के द्वारा दिनांक 01.04.1965 से "नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965" लागू की गयी है। नई पारिवारिक पेंशन योजना एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में अद्यतन नियम निम्नवत् हैं:–

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा–2 के अनुसार नई पारिवारिक पेंशन योजना पेंशन योग्य अधिष्ठानों के ऐसे समस्त स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों पर लागू है, जो अप्रैल, 1965 को सेवा में थे या उसके बाद भर्ती हुए हैं।

शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा 3 (क) के अनुसार– सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में पारिवारिक पेंशन के लिए कम से कम एक वर्ष की लगातार अर्ह सेवा आवश्यक थी, किन्तु शासनादेश संख्याःसा–3–1358/दस–918–79, दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के अनुसार उक्त एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूरी करने की शर्त को इस प्रतिबन्ध के साथ समाप्त कर दिया गया है कि सरकारी सेवक की राजकीय पद पर नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा की गयी हो और वह सरकारी सेवा के योग्य पाया गया हो।

(शासनादेश दिनांक 24 अगस्त,1966 का पैरा 2 तथा 3 एवं शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर,1979 कमशः संलग्नक–1(i) संलग्नक–1(ii) के रूप में संलग्न है।)

शासनादेश संख्याःसा–3–1720/दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के बिन्दु–6 के अनुसार पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर से सामान्य रूप से की जाती है। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू01275/– प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।

पारिवारिक पेंशन दो दशाओं में देय होती है–

1. सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में, अथवा
2. सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु होने की दशा में।

उपर्युक्त प्रत्येक दशा में पारिवारिक पेंशन या तो सामान्य दर से अथवा बढ़ी हुई एवं सामान्य दोनों दर से देय होती है।

1. सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में:-

शासनादेश संख्याः-सा-3-1563/दस-921-82, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 (सम्बन्धित अंश संलग्नक-1(iii) के रूप में संलग्न है) के अनुसार यदि सरकारी सेवक की मृत्यु 7 वर्ष की सेवा के पूर्व होने पर उसे सामान्य दर (मूल वेतन के 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू01275/- प्रतिमाह) से देय होगी, किन्तु यदि मृतक ने कम से कम 7 वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक 7 वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उक्त योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगुना, जो कम हो, के बराबर होगी।

2. सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में:-

शासनादेश दिनांक 03 नवम्बर, 1981 के अनुसार सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जिस तिथि तक मृत पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा सात वर्ष की अवधि तक, जो भी इन दोनों अवधियों में से पहले हो, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की गयी सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन मामलों में उपर्युक्त संशोधित दरों के अनुसार देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गयी सेवा पेंशन से अधिक हो तो उन मामलों में इस प्रकार स्वीकार की जाने वाली पारिवारिक पेंशन की धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार की गयी सेवा पेंशन से तात्पर्य उस पेंशन से है जो पेंशनर को मूलतः स्वीकृत हुई अर्थात पेंशन की वह धनराशि, जो राशिकरण से पूर्व, यदि कोई हो, स्वीकृत की गयी थी।

पारिवारिक पेंशन के लिए निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य हैं:-

1. माना सरकारी सेवक 'अ' वेतनमान रू0 4000-6000 में रू0 4000 के स्तर पर वेतन आहरित कर रहा था और दिनांक 31.03.2004 को 5 वर्ष 2 माह 16 दिन की सेवा पर उसकी मृत्यु हो गयी।

पारिवारिक पेंशन का आगणन-

सामान्य दर - = 4000 का 30 प्रतिशत
= 1200.00
=1275.00 (न्यूनतम)

=1275.00 (न्यूनतम)

देय पारिवारिक पेंशन = रू0 1275.00+राहत दिनांक01.04.2004 से

2. माना सरकारी सेवक 'अ' वेतनमान रू0 18400–500–22400 में रू0 22400 के स्तर पर वेतन आहरित कर रहा था और 31 मार्च, 2004 को 59 वर्ष 6 माह की आयु पर उसकी मृत्यु हो गयी।

पारिवारिक पेंशन का आगणन–

सामान्य दर = 22400 का 30 प्रतिशत
= रू0 6720.00

धनराशि रू. 6720 का दुगुना = रू0 13440.00

अन्तिम आहरित वेतन की आधी धनराशि = 22400/2
= रू0 11200.00

देय पारिवारिक पेंशन = रू0 11200.00 + राहत
दिनांक 01.04.2004 से 30.09.2010 तक अर्थात 65 वर्ष तक। पुनः दिनांक 1.10.2010 से रू. 6720.00 + राहत।

3. माना पेंशनर 'अ' दिनांक 31.03.2000 को 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च, 2000 के 4 वर्ष बाद अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2004 को उसकी मृत्यु हो गयी। सेवा निवृत्ति के पूर्व उसकी अन्तिम परिलब्धियों (मूल वेतन) रू0 22400 प्रतिमाह थी तथा सेवानिवृत्तिक पेंशन रू0 11200 थी।

पारिवारिक पेंशन का आगणन–

पेंशनर 'अ' की पेंशन = रू0 11200.00

पारिवारिक पेंशन सामान्य दर = रू0 22400 का 30 प्रतिशत
= रू0 6720.00

धनराशि रू. 6720 का दुगुना = रू0 13440.00

देय पारिवारिक पेंशन = रू0 11200.00 + राहत
दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005 तक अर्थात 65 वर्ष तक। पुनः 01.04.2005 से रू06720 + राहत ।

टिप्पणीः– पारिवारिक पेंशन की धनराशि अगले पूर्णांक के बराबर पूरे रूपयों में आगणित की जाती है।

शासनादेश संख्याः सा–3–1720/दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के नियम–6(2) के अनुसार पारिवारिक पेंशन हेतु परिवार की परिभाषा दी गयी है। यहाँ

उल्लेख करना समीचीन होगा कि शासनादेश संख्याःजी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के नियम–3 (घ) के अनुसार पारिवारिक पेंशन एक ही समय में सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी। यह निम्नलिखित क्रम में अनुमन्य होगी अर्थात पहले विधवा/विधुर को, उसके बाद क्रमशः पुत्र, पुत्री एवं माता/पिता को देय होगी। विधवा/विधुर के पुनः विवाह करने की तिथि से पारिवारिक पेंशन देय नहीं होती है। पुनः विवाह के बाद अगले अर्ह पारिवारिक सदस्य को देय होगी।
नोटः शासनादेश संख्याः सा–3–1720/दस–308–907, दिनांक 23, दिसम्बर, 1997 इस संकलन के भाग–1 में संलग्नक–1–ई (vii) पर संलग्न है।

.....

संलग्नक–1 (i)

शासनादेश संख्या : जी–2–769/दस–917–61,
दिनांक 24 अगस्त, 1966

2. उपर्युक्त योजना 01 अप्रैल, 1965 से प्रवृत्त होगी और पैरा 5, 6, 10 एवं 13 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पेंशन योग्य अधिष्ठानों के ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारियों–स्थायी या अस्थायी पर लागू होंगी जो अप्रैल, 1965 को सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किए जायें।

3. उपर्युक्त योजना का प्रशासन निम्नलिखित प्रकार से होगाः–

(क) परिवार पेंशन सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उस दशा में अनुमन्य (Admissible) होगी, जब सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की दशा में सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय कोई प्रतिकर (Compensation) अशक्तता (Invalid) सेवानिवृत्ति (Retiring) या अधिवर्षता (Superannuation) पेंशन पा रहा हो या पा रहा होता और सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा, जिसमें भत्ता रहित छुट्टी की अवधि, ड्यूटी के रूप में न माना गया निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गयी सेवा अवधि सम्मिलित नहीं है, पूरी कर ली हो।

.....

संलग्नक-1 (ii)

शासनादेश संख्या : सा-3-1358/दस-81-918/79

दिनांक 21 सितम्बर, 1979

विषयः नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की शर्तों से एक वर्ष की निरन्तर सेवा सम्बन्धी शर्त को हटाया जाना।

Subject: Removal of condition of one year's continued service from the payable family pension conditions under New Family Pension Scheme 1965.

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्याःसा-2-769/दस-917-62, दिनांक 24 अगस्त, 1966 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 लागू की थी और इस शासनादेश में उन शर्तों का भी उल्लेख किया गया था जिनका पालन होने पर ही पारिवारिक पेंशन ग्राह्य होती थी। उक्त शासनादेश के पैरा-1-3(क) में यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के परिवार को केवल उसी दशा में प्राप्त होगी यदि मृतक कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के दिनांक की कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो। यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस एक वर्ष की अवधि का आगणन करने के लिए भत्ता रहित छुट्टी की अवधि ड्यूटी के रूप में न माना गया। निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गयी सेवा अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

2. शासन के सम्मुख कुछ मामले ऐसे आये हैं जिनमें सेवा अवधि में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार को पारिवारिक पेंशन केवल इस कारण नहीं उपलब्ध हो सकी थी कि उसने मृत्यु से पूर्व एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी नहीं की थी। शासन अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के प्रति कल्याणकारी योजनायें लागू करता है, परन्तु उपरोक्त प्रतिबन्ध के कारण पारिवारिक पेंशन एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि की शर्त का पालन न होने के कारण न दिया जाना कल्याणकारी कदम नहीं समझा गया। अतः इस मामले पर शासन द्वारा विचार किया गया है। विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने इन आदेशों के जारी होने की तिथि से यह अपेक्षा प्रदान करने की कृपा की कि पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये उपरिकथित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा-3 (क) में लगायी एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूरी करने की शर्त को इस प्रतिबन्ध के

अधीन समाप्त किया जाता है कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की राजकीय पद पर नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा की गयी थी और वह सरकारी सेवा के योग्य पाया गया था।

विशेष सचिव

संलग्नक-1 (iii)

शासनादेश संख्याः सा-3-1563/दस-921-81,
दिनांक 03 नवम्बर, 1981 (सम्बन्धित अंश)

शासकीय आदेश दिनांक 10 मई, 1978 की निम्न शर्तें उपर्युक्त संशोधित दरों के साथ पूर्ववत् लागू रहेंगी।

(क) सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उक्त योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगना, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

(ख) सेवानिवृति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जिस तिथि तक मृत पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा सात वर्ष की अवधि तक, जो भी इन दोनों अवधियों में से पहले हो, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की गई सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन मामलों में उपर्युक्त संशोधित दरों के अनुसार देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गई सेवा पेंशन से अधिक हो तो उन मामलों में इस प्रकार स्वीकार की जाने वाली पारिवारिक पेंशन की धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार की गई सेवा पेंशन से तात्पर्य उस पेंशन से है जो पेंशनर को मूलतः स्वीकृत हुई अर्थात् पेंशन की वह धनराशि, जो राशिकरण से पूर्व, यदि कोई हो, स्वीकृत की गयी थी।

संलग्नक-1 (iv)

FORM "E"

Nomination for Family Pension

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family, to receive in the order shown below the Family Pension which may be granted by Government in the event of my death after completion of 10 years qualifying service:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Whether married or unmarried
1	2	3	4

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

N.B.- **The officer should draw lines across blank space below the last entry to prevent the asertion of any name after he has signed.**

Dated this........................day of ....20 at..........

Witnesses to Signature:

1. ....

2. ....

Signature of Officer

(To be filled in by the Head of Office in the case of a non-gazetted officer).

Nomination by ....

Designation ....

....

(Signature of Head of Office)

Date: ....

Designation ....

Office ....

.....

2– उपादान (Gratuity)

डेथ/रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में नियम, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम–3, उत्तर प्रदेश रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के नियम–5 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों में दिये हुए हैं।

शासनादेश संख्याः सा–3–1168/दस–935–87, दिनांक 22 जून, 1987 एवं शासनादेश संख्याःसा–3–1720/दस–308/79, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 जो इस संकलन के भाग–1 में क्रमशः संलग्नक–1–ई (vi) एवं 1–ई (vii) पर संलग्न हैं, के अनुसार मृत सरकारी सेवक की सेवा के आधार पर मृत्यु ग्रेच्युटी को भुगतान किया जाता है, जिसकी दरें निम्नवत् हैः–

सेवा अवधि	डेथ ग्रेच्युटी की दर
1. एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
2. एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु पॉच वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
3. पॉच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का बारह गुना
4. 20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर, जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि मृत्यु–ग्रेच्युटी की धनराशि रू0 3.50 लाख से अधिक नहीं होगी।

शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अनुसार डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मँहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य होंगेः

1. माना सरकारी सेवक 'अ' की मृत्यु दिनांक 30.12.2003 को 16 वर्ष की अर्ह सेवा के उपरान्त हो गयी। उस समय उसका मूल वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह था।

मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन–

दिनांक 30.12.2003 को अर्ह सेवा 16 वर्ष

मूल वेतन	रू0 6,000.00
मँहगाई भत्ता	रू0 3,300.00
योग	रू0 9,300.00

9300 x 12 = 111600

डेथ ग्रेच्युटी रू0 1,11,600.00 (रू. एक लाख ग्यारह हजार छः सौ मात्र)

2. माना सरकारी सेवक 'अ' की मृत्यु दिनांक 30.12.2003 को 25 वर्ष की अर्ह सेवा के उपरान्त हो गयी। उस समय उसका मूल वेतन रू0 20,000/– प्रतिमाह था।

मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन–

दिनांक 30.12.2003 को अर्ह सेवा 25 वर्ष अर्थात् 50 छमाही

मूल वेतन	रू0 20,000.00
मँहगाई भत्ता	रू0 11,000.00
योग	रू0 31,000.00

31000 x 50/2 = 775000.00

रू0 3,50,000.00 (अधिकतम) (रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र)

उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम–1 (3)(सी) के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं–

(i)	पत्नी, पुरूष सरकारी सेवक के मामले में	
(ii)	पति, महिला सरकारी सेवक के मामले में	
(iii)	पुत्र	सौतेली एवं गोद ली गयी संताने सम्मिलित हैं।
(iv)	अविवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ	
(v)	18 वर्ष की आयु से कम के भाई एवं अविवाहित एवं विधवा बहनें (सौतेले भाई एवं बहिन सम्मिलित हैं)	
(vi)	पिता	
(vii)	माता	
(viii)	विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं)	

(ix)	पूर्व में मृत पुत्र के बच्चे	

सरकारी सेवक को यथाशीघ्र एक अथवा अधिक व्यक्ति को रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी के लिए नामांकन कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में नामांकन के फार्म– 'A', ' B', 'C', एवं 'D' का प्रोफार्मा संलग्न है।

नामांकन करने के समय परिवार में एक अथवा अधिक व्यक्ति होने की स्थिति में किन्हीं अन्य व्यक्ति के लिए नामांकन नहीं किया जायेगा।

नामांकन न होने की स्थिति में मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि परिवार की परिभाषा के क्रम संख्या (i) से (iv) पर उल्लिखित सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर दी जाएगी। क्रम संख्या (i) से (iv) पर उल्लिखित सदस्य न होने पर क्रम संख्या (v) से (ix) पर उल्लिखित सदस्यों के मध्य बराबर–बराबर वितरित की जायेगी।

उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 का नियम–1 (3) (सी), 4 से 9 संलग्नक–2(i) के रूप में संलग्न है।

सेवारत मृत्यु हो जाने पर ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह के बाद से ब्याज दिए जाने की व्यवस्था है। ग्रेच्युटी पर (साधारण) ब्याज की दर वही रखी गयी है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं हैं। (इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याःसा–3–1901/दस–2002–971–80, दिनॉक 30 अक्टूबर, 2002 इस संकलन के भाग–1 में संलग्नक 3 (i) पर संलग्न है)।

.....

FORM "A"

Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity

(When the officer has a family and wishes to nominate one member thereof)

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family, and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death.

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving the payment of gratuity	Amount or share of gratuity payable to each*.
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

Dated this .... day of ...., 20.... at ....

Witnesses to Signature:

1. ....

2. ....

Signature of Officer

***This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.**

(To be filled in by the Head of Office in the case of non-gazetted officer).

Nomination by ....

Designation ....

....

(Signature of Head of Office)

Date:....................................

Office ....

Designation............ ....

.....

FORM "B"

Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity

(When the officer has a family and wishes to nominate one member thereof)

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family, and confer on them the right to receive, to the extent specified below any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Names and addresses of nominees	Relation-ship with officer	Age	Amount or share of gratuity payable to each*.	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving the payment of gratuity	Amount or share of gratuity payable to each†
1	2	3	4	5	6	7

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ..... which stands cancelled.

N.B.- ***The officer shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.***

Dated this..... day of ....., 20... at .....

Witnesses to Signature:

1. .....

2. .....

Signature of Officer

*** This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.**

† The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

(To be filled in by the Head of Office in the case of a non-gazetted officer).

Nomination by .....

Designation .....

(Signature of Head of Office)

Date:.....

Designation.....

Office .....

. . . . .

FORM "C"

Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity

(When the officer has no family and wishes to nominate one person)

I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominee	Relation-ship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but	Amount or share of gratuity payable to each*.

				death of the officer but before receiving payment of the gratuity.	
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

Dated this ..... day of ....., 20... at .....

Witnesses to Signature:

1. .....

2. .....

Signature of Officer

***This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.**

(To be filled in by the Head of Office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by .....

Designation .....

(Signature of Head of Office)

Date:.....

Office .....

Designation.....

• • • • •

FORM "D"

Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity

(When the officer has no family and wishes to nominate more than oneperson)

I, having no family, hereby nominate the persons mentioned below and confer on them the right to receive to extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and addresses of nominees	Relation-ship with officer	Age	Amount or share of gratuity payable to each*.	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relation-ship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each†
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			Rs.

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

N.B.- **The officer shall draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.**

Dated this ..... day of .....20 at .....

Witnessess to Signature:

1. .....
2. .....

Signature of Officer

---

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

† The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

(To be filled in by the Head of Office in the case of non-gazetted officer).

Nomination by .....

Designation .....

.....

(Signature of Head of Office)

Date:.....

Designation.....

Office .....

• • • • •

संलग्नक - २ (i)

The Uttar Pradesh Liberalised Pension Rules-1961

1. (3) (c) : "Family" includes the following relatives for death-cum-retirement gratuity:

I	Wife, in the case of male officer,	
II	Husband, in the case of a female officer,	
III	Sons	Including step children and adopted children
IV	Unmarried and widowed daughters	
V	Brothers below the age of 18 years and unmarried and widowed sisters (including step-brothers and step-sisters)	
VI	Father,	

VII Mother,
VIII Married daughters (including step-daughters), and
IX Children of a pre-deceased son.

4- (1)A government servant shall, as soon as he acquires a lien on a permanent pensionable post, make a nomination conferring on one or more persons the right to receive any gratuity that may be sanctioned under sub rules (2) and (4) of rule 3 and gratuity which after becoming admissible to him under sub-rule (1) of that rule is not paid to him before death:

Provided that if at the time of making the nomination the officer has a family, the nomination shall not be in favour of any person other than one or more of the members of his family.

Note:- While a nomination as also any change therein will normally be made by an officer during his service, he may be allowed in the case of non-gazetted officer, by the head of office, and in the case of gazetted officer by the Audit officer to make a fresh nomination or a change in his earlier nomination after retirement if such a contingency arises.

(2) If an officer nominates more than one person under sub-rule (1) above, he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole amount of the gratuity.

(3) An officer may provide in a nomination-

(a) that in the event of any specified nominee predeceasing the officer the right conferred upon that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination; provided that if at the time of making the nomination the officer has a family consisting of more than one member the person so specified shall not be a person other than a member of his family.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

(4) The nomination made by an officer who has no family at the time of making the nomination or a provision made in a nomination under clause (a) of sub-rule (3) by an officer whose family consists, at the date of making the nomination, of only one member, shall become invalid in the event of the officer subsequently acquiring a family, or an additional member in the family, as the case may be.

(5)[a] Every nomination shall be in such one of the forms A to D as may be appropriate in the circumstances of the case.

[b] An officer may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the appropriate authority mentioned in sub-rule (7) below. Provided that the officer shall, along with such notice, send a fresh nomination made in accordance with these rules.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no provision about the passing of his right to another person has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (3) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (3) or sub-rule (4), the officer shall send to the appropriate authority a notice in writing formally cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with these rules.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by an officer under this rule shall be sent by the officer to the Audit Officer in the case of a gazetted officer and to the head of his office in the case of a non-gazetted officer. Immediately on receipt of a nomination from a non gazetted officer, the head of the office shall countersign it indicating the date of receipt and keep it under his custody.

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by an officer shall, to the extent it is valid, take effect

on the date on which it is recived by the authority mentioned in sub-rule (7).

(9) If an officer having a family dies without making a nomination conferring on one or more of the members of his family the right to receive the amount of death-cum-retirement gratuity, it shall be paid in equal shares to those surviving members of his family who belong to categories (i) to (iv) mentioned in clause (c) of sub-rule (3) of rule 1 except widowed daughters. Where there are no such surviving members, but there is/are surviving widowed daughter(s) and/or one or more members of the family of the officer who belong to categories (v) to (ix) mentioned in the said clause, the gratuity shall be paid to all such persons in equal shares.

* * * * *

3. अर्जित अवकाश का नकदीकरण
(Encashment of Earn Leave)

शासनादेश संख्या सा–4–393/दस–99–200/88, दिनांक 01 जुलाई, 1999 के अनुसार सेवारत मृत्यु होने पर अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा 300 दिनों के अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

नोटः– शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 1999 एवं भुगतान विषयक अन्य नियम (सेवानिवृत्ति जैसे ही होंगे) इस संकलन के भाग–1 के "अर्जित अवकाश का नकदीकरण" शीर्षक में दिए हुए हैं।

.....

4. सामान्य भविष्य निधि एवं सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि

सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा धनराशि ब्याज सहित नामित पारिवारिक सदस्य/परिवार के सदस्यों को देय होती है।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम–24 के अनुसार सेवारत मृत्यु होने की स्थिति में समूह 'घ' के कर्मचारी के दावेदार/दावेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र 425–ख (संलग्नक–4(i)) एवं समूह 'घ' से भिन्न अन्य अभिदाताओं के दावेदार/दावेदारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष 90 प्रतिशत के भुगतान के लिए प्रपत्र 425–क (संलग्नक–4(ii)) एवं अवशिष्ट 10 प्रतिशत के भुगतान के लिए प्रपत्र 425–क (संलग्नक–4 (iii)) पर आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

किन्तु सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000 के अनुसार समूह 'घ' के मामले में तथा समूह 'घ' से भिन्न अन्य अभिदाताओं के मामले में आवेदन पत्र की प्रतीक्षा किये बिना भुगतान की स्वीकृति की कार्यवाही सेवानिवृत्ति पर स्वीकृति जैसी प्रक्रिया के अनुसार ही होगी, जिसका उल्लेख इस संकलन के अध्याय–5 में किया गया है।

शासनादेश संख्याः सा–4–642/10–97–502/85, दिनांक 29 जुलाई, 1997 [सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997] संलग्नक 4(iv) के अनुसार सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकतम रू0 30,000 के अधीन मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान ऐसे अभिदाता के खाते में विद्यमान अतिशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि पाने का हक होता है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवक की पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण होना आवश्यक है।

नोटः– शासनादेश संख्याः सा–4–642/10–97–502/85, दिनांक 29 जुलाई, 1997 में वेतनमान का उल्लेख दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पर आधारित है। परन्तु दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू हो जाने पर यह प्रभावी नहीं रह गया है।

सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा धनराशि नामित/पात्र पारिवारिक सदस्य को देय होती है। इस सम्बन्ध में नियम

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम–22 में दिये हुए है जो यहाँ संलग्नक–5(v) के रूप में संलग्न है।

.....

संलग्नक–4 (i)

भाग–दो

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र (नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)।

सेवा में,

.....

.....

(लेखा अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में संचित धनराशि के नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान के लिए प्रबन्ध किया जाय। इस संबंध में अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है:–

1. सरकारी सेवक का नाम .....
2. सरकारी सेवक द्वारा धृत पद .....
3. मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें) .....
4. भविष्य निधि लेखा संख्या .....
5. अभिदाता के नियम 2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा .....

क्र.सं.	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या उसके मृत पुत्र की पुत्री की स्थिति में, यह उल्लिखित करें कि क्या वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी/विवाहिता थी या विधवा थी
1				
2				
3				
4				
5				

6. अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकिती का ब्यौरा, यदि नामांकन हो–

क्र.सं.	नामांकिती का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकिती का अंश	दावे का कारण यदि नामांकिती अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो।
1				
2				
3				
4				

7– ऐसे अवयस्क बालक को, जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में दावा, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध–पत्र या अभिभावक प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

8– यदि अभिदाता का परिवार न हो और कोई नामांकन न हो तो ऐसे व्यक्तियों का नाम, जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय हो, प्रोबेट पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाणक आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम	अभिदाता के साथ संबंध	पता
1			
2			
3			

9. दावेदार/दावेदारों का घर्म .....

10. भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से वाँछित है। इस सम्बन्ध में किसी सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है।

(एक) अभिज्ञान के वैयक्तिक चिन्ह,

(दो) बायें/दायें हाथ के अँगूठा और अँगुली की निशानी (अशिक्षित दावेदारों की स्थिति में)

(तीन) नमूने के दो हस्ताक्षर (शिक्षित दावेदारों की स्थिति में)।

स्थान _____

दिनांक _____

भवदीय,
दावेदार/दावेदारों का हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

• • • • •

संलग्नक-4 (ii)

भाग-तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष 90 प्रतिशत का अन्तिम भुगतान करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र (नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामाकन न हो, अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किया जायेगा)।

सेवा में,

_____

_____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____ के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये है:-

(1) सरकारी सेवक का नाम .....

(2) सरकारी सेवक द्वारा धृत पद .....

(3) मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न कीजिए) .....

(4) भविष्य निधि लेखा संख्या .....

(5) अभिदाता के नियम–2 में यथा परिभाषित, परिवार के सदस्यों का ब्यौरा –

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लिखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी।
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

(6) अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्योरा, यदि नामांकन हो–

क्रम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकिती का अंश	दावा का कारण, यदि नामांकिती अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो।
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

(7) किसी अवयस्क को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में, दावे का समर्थन, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध–पत्र या संरक्षण प्रमाण–पत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

8– यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और कोई नामांकन न हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (जिसे प्रोवेट–पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा।)

क्र.सं.	नाम	अभिदाता के साथ सम्बन्ध	पता
1			
2			
3			
4			

9. दावेदार/दावेदारों का धर्म .....

10. भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/_____ कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:–

(एक) अभिज्ञान के वैयक्तिक चिन्ह,

(दो) बायाँ/दायाँ हाथ का अँगूठा और अँगुली निशानी (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

(तीन) नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

11. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूँगा/करेंगे।

भवदीय,

(दावेदार/दावेदारों) का हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता।

.....

संलग्नक-4 (iii)

भाग- चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र।

(नामांकितियों द्वारा या जहाँ नामांकन न हो, वहाँ अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)।

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती ..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..... में अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन–पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अभिलेख के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी ..... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान .....
दिनांक .....

भवदीय,

(दावेदार/दावेदारों) का हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता।

.....

संलग्नक-4 (iv)

शासनादेश संख्याः सा-4-642/10-97-502/85
दिनांकः 29 जुलाई, 1997

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997

	स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जमा से सम्बद्ध बीमा योजना	23- सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगाः-	जमा से सम्बद्ध बीमा योजना 23- सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगाः-
(क)	मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ है-	(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो-

(एक) (समूह 'क' के अभिदाता अर्थात् ऐसा) राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो (जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,720 रूपये से अधिक हो) के मामले में 4,000 रूपया।

(दो) समूह 'ख' के अभिदाता (अर्थात् ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया जो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,720 रूपये से अधिक न हो) के मामले में 2,500 रूपया

(तीन) समूह 'ग' के अभिदाता (अर्थात ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 354 रूपया या इससे अधिक हो) के मामले में 1000 रूपया।

(चार) (समूह 'घ' के अभिदाता) अर्थात समस्त अन्य राजपत्रित कर्मचारी के मामले में 500 रूपया।

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 10,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।

(एक) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रूपये या अधिक हो, के मामले में 12,000 रूपया।

(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया जो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रूपये या अधिक किन्तु 4,000 से कम हो के मामले में 7,500 रूपया।

(तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रूपया या इससे अधिक किन्तु 2,900 रूपया से कम हो के मामले में 4,500 रूपया।

(चार) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रूपये से कम हो, के मामले में 3,000 रूपये,

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पॉच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी–1 औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जॉच करने के प्रयोजन के लिए भी–

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम 11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी होगा, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।

टिप्पणी–2– इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रूपया में किया जायगा। धनराशि को निकटतम पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रूपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायंगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रूपये के रूप में गिना जायेगा।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम स कम पॉच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी–1 औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जॉच करने के प्रयोजन के लिए भी–

(क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम 11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी होगा, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।

टिप्पणी–2– इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रूपया में किया जायगा। धनराशि को निकटतम पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रूपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रूपये के रूप में गिना जायेगा।

टिप्पणी–3– इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा–3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी–4– जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु, यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पॉच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके सम्बन्ध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी–। में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

टिप्पणी–3– इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा–3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी–4– जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु, यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पॉच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी–। में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

टिप्पणी–5– समूह 'घ' के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जॉच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम 24 के उपनियम(5) के खण्ड(ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

टिप्पणी–5– समूह 'घ' के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जॉच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम 24 के उपनियम(5) के खण्ड(ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

....

संलग्नक-4 (v)

अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया:-

22. किसी अभिदाता की मृत्यु उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि उसे देय होने के पूर्व या यदि धनराशि देय हो गयी हो तो उसका भुगतान होने के पूर्व, होने पर अभिदाता को जमाखाते की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:-

(एक) जब अभिदाता अपने पीछे परिवार छोड़ता है और-

(क) यदि नियम 5 के या एतद्पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान है तो निधि में उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि या उस का भाग जिसके संबंध में नामांकन हो, उसके नामांकिती या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जायेगी।

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई ऐसा नामांकन न हो या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमाखाता में विद्यमान धनराशि के केवल किसी भाग के संबंध में हो, तो यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग जिसके संबंध में नामांकन न हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में तात्पर्यित किसी नामांकन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर भाग में देय हो जायेगी। परन्तु कोई अंश-

1) पुत्रों को जो वयस्क हो गये हों,
2) मृत पुत्र के पुत्रों को जो वयस्क हो गये हों,
3) विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हो,
4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हों,

देय नहीं होगा यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में इन विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार का कोई सदस्य हो,

परन्तु यह और कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवायें और संतान या संताने अपने बीच बराबर-बराबर भाग में केवल उस अंश को प्राप्त करेंगे, जिसे वह पुत्र प्राप्त करता है यदि वह अभिदाता के बाद तक जीवित रहता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से छूट दी गयी होती।

टिप्पणी–1– अभिदाता के परिवार के सदस्य को इस नियम के अधीन देय कोई धनराशि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित होती है।

टिप्पणी–2– जहाँ कोई नामांकिती भविष्य–निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अभिदाता का आश्रित हो, वहाँ धनराशि अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नामांकिती में निहित होती है।

(दो) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और यदि नियम 5 के या एतद्पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामांकन है तो निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके सम्बन्ध में नामांकन हो, उसके नामांकिती या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय होगा।

(तीन) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और नियम–5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि के केवल एक भाग से संबंधित हो तो भविष्य–निधि अधिनियम, 1925 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उप खण्ड (दो) के सुसंगत उपबन्ध ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके भाग पर जिसके सम्बन्ध में नामांकन न हो, प्रयोज्य होंगे।

.....

5. "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत जमा धनराशि

सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना दिनांक 1 मार्च, 1976 से लागू की गयी। पुनः दिनांक 1 मार्च 1980 से इस योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाने लगा है।

सेवारत मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशि देय होती है:-

1. "सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के बीमा निधि से बीमा आच्छादन की धनराशि-

सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को "सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के बीमा निधि से बीमा आच्छादन की धनराशि एकमुश्त देय होती है। शासनादेश संख्याःएस.ई.-2474/दस-2003-बीमा-19/2002, दिनांक 31 जुलाई, 2003 के अनुसार अद्यतन बीमा आच्छादन की दरें निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	वेतनमान	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक	रू0 1,20,000
2.	वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से रू0 13500 तक	रू0 60,000
3.	वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	रू0 30,000

2. "सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के बचत निधि में जमा धनराशि:-

सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृतक सरकारी सेवक के परिवार को "सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित देय होती है। भुगतान की कार्यवाही शासनादेश संख्याः बीमा-768/दस-99/61/ए/99, दिनांक 16 जुलाई, 1999 में निहित व्यवस्था के अनुसार की जाती है।

नोटः– शासनादेश संख्या– एस.ई.–2474/दस–2003–बीमा–19/2002, दिनांक 31 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्याः बीमा–768/दस–99–61/ए/99, दिनांक 16 जुलाई,1999 इस संकलन के भाग–1 के अध्याय–6 में संकलित है।

शासनादेश संख्या–बीमा/56/दस–86–36/1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 (संलग्नक 5(i)) के अनुसार इस योजना के उद्देश्य के लिए "परिवार" में निम्नलिखित सदस्य माने जाते हैं:–

1. पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो),
2. पुत्रगण,
3. अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ, (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियाँ सहित),
4. भाई (18 वर्ष की आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहिन (सौतेले भाई व बहिनों सहित),
5. पिता तथा माता,
6. विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियाँ सहित), तथा
7. पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियाँ।

सरकारी सेवक की मृत्यु पर मृत सेवक के परिवार के नामित सदस्य को "सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" की धनराशि का भुगतान किया जाता है। किन्तु यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व मृत्यु हो गयी हो, तो इस योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिए।

1. अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो।
2. अवयस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियाँ।
3. वयस्क पुत्र।
4. माता व पिता।
5. अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहिनें।
6. विवाहित पुत्रियाँ।
7. पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियाँ।

संलग्नक-5 (i)

वित्त (बीमा) अनुभाग

शासनादेश संख्याःबीमा-56/दस-86-36/1981,
दिनॉक 10 जनवरी, 1986

प्रेषक,

श्री हर गोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषयः सामूहिक बीमा योजना-लाभार्थी का नामांकन।

सेवा में,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या सा-3-2105/दस-14-77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 तथा शासनादेश संख्या बीमा-2307/दस-85-36/81, दिनांक 4 जून, 1985 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके संतप्त परिवारों को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाईयों से बचाने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायः-

(i) इस योजना से आच्छादित समस्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से एतद्द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लाभार्थी का नामांकन प्राप्त कर लिया जाय। इस योजना के प्रयोजन हेतु यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अवयस्क व्यक्ति को नामांकित करता है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में उसे अवयस्क व्यक्ति के लिये संरक्षक नियुक्त करना होगा जिसका उल्लेख नामांकन पत्र के स्तम्भ-7 मे किया जायेगा। किसी अवयस्क लाभार्थी के पक्ष में दावा अग्रसारित करते समय दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दावे के अग्रसारण पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर अवयस्क व्यक्ति के प्राकृतिक संरक्षक के जीवित होने के तथ्य तथा नाम का उल्लेख करें।

(ii) अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त नामांकन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरांत उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चिपका दी जाय तथा दूसरी प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों की वैयक्तिक पत्रावली पर रख दी जाय, ताकि उसकी सेवारत मृत्यु होने पर देय सामूहिक बीमा की धनराशि अथवा सेवानिवृत्त होने पर इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर देय धनराशि का भुगतान मृतक के लाभार्थी को आसानी से किया जा सके। नामांकन प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस बात की सही रूप से जॉच करने के उपरान्त ही नामांकन पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करें कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा गया नामांकन पत्र शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हो और उसमें कोई कमी या त्रुटि नहीं है।

(iii) उक्त नामांकन-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही इस शासनादेश के जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण कर ली जाय। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश संख्याःसा-३-२१०५/ दस-१४-७७-नामांकन, दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ के अनुसार अपना नामांकन पत्र पहले ही भर रखा है उन्हें इस प्रस्तर के अनुसार पुनः नामांकन-पत्र भरने की आवश्यकता तब तक नहीं है, जब तक कि वे स्वयं पूर्व में भरे गये नामांकन-पत्र में कोई संशोधन न करना चाहें।

(iv) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के अनुसार नामांकन पत्र भर रखा है और उक्त शासनादेश में वर्णित परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन के प्रतिबन्ध को नहीं माना है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकनों को परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन करने की बाध्यता न को मानने के बावजूद भी वैध माना जायेगा जिनकी मृत्यु 04.06.85 या उसके उपरांत हुई है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु 04.06.85 के पूर्व हो गयी है उनके नामांकन पत्रों में भी यदि परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन नहीं किया गया है तो उन्हें भी इस प्रतिबन्ध के साथ वैध माना जायेगा कि भुगतान करने के दिन तक किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चल रहा है। यदि किसी न्यायालय में वाद चल रहा है तो ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे न्यायालय में किसी प्रकार के वाद चलने की सूचना बीमा निदेशालय को दावा भेजते समय दावे के अग्रसारण पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों पर करें। यदि वे ऐसा उल्लेख नहीं करते हैं अथवा दावा भेजने के उपरांत भी इस सम्बन्ध में कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित करते हुये कि कोई वाद नहीं

चल रहा है, दावे के निस्तारण की कार्यवाही परिवार के नामांकित व्यक्ति के पक्ष में कर दी जायेगी। बीमा निदेशालय अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने पर भी यदि किसी न्यायालय में किसी वाद के चलने की सूचना प्राप्त होती है। तो भी लाभार्थी का भुगतान रोक लिया जायेगा। यदि लाभार्थी को भुगतान करने के उपरांत कोई वाद उत्पन्न होगा तो उसका उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा।

(v) प्रतिनियुक्ति पर गये हुये अधिकारी/कर्मचारी के मामले में कार्यवाही उनके पैतृक विभाग द्वारा की जायेगी।

(vi) भविष्य में सेवायोजित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके वेतन से प्राप्त होने वाली पहली कटौती के तुरन्त बाद नामांकन प्राप्त कर लिया जाय।

(vii) राजपत्रित अधिकारियों जिनके सेवा अभिलेख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के यहाँ रखे जाते हैं, के नामांकन की एक प्रति विभागाध्यक्ष अथवा शासन के सम्बन्धित अनुभाग में जहाँ सम्बन्धित अधिकारी की वैयक्तिक पत्रावली का रख-रखाव होता हो, रखी जायेगी।

२- इस योजना के उद्देश्य के लिये "परिवार" में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे:-

(1) पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो),
(2) पुत्रगण,
(3) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ (सौतेले तथा दत्तक पुत्र, पुत्रियाँ सहित),
(4) भाई (18 वर्ष की आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहन (सौतेले भाई व बहिनों सहित),
(५) पिता तथा माता
(6) विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियाँ सहित), तथा
(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियाँ।

परिवार की परिभाषा में जो क्रम ऊपर दिया गया है उसके अनुसार नामांकन करने की कोई बाध्यता नहीं है और यह ऐच्छिक है। प्रत्येक राजकीय अधिकारी/कर्मचारी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपने परिवार के सदस्यों में से किसी को अथवा उनमें से कुछ या सबको अपनी सामूहिक बीमा योजना की धनराशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के रूप में नामांकित करें। यदि कोई सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी चाहे तो पूर्व नामांकन को रद्द करते हुये नया नामांकन कर सकता है।

2–(क) यदि प्रस्तर–2 में वर्णित परिवार में कोई सदस्य न हो तो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है।

3– सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकन उपलब्ध होने अथवा नामांकन के अभाव में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी।

(क) निम्न अपवाद को छोड़कर नामांकन होने पर नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों को ही भुगतान किया जायेगा।

अपवादः–

(1) यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के समय किसी विशेष परिस्थितियों में दो पत्नियाँ हैं तो नामांकित विधवा के साथ–साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चों को भी भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नामांकित विधवा को सामूहिक बीमा योजना की देय धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चों को भुगतान किया जायेगा। ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे बीमा निदेशालय को ऐसे दावे अग्रसारित करते समय अग्रसारण–पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों में इस बात का उल्लेख करें कि नामांकित विधवा के साथ–साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे कर्मचारी की मृत्यु तिथि को जीवित थे। यदि इस बात का उल्लेख दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा अग्रसारण पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर नहीं किया जाता तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित कर लिया जायेगा कि नामांकित विधवा के अतिरिक्त नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे नहीं है और इसके फलस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है तो दावा अग्रसारण अधिकारी ही इसके लिये उत्तरदायी होंगे।

(2) यदि नामांकित लाभग्राही अवयस्क है तथा नामांकन प्रपत्र के स्तम्भ–7 में प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में मृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संरक्षक नियुक्त है तो नियुक्त संरक्षक को इस प्रतिबन्ध के साथ भुगतान किया जायेगा कि भुगतान की तिथि तक उक्त अवयस्क लाभग्राही का कोई संरक्षक सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं नियुक्त किया गया है। यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्त कर दी जाती है तो भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को किया जायगा। दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा भेजते समय यदि यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि अवयस्क का न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त है अथवा दावा भेजने के उपरान्त भी यदि न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त किये जाने की कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा नामांकन पत्र के स्तम्भ–7 में नियुक्त

संरक्षक को भुगतान कर दिया जायगा। बीमा निदेशालय अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने के पश्चात यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त हो जाती है तो भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को ही किया जायगा। यदि नामांकन प्रपत्र के स्तम्भ–7 में नियुक्त संरक्षक को भुगतान कर देने के उपरान्त न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को बीमा योजना का भुगतान न करने का उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा।

(ख) प्रस्तर–2 में वर्णित परिवार के होने पर यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी परिवार के बाहर के सदस्य को नामांकित कर देता है तो उसका नामांकन अवैध माना जायेगा और उसके भुगतान के लिए प्रस्तर–3 (ग) में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।

(ग) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व ही मृत्यु हो गयी हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिए :–

(1) अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो ।
(2) अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियाँ ।
(3) वयस्क पुत्र ।
(4) माता व पिता ।
(5) अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहनें ।
(6) विवाहित पुत्रियाँ ।
(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियाँ ।

स्पष्टीकरण

(1) न्यायालय के आदेशों को छोड़कर इस शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा ।

(2) सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु तिथि को दावा उत्पन्न होने की तिथि माना जायेगा दावा उत्पन्न होने की तिथि को लाभार्थी का निर्धारण किया जायेगा तथा दावा उत्पन्न होने की तिथि को यह निर्धारित किया जायेगा कि भुगतान पाने वाला व्यक्ति नियमों के अनुसार भुगतान पाने का अधिकारी है अथवा नहीं।

(3) अवयस्क लाभार्थी की वयस्कता प्राप्त करने की आयु के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि इण्डियन मेजारिटी एक्ट, 1875 की धारा–5 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व न्यायालय द्वारा उसका कोई संरक्षक (सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्य हेतु संरक्षक

को छोड़कर) नियुक्त अथवा घोषित किया जाता है तथा ऐसे अवयस्क जिसकी सम्पत्ति "कोर्ट ऑफ वार्ड्स" की अधीक्षणता में है, को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क माना जायेगा। अन्य व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क होंगे। उपरोक्त स्थितियों में उक्त वयस्कता की आयु से कम आयु वाले व्यक्ति को अवयस्क ही माना जायेगा ।

(4) इस शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित लाभार्थी को भुगतान प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर भुगतान उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

(5) यदि लाभग्राही अवयस्क है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में "गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट" के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा नियुक्त अवयस्क के संरक्षक को भुगतान किया जायेगा।

(घ) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु नामांकन प्रपत्र भरे बिना ही हो जाये और उसके परिवार में कोई सदस्य न हो तो ऐसी स्थिति में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

4– पुराने मामलों में जहाँ कर्मचारी/अधिकारी की सेवारत अवस्था में अथवा सेवानिवृत्ति के बाद सामूहिक बीमा योजना के अधीन देय धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो गयी हो तथा नामांकन के अभाव में मामले का निपटारा न हो सका हो वहाँ पैरा–3 (ग) तथा पैरा–3 (घ) जैसी भी स्थिति हो के अनुसार मामले का निस्तारण किया जायेगा।

5– इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यदि किसी मृत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के लाभार्थी का निर्धारण सम्भव नहीं हो पायेगा तो उसके सम्बन्ध में लाभार्थी का निर्धारण करने हेतु शासन को निर्णय लेने का अधिकार होगा जो अन्तिम होगा।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार (नामांकन प्रपत्र का प्रारूप)।

भवदीय,
हर गोविन्द डबराल
विशेष सचिव।

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का नामांकन-पत्र

मैं _____ एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो शासनादेश संख्या बीमा 56/दस-85-3-1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 में दी गयी सूची के अनुसार मेरी सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर सामूहिक बीमा योजना के अधीन देय धनराशि अथवा सेवा निवृत्त के बाद उक्त योजना के अधीन मुझे प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने की दशा में उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूँ।

नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों का/के नाम व पूरा पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध	नामित व्यक्तियों की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश	आकस्मिकतायें जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा	उन व्यक्ति/ व्यक्तियो का नाम, आयु, देय अंश तथा पता/पते, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।	यदि कालम (1) व कालम (6) में नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों में से कोई अवयस्क हो तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में नियुक्त संरक्षक का नाम, आयु, पता व अवयस्क से सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7

नोटः यदि कालम (1) व (6) में नामित किये गये व्यक्तियों में कोई अवयस्क हो तो उनकी आयु के साथ-साथ उनकी जन्म तिथि अंकित की जाय।

दिनांकः स्थानः

साक्षी (1) हस्ताक्षर नाम पता

(2)

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर व सील
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
दिनाँक

सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के
हस्ताक्षर _____
पद _____
विभाग _____

6- स्थायी निवास स्थान तक यात्रा भत्ता

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-81-ए [संलग्नक-6(i)] के अनुसार सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर, उसके परिवार के सदस्यों को उनके अन्तिम मुख्यालय के स्थान से सामान्य निवास (स्थायी) स्थान तक रेल/सड़क मार्ग से यात्रा एवं निजी सामान के परिवहन पर किया गया व्यय इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि यात्रा निकटस्थ मार्ग से मृत्यु के 6 माह के भीतर कर ली जाय।

परिवार की परिभाषा और अद्यतन यात्रा आदि की दरों विषयक शासनादेश संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 99 इस संकलन के भाग-1 के अध्याय-7 में सम्मिलित है।

शासनादेश संख्याः ए-1-1438/दस-10(60)-62, दिनॉक 06 फरवरी, 1960 के अनुसार राज्य कर्मचारियों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवारों को यात्रा व्यय के लिए अग्रिम भुगतान की सुविधा अनुमन्य है, जो संलग्नक-6 (ii) के रूप में संलग्न है।

.....

संलग्नक-6 (i)

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3

सेवारत मृत्यु के उपरान्त की गयी यात्रायें

81-ए (1) राज्य की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के तथा राज्य के सरकारी सेवकों के परिवारों के जैसे नियम 6 में परिभाषित है, सदस्यों को, सरकारी सेवक की सेवारत मृत्यु होने पर, उसके अंतिम मुख्यालय के स्थान से सामान्य निवास स्थान तक, जो उसकी सेवा पुस्तिका में उल्लिखित हो, माना जायेगा अथवा उस स्थान तक जिसे उसके सेवारत, रहते हुए स्थायी घोषित किया गया हो, निम्न यात्रा एवं निजी सामान के परिवहन पर किया गया, व्यय इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा, कि यात्रा निकटस्थ मार्ग से मृत्यु के 6 माह के भीतर कर ली गयी हो।

(ए) रेल एवं/अथवा स्टीमर से यात्रा करने हेतुः परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उस श्रेणी से यात्रा करने हेतु जिसके लिए मृतक सरकारी सेवक अधिकृत था वास्तविक भाड़ा (आनुषांगिक व्यय सहित) तथा स्थानान्तरण पर की गयी यात्रा के सदृश निजी सामान के ले जाने का वास्तविक भाड़ा।

(बी) सड़क मार्ग से यात्रा करने हेतु:–

(1) जब बस से यात्रा की जाय–नियम 27 (बी) के उपखण्ड V के परन्तुक (1) के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों में से, जिनके लिये दावा किया जाय की संख्या एवं उनसे सम्बन्ध का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए एक तथा प्रत्येक बच्चे के लिए आधा उस श्रेणी का भाड़ा जिसके लिए मृतक सरकारी सेवक अधिकृत था तथा जैसा परिवहन कम्पनी/निगम द्वारा वास्तविक रूप में वसूल किया गया हो।

(2) जब एक श्रेणी I अथवा II के मृतक सरकारी सेवक का परिवार मोटर कार अथवा अन्य वाहन में यात्रा करे जो मृतक सरकारी सेवक का निजी हो अथवा उधार पर लिया गया हो अथवा भाड़े का हो और जब निजी अथवा उधार पर लिये गये वाहन का चालन व्यय परिवार द्वारा वहन किया जाय तो।

(1) यदि दोनों स्थान रेल मार्ग से जुड़े हों, ऐसा व्यय जो नियम 42 (2) (I) (iv) में अनुमन्य है।

(2) जब दोनों स्थान केवल सड़क मार्ग से जुड़े हों– यदि परिवार के दो सदस्य यात्रा करें तो नियम 42 (2)(I)(iv)(3) में अनुमन्य दर पर एक मील भत्ता यदि परिवार के दो से अधिक सदस्य यात्रा करें तो एक प्रमाण पत्र जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनसे संबंध का उल्लेख हो, जिनके लिये दावा किया गया है, प्रस्तुत करने पर उसी दर पर दो मील भत्ते।

अपवाद–तथापि, जहाँ श्रेणी I अथवा II के मृतक सरकारी सेवक का परिवार भाड़े पर चलने वाली मोटर कार अथवा किसी अन्य वाहन से यात्रा करें और परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर सीटें किराये पर लें तो वहाँ वह भाड़ा अनुमन्य होगा जिसका वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त निजी सामान के परिवहन हेतु उस मानक के अनुसार जो स्थानान्तरण पर की गयी यात्रा के लिए निर्धारित है वास्तविक व्यय अनुमन्य होगा।

(2) यदि सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवक के अंतिम मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हो या वहाँ रहने के बावजूद निवास के सामान्य स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान को चला जाय तो ऐसे सदस्य को उस स्थान से जहाँ वह मृत्यु के समय था उस स्थान तक जहाँ वह वास्तविक रूप में चला गया है, उपखण्ड (1) में प्राविधिक यात्रा व्यय अनुमन्य होगा बशर्ते कि क्लेम किया गया कुल व्यय उस व्यय से अधिक नहीं होगा जो उसे सरकारी सेवक के मुख्यालय से उसके निवास के सामान्य स्थान तक जाने पर अनुमन्य होता।

टिप्पणी– यदि परिवार किसी अन्य स्थान पर बसना चाहता है तो वास्तविक व्यय अनुमन्य होगा जो उससे अधिक नहीं होगा जो उसे निवास के सामान्य स्थान तक जाने पर अनुमन्य होता।

(3) (ए) किसी ऐसे सरकारी सेवक के परिवार तथा निजी सामान के सरकारी व्यय पर परिवहन हेतु जिसकी सेवारत मृत्यु हो गयी हो, यात्रा भत्ते की धनराशि का भुगतान निम्न वरीयता क्रम में किया जायेगा:–

(i) यदि सरकारी सेवक पुरूष हो तो जीवित विधवा को (जो अवयस्क न हो) तथा यदि एक से अधिक विधवायें जीवित हों तो उनमें से वरिष्ठतम को या यदि सरकारी सेवक महिला हो तो उसके पति को,

(ii) मृतक सरकारी सेवक की वरिष्ठतम जीवित (निर्भर) सन्तान को बशर्ते कि उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो,

(iii) ऐसे किसी व्यक्ति को जो कार्यालयाध्यक्ष के दृष्टि से अवयस्क संतानों की ओर से भुगतान प्राप्त करने योग्य हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह एक ऐसा बन्ध पत्र, जिस पर दो प्रतिभूओं के हस्ताक्षर हों तथा जो बाद में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा करने पर सरकार की क्षतिपूर्ति करने हेतु तत्पर हों, निष्पादित करने का इच्छुक हो बशर्ते कि ऐसा बन्ध पत्र उस दशा में भरना आवश्यक न होगा जब भुगतान किसी विधिक संरक्षक को करना हो (अधिक विवरण हेतु देखें परिशिष्ट xi).

(बी) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जिसके अधीन मृतक सरकारी सेवक अन्तिम बार कार्यरत था अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा जिसे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 47 (जी) के नीचे टिप्पणी (1) के अन्तर्गत इस हेतु प्राधिकृत किया गया हो, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रपत्र–12, यात्रा भत्ता बिल (अराजपत्रित अधिष्ठान) पर आहरित किया जा सकता है। उस पर कार्यालयाध्यक्ष के लिए प्राविधानित प्रमाणपत्रों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके

उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिलों में सरकारी सेवकों से ऐसी मदों के लिए माँगे जाने वाले प्रमाणपत्रों जैसे एक्सप्रेस/मेल रेलों के उपयोग के संबंध में, अथवा परिवार के सदस्यों से संबंध तथा निर्भरता के संबंध में अथवा निजी सामान के परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय के संबंध में आदि को भी दावे के प्राप्तकर्ता से तद्नुसार प्राप्त कर लेना चाहिए।

(4) उपरोक्त सुविधा निम्न को अनुमन्य नहीं होगी।

(ए) ठेके पर सेवायोजित सरकारी सेवक तथा ऐसे व्यक्ति जो सरकार की पूर्णकालिक सेवा में न हो।

(बी) ऐसे सरकारी सेवक जिनका भुगतान आकस्मिक व्यय की मद से किया जाता हो।

(सी) सेवानिवृत सरकारी सेवक जिन्हें पुनर्नियोजित किया गया हो।

(डी) अस्थायी सरकारी सेवक जिनकी तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण न हुई हो।

.....

संलग्नक -6 (ii)

उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त (लेखा) अनुभाग–1

संख्या–ए–1–1438/दस–10(60)–62, लखनऊ, 6 फरवरी, 1980

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः राज्य कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवारों को यात्रा व्यय के लिए अग्रिम भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को वित्त (सामान्य) विभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्याःजी02–2387/दस–619–1956, दिनांक 1 अप्रैल, 1960 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप के अन्तर्गत आने वाले मामलों में यात्रा व्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम धनराशि स्वीकार की जा सकती है:–

1. अग्रिम की स्वीकृति वही अधिकारी दे सकेगा जो कि संबंधित राज्य कर्मचारी (यदि वह जीवित होता तो) के यात्रा भत्ता के बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए समर्थ हो।

2. अग्रिम धनराशि कार्यालय–ज्ञाप संख्याःजी–2–2387/दस–619–1956, दिनांक 01 अप्रैल, 1960 के अन्तर्गत स्वीकार्य सम्भावित यात्रा व्यय के 3/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. अग्रिम, मृत राज्य कर्मचारी के परिवार की ओर से केवल एक ही सदस्य को देय होगा। वह विधवा/विधुर अथवा परिवार ('परिवार' शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत) का अन्य कोई वयस्क और स्वस्थचित्त सदस्य हो सकता है। इस सम्बन्ध में अग्रिम किसको दिया जाना चाहिए, सम्मोदक अधिकारी (sanctioning authority) का निर्णय अन्तिम होगा।

4. समर्थ अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात अग्रिम को कार्यालयाध्यक्ष आहरण करेंगे और उसका भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जायेगा जो इस संबंध में प्राधिकृत किया गया है।

5. केवल एक ही बार अग्रिम देय होगा चाहे मृत राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्य विभिन्न जत्थों में एक ही स्टेशन से या अलग-अलग स्टेशनों से यात्रा करें।

6. अग्रिम का लेखा यात्रा पूर्ण होने के बाद एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि परिवार के सदस्य अलग-अलग जत्थों में यात्रा करें तो आखिरी जत्थे की यात्रा पूर्ण होने के बाद यह अवधि आंकी जायेगी। परन्तु प्रत्येक दशा में छः माह की निर्धारित अवधि के अन्दर ही यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए और अग्रिम का लेखा उक्त छः माह की निश्चित अवधि की समाप्त होने के बाद एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर यात्रा पूरी न की जाये तो अग्रिम की धनराशि को तुरन्त वापस कर देना होगा।

7. अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व मृत कर्मचारी के समकक्ष या उच्च पद के स्थायी राज्य कर्मचारी की प्रतिभू संलग्न क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र में ले ली जाय। अग्रिम प्राप्तकर्ता बंध-पत्र में लिखित रूप में यह भी वचन देगा कि ऊपर पैरा (6) में लिखी शर्तो से अपने को पूरी तरह बाध्य रखेगा। यह प्राविधान यात्रा न करने पर, अधिक भुगतान हो जाने पर तथा निर्धारित अवधि के अन्दर समायोजन बिल न प्रस्तुत करने पर सम्मोदक अधिकारी (sanctioning authority) द्वारा वसूली कर सकने के लिये आवश्यक है।

8. यह अग्रिम ब्याज मुक्त होगा और वसूल किया जाने वाला होगा। अग्रिम के समायोजन के प्रति महालेखाकार अपनी आपत्ति पुस्तिका द्वारा सतर्क रहेंगे।

नृपेन्द्र मिश्र,
विशेष सचिव।

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

.....

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Finance (G-II) Department
No. G-2-2387/X – 619-1956
Lucknow, Dated, April 01, 1960
OFFICE MEMORANDUM

The undersigned is directed to say that the question of transport, at Government expense, of the families and personal effects of State Government servants who die while in service has been under consideration of Government for some time. The Governor has been pleased to order that in such cases the following concessions will be admissible to members of the families as defined in rule 6 of Financial Handbook, Volume III, of those All-India Service Officers who are serving in connection with the affairs of the State, and of State Government employees, provided the journey is completed within six months of the death of the government servant:

(1) **Travel expenses will be admissible by the shortest route from the last head-quarters of the Government servant to his normal place of residence which shall be the permanent home as entered in his service book or record or such other place as might have been declared to be the permanent home by the Government servant while in sevice. In case the family might like to settle down at any other place they would be entitled to actual expenses, not exceeding those which would have been admissible if they had moved to the normal place of residence.**

(2) **The amount of travel expenses payable to the members of the family will be:**

a) **For journey by rail and/or steamer – (i) Actual fare (without the incidentals) of the class of accommodation to which the deceased Government Servant was himself entitled for each member of family.**

ii) **Actual cost of transportation of personal effects on the scale as admissible under the rules in Financial Hand Book, Volume III for a journey on transfer.**

(b) For journeys by road – (i) Actual bus, lorry or car fare at the ordinary rates applicable to the deceased Government servant for each members of the family.

ii) Actual cost of transportation of personal effects on the scale as admissible under the rules in Financial Handbook, Volume III for a journey on transfer.

(3) If at the time of the death of a Government servant a member of his family happens to be at a station other than the Government servant's last headquarters, or being there proceeds to a station other than the normal place of residence, such member may draw the travel expenses prescribed in clause (2) above from the place where he was at the time of the government servant's death to the place to which he actually travelled, provided that the total expenses claimed shall not exceed the total cost that would have been admissible had such member travelled from the headquarters of the Government servant to the normal place of residence.

2. The concession will to be admissible to:

a) Government servants engaged on contract and those who are not in the whole time employment of Government.

b) Government servants paid out of contingencies.

c) Government servants who die while on leave preparatory to retirement.

d) Retired Government servants who are re-employed.

e) Temporary Government servants who have not rendered three years continuous service.

V. M. BHIDE,
Vitta Sachiv.

To,

All Heads of Departments and Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh.

.....

ख) इस बन्धपत्र पर स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

आभारी, जिसका नाम ऊपर दिया गया है, द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित।
1.
2.

आभारी के हस्ताक्षर

प्रतिभू (1) जिसका नाम ऊपर दिया गया है, द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित।
1.
2.

प्रतिभू (1) के हस्ताक्षर

प्रतिभू (2) जिसका नाम ऊपर दिया गया है, द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित।
1.
2.

प्रतिभू (2) के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिये तथा उनकी ओर से निम्नलिखित की उपस्थिति में स्वीकृत

.....

7- तत्काल सहायता

सेवारत मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है। शासनादेश संख्याःसा–4–1468/दस–541–60, दिनांक 31 अगस्त, 1979 संलग्नक–7(i) एवं सपठित शासनादेश संख्याःसा–4–1585/दस–87, दिनांक 3 नवम्बर, 1987 संलग्नक–7(ii) के अनुसार कतिपय शर्तो के अधीन मृत सरकारी सेवक के छः माह के वेतन अथवा अधिकतम रू0 3,000/– की धनराशि तत्काल सहायता के रुप में अग्रिम के रूप में अनुमन्य है।

अग्रिम का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर देय आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) को पाने का हकदार हो तथा अग्रिम धनराशि की वसूली की जाने से सहमत हो। ऐसे अग्रिम का समायोजन यथाशीघ्र किन्तु अधिकतम छः माह में मृत सरकारी सेवक के बकाया वेतन एवं भत्तों से किया जायेगा, जिसमें अवकाश वेतन/मृत ग्रेच्युटी/ सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि अथवा अन्य कोई धनराशि सम्मिलित है।

.....

संलग्नक–7 (i)

उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्याःसा–4–1468/दस–541–60, लखनऊ, 31 अगस्त, 197६

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को "तत्काल सहायता" की योजना।

उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के 16 फरवरी, 1963 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या क्रमशःजी–2–1534/दस–541–60 तथा जी–2–544/दस–541–60 का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता देने हेतु तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं:–

2-(i) <u>पात्रता</u>– ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो नैमित्तिक अथवा दैनिक मजदूरी (कैजुअल अथवा डेली–वेजेज) के कर्मचारी नहीं हैं, और जो किसी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित पद पर स्थायी अथवा अस्थायी रूप से तैनात हैं तथा चाहे वे ड्यूटी पर हों या सवेतन अथवा वेतन रहित अवकाश पर हों, की मृत्यु यदि सेवाकाल में हो जाती है तो उनका परिवार इस कार्यालय–ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार अग्रिम के रूप में तत्काल सहायता पाने का पात्र होगा।

(ii) <u>सहायता की धनराशि</u>– सहायता अग्रिम के रूप में दी जायेगी जो मृत सरकारी कर्मचारी के तीन माह के वेतन (वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन सहित) अथवा 1,000 (एक हजार रूपये) में जो भी कम हो उस धनराशि तक सीमित होगी तथा इसमें प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार स्वीकृत धनराशि परिवार को देय निम्नलिखित खण्ड में बताये गये अनुमानित भुगतान से अधिक नहीं होगी।

(iii) <u>अग्रिम की स्वीकृति</u>– अग्रिम की स्वीकृति की सूचना विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को दी जायेगी और उसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिये जायेंगे:–

(1) सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद. . . . .

(2) सरकारी कर्मचारी की पद स्थिति (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) . . . . . .

(3) अन्तिम प्राप्त परिलब्धियॉं:– रू0

(क) वेतन____________

(ख) विशेष वेतन____________

(ग) वैयक्तिक वेतन____________

(घ) महंगाई भत्ता____________

(ड.) अन्तरिम राहत____________

कुल . . . .

(4) स्वीकृत अग्रिम की धनराशि रू0 ________

(5) जिन लाभग्राही व्यक्ति/व्यक्तियों को अग्रिम का भुगतान किया जाना है उनके नाम, पते तथा मृत कर्मचारी से सम्बन्ध (अग्रिम के समायोजन की विधियॉं भी स्वीकृति के आदेश मे दी जायेंगी)।

(iv) <u>लेखा शीर्षक</u>– इस कार्यालय–ज्ञाप के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिम को लेखा शीर्षक – 'ट' निक्षेप और अग्रिम (ख) बिना ब्याज वाले अग्रिम "850–सिविल अग्रिम–(2) अन्य अग्रिम" के नामे डाला जायेगा।

(v) अग्रिम का समायोजन– अग्रिम का समायोजन मृत सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों की बकाया में से किया जायेगा जिसमें अवकाश का वेतन मृत्यु एवं निवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)/अंशदायी भविष्य निधि अथवा सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि अथवा मृत सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके परिवार की देय अन्य कोई धनराशि सम्मिलित रहेगी। अग्रिम का समायोजन यथासम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए और इस समायोजन में अग्रिम की स्वीकृति की तिथि से 6 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

(vi) लाभग्राही व्यक्ति–

(क) यदि मृत सरकारी कर्मचारी पर उ.प्र. लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961/उ0 प्र0 रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 की व्यवस्था लागू होती थी अथवा वह अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता था तो पेशगी भुगतान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) अथवा अंशदायी भविष्य निधि में जमा धनराशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित से भिन्न मामले में अग्रिम का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर देय मृत्यु आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) को पाने का हकदार हो तथा अग्रिम धनराशि की वसूली की जाने से सहमत हो।

(vii) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे इस प्रयोजन के लिए अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) अथवा उनके पास उपलब्ध अन्य साधनों का उपयोग कर सकें जिससे कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता का भुगतान कर सकें। यदि अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) अथवा अन्य साधन की धनराशि भुगतान के लिए पर्याप्त न हो तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को चाहिए कि वे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 के पैरा–251 की व्यवस्था के अनुसार फार्म 6 बी कोषागार से धनराशि निकालने की व्यवस्था कर लें। जैसे ही अग्रिम का भुगतान कर दिया जाता है, विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, जहाँ आवश्यक हो, तत्काल महालेखाकार को सूचित करेंगे और इस सम्बन्ध में भी सूचना देंगे कि उक्त अग्रिम का समायोजन मृत सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में देय धनराशियों के प्रति किस प्रकार किया जायेगा। अग्रिम धनराशि का भुगतान का उल्लेख सी0एस0आर0 फार्म 25 की मद संख्या 18 तथा सी.एस.आर. के फार्म 25–ए की मद संख्या–3 (एफ) में किया जाना चाहिए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रिम धनराशि के भुगतान का उल्लेख सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में भी किया

जाना चाहिए। श्रेणी–। के राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को अग्रिम धनराशि की स्वीकृति के आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कार्याधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए, जिससे कोषाधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र में अग्रिम की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख कर सकें।

3– इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना की मूल भावना मृत कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत पहुँचाना है। कार्यालयाध्यक्ष को उनके कर्मचारी की मृत्यु की सूचना मिलते ही वे अग्रिम सहायता की धनराशि के भुगतान की व्यवस्था तुरन्त कर दें। शोकग्रस्त परिवार से औपचारिक आवेदन पत्र के लिए प्रतीक्षा न करें केवल उपरोक्त पैरा–2(vi) में वर्णित लाभग्राही व्यक्ति से औपचारिक रूप से यह लिखित करार प्राप्त कर लें कि अग्रिम की धनराशि मृत कर्मचारी को देय वेतन और भत्तों की बकाया में से और अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) में प्राप्त होने वाली धनराशि, भविष्य निधि की धनराशि अथवा जो अन्य अदायगी परिवार को देय होगी उसमें से वसूल किये जाने में वह सहमत है।

4– तत्काल सहायता की अदायगी के समय सरकार की बकाया रकमों को हिसाब में लिया जाना चाहिए या नहीं:–

शासन का विचार यह है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तुरन्त बाद उसके परिवार को सहायता मिल जाय। जिन मामलों में प्रशासनिक अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा देय सरकारी धनराशियों का निर्धारण करने की स्थिति में हों वहाँ ऐसा उसी दिन कर दिया जाय और यदि यह पाया जाय कि शासन को देय धनराशि परिवार को दी जाने वाली सहायता की धनराशि की अपेक्षा अधिक है तो वे कोई तुरन्त राहत न दें। अन्य मामलों में जहाँ कि सरकार को देय धनराशियों का उसी दिन निर्धारण करना सम्भव न हो वहाँ मृत्यु की सूचना मिलने पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा तुरन्त ही तत्काल राहत दे दी जाय और बाद में यदि परिवार को दी जाने वाली अदायगी की अपेक्षा सरकार को देय धनराशियाँ अधिक पाई जायें तो शेष धनराशि को बट्टे खाते डाल दिया जाय।

5– जिस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि में हो जाती है उसके मामले मे अग्रिम धनराशि की स्वीकृति उसके पैतृक विभाग द्वारा की जायेगी।

सुरेन्द्र सिंह पांगती,
विशेष सचिव।

संलग्नक-7 (ii)

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्याःसा-4-1585/दस-87, लखनऊ, 03 नवम्बर, 1987

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तत्काल सहायता की योजना-धनराशि में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवाकाल में दिवंगत होने वाले सरकारी सेवकों के परिवार को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1468/दस-541/60, दिनांक 31 अगस्त, 1979 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर-2 (ii) में तात्कालिक सहायता की धनराशि वर्ष, 1979 में एक हजार रूपये निर्धारित की गयी थी। उसके बाद से मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए राज्यपाल महोदय ने उक्त राजाज्ञा, दिनांक 31 अगस्त, 1979 के प्रस्तर-2 (ii) में निर्धारित एक हजार रूपये की सहायता की धनराशि को मृत सरकारी सेवक के 6 माह के वेतन अथवा अधिकतम 3,000 रूपये तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।

2- यह व्यवस्था इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से लागू होगी और 31 अगस्त 1979 की उक्त राजाज्ञा की शेष व्यवस्थायें एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

सोमदत्त त्यागी,
विशेष सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

.....

8. अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता

सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के परिवार के पूर्णतया आश्रित सदस्यों की आर्थिक सहायता के लिए "उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली" स्थापित की गई है। शासन के पत्र संख्याः बी–3–3065/दस–2000–4(1)/86–अनु.नि., दिनांक 30 अगस्त, 2000 के द्वारा प्रसारित "उ0प्र0 अनुकम्पा निधि नियमावली" संलग्नक–8 (i) पर संलग्न है।

अनुकम्पा निधि नियमावली से अर्थिक सहायता के लिए मृत सरकारी सेवक का कम से कम एक वर्ष की सेवा पूर्ण करना तथा आनुतोषिक हेतु प्रार्थना पत्र कर्मचारी की मृत्यु के पॉच वर्ष में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

इस नियमावली के नियम–7 एवं सपठित शासनादेश संख्याःबी–3–3790/दस–2001– 4(1)/86–अनु.नि., दिनांक 18.10.2001 (संलग्नक–8(ii)) के अनुसार देय अनुतोषिक की न्यूनतम धनराशि रू0 25,000 तथा अधिकतम धनराशि रू0 1,00,000 है। ठीक–ठीक धनराशि परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाती है। वर्तमान समय में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के दो गुने के बराबर तथा अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूल वेतन के बराबर धनराशि नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिक सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है।

अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता के लिए (शासन के पत्र संख्या–बी–3–7178 /दस–96–4(1)/86 अनु.नि., दिनांक 20.03.1997 द्वारा प्रसारित) प्रार्थना–पत्र का प्रारूप संलग्नक–8 (iii) पर संलग्न है। आश्रित परिवार द्वारा प्रार्थना–पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना पूर्ण करके सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होता है। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र के भाग–2 में अपेक्षित सूचना भरकर उसे शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किया जाना होता है। प्रशासनिक विभाग सभी सम्बन्धित अभिलेख तथा प्रार्थनापत्र के भाग–3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगें। तदुपरान्त वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव समिति के अध्यक्ष होते हैं। गृह, आवास, नगर विकास तथा राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव (चार)

सदस्य होंगे तथा वित्त विभाग का कोई उप सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा।

.....

संलग्नक-8 (i)

संख्याःबी-3-3065/दस-2000-4 (1)/86-अनु0नि0

प्रेषक,

डा. ब्रज मोहन जोशी,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 2000

विषयः सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याःबी-3-7178/दस-96-4(1)/86-अनु.नि., दिनांक 20 मार्च 1997 जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता विषयक संशोधित नियमावली तथा निर्धारित प्रार्थना-पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

अतः नियमावली की एक संशोधित प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे सम्बन्धित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या/संस्तुति सहित प्रशासकीय

विभाग के माध्यम से शासन के विचारार्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
डा. ब्रज मोहन जोशी
सचिव।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली

1. उद्देश्य – अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के उन परिवारों को सहायता करना है जो ऐसे व्यक्ति की, जिस पर वे पालन–पोषण के लिए निर्भर थे, असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं।

टिप्पणीः इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेगें जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे– पत्नी, पति, वैध संतान, सौतेली संतान, पिता और माता। संतान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। अविवाहित पुत्री तथा बेरोजगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25 वर्ष रहेगी। पत्नी को छोड़कर पति अथवा संतान के सेवायोजन की स्थिति में वे (पति/संतान) आश्रित नहीं माने जायेंगे। अतः उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष से अधिक आयु के संतान भी मृतक आश्रित नहीं माने जायेंगे।

2– निधि की वार्षिक धनराशि– निधि की वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि 80 लाख रूपये होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय–व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।

3– निधि का प्रशासन–सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए "उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति" नामक एक समिति नियुक्त की है। प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार सदस्य और होंगे जिनमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके

द्वारा नामित विशेष सचिव होंगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा।

4– निधि से आनुतोषिक हेतु पात्रता– जब तक अन्यथा कार्यवाही की न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियाँ न हो तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नहीं करेगी जिनमें:–

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) अनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात् दिया गया हो गया हो।

5– आनुतोषिक स्वीकृत की प्रक्रिया–मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अधीन मृत कर्मचारी अन्तिम समय कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना–पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रार्थना–पत्र के भाग–2 मे अपेक्षित सूचना सावधानीपूर्वक भर कर प्रार्थना–पत्र को शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी संबंधित अभिलेख तथा प्रार्थना–पत्र के भाग–3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

6– समिति की बैठक– (1)समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर किसी एक वर्ष में कई बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

(2) समिति नियम–7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से आनुतोषिक प्रदान किये जाने के संबंध में प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करेगी।

7– आनुतोषिक धनराशि– किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 20,000 रूपये तथा अधिकतम राशि 75,000 रूपये होगी। ठीक–ठीक राशि सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पूर्व के प्रकरणों में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 5 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित

होने पर 25 माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 01 जनवरी, 1996 के बाद के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूल वेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि से नियमानुसार अनुमन्य सहायता की राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8– समिति की संस्तुतियों पर अग्रिम कार्यवाही– सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक लाभार्थी के नाम अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट वित्त विभाग द्वारा बनवाकर सीधे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष बैंक ड्राफ्ट को संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराके उसकी पावती रसीद शीघ्रातिशीघ्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा देंगे और इसकी सूचना विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग को भी भेजेंगे। बैंक ड्राफ्ट भेजने की तिथि से एक माह के अन्दर यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित लाभार्थी से पावती रसीद प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो यह उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लाभार्थी को धन उपलब्ध कराकर पावती रसीद को वित्त विभाग को समय से न उपलब्ध करा पाने के कारणों की जानकारी प्राप्त करके विलम्ब के लिये दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कार्यालयाध्यक्ष से वांछित पावती रसीद यथाशीघ्र प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें।

9– आगणन की कार्यवाही– अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक द्वारा तथा शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10– साधारण शर्तें–निधि से स्वीकृत किये जाने वाली अनुतोषिक की विनियात्मक शर्तें निम्नलिखित हैं:–

(1) अन्य बातों के रहते हुए ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन पाते रहे हों।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्तव्य पालन करते हुए होती है और जिन्हें अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान दूसरे विभागीय नियमों/आदेशों में है, के मामलों में इस निधि से साधारणतया सहायता नहीं दी जायेगी।

(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामले तक सीमित रहते हैं।

(4) ऐसी मृत्यु जो कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावन रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की मॉग बलवती हो जाती है।

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए जो अनेक वर्षों तक सेवा कर चुके है किन्तु अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले पर जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, निधि से सहायता देने के लिए विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के भीतर मृत्यु हो जाये और वह अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो परन्तु अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे। उदाहरणार्थ ऐसी परिस्थितियों में जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और वह उसके बाद ही मर गया हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो।

(7) इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायं जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाय।

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय।

(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा।

• • • • •

संलग्नक-8 (ii)

संख्याःबी-3-3790/दस-2001-4(1)/86-अनु0नि0

प्रेषक,

डा.बी.एम. जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 18 अक्टूबर, 2001

विषयः सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः बी-3-3065/दस-2000-4(1)/86-अनु.नि., दिनांक 30 अगस्त, 2000 का कृपया संदर्भ लें जिसके द्वारा नियमावली की संशोधित प्रति प्रेषित की गई थी।

2. उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-7 की पंक्ति "किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 20,000/- रूपये तथा अधिकतम राशि 75,000/- रूपयें होगी" के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जायः- "किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रूपये 25,000/- तथा अधिकतम राशि 1,00,000/- रूपये होगी।"

3. शासनादेश दिनांक 30.08.2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,
डा. बी. एम. जोशी,
सचिव।

.....

संलग्नक-8 (iii)

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारूप

भाग–1

आवेदक द्वारा भरा जायेगा

1. मृत राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद नाम :
2. कार्यालय का पता जहाँ मृत्यु के समय वह कार्यरत था :
3. मृत्यु का कारण :
4. मृत्यु की तारीख :

आवेदक के सम्बन्ध के विवरण

5. आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से सम्बन्ध :
6. निवास स्थान का पूरा पता :
   (क) स्थायी :
   (ख) पत्र–व्यवहार का पता :
7. आवेदक के पहचान के चिन्ह :
8. आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा परिवार की आर्थिक स्थिति :
9. मृतक द्वारा छोड़ी गयी चल/अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय :
10. मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/स्थिति :
11. उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि :
12. भुगतान का स्थान :
13. मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरण :

क्रम.सं.	नाम	आयु	मृत कर्मचारी से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			

14. यदि पुत्र एवं पुत्रियाँ अध्ययनरत हों तो उसके विवरण:–

क्रम.सं.	नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम जहाँ अध्ययनरत हो
1.			
2.			

दिनांक 200 ई. आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं _____ पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री स्व0 श्री/श्रीमती _____ _____ यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि जो विवरण ऊपर दिये गये हैं, मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना–पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे मेरी स्थायी अथवा अस्थायी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक _____20____ ई. आवेदक के हस्ताक्षर

भाग–2

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

1. मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम :
2. मृत्यु के समय का मूल वेतन :
3. सेवा की अवधि : वर्ष ___ माह ___दिन___
4. स्थायी अथवा अस्थायी :
5. मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि–अंशदायी (कण्ट्रीब्यूटरी) भविष्य निधि में जमा वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति :
6. मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स) स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति :
7. मृतक के परिवार को प्रस्तावित/स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति :
8. मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक की वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति :
9. मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण से प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति :
10. मृतक के परिवार को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त /प्राप्य धनराशि व भुगतान की स्थिति :
11. मृतक के परिवार को यदि किसी वैभागिक परोपकारी कोष से सहायता स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत होने की आशा हो तो उसका पूर्ण विवरण। :
12. मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान कोई राजकीय ऋण/अग्रिम लिया हो तो ब्याज सहित उसकी वसूली की स्थिति :

13. "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को भर्ती नियमावली, 1974" के अधीन यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा में लिया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण एवं उसकी मासिक परिलब्धियाँ, यदि नहीं, तो क्यों :

14. प्रस्तावित अनुदान की राशि _____

संस्तुति करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति _____

दिनांक 20__ ई.

संस्तुति करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर
और पद नाम
प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक: 20__ ई.

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पद नाम

टिप्पणी: (क) प्रार्थना–पत्र के प्रत्येक कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम–5 से 10 में अपेक्षित धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना–पत्र के अग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते भुगतान होने वाले अनुमानित धनराशि का उल्लेख कर दिया जाय।

(ख) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वाँछित सूचना के लिये अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से संलग्न कर दिया जाय।

(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जॉय।

.....

भाग-3

(प्रशासनिक विभाग की संस्तुति)

शासन का यह विभाग .....(विभागाध्यक्ष) की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री .....के परिवार को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से केवल रूपये ....की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के औचित्य से सहमत है और तदनुसार सहायता की संस्तुति करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता देने के लिए इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं है/ ..... निधि है जिसमें स्वर्गीय श्री ..... के परिवार की .....रूपये की सहायता स्वीकृत कर दी गई है/ स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

( )

प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
_____ विभाग।

.....

9- भवन निर्माण आदि के अग्रिम पर देय ब्याज से अभिमुक्ति

सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में सामान्यतया उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। अतएव शासनादेश संख्याःबी–3–4086/दस–94–20 (24)/92, दिनांक 31.10.1994 [संलग्नक–9 (i)] के अनुसार सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में लिये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को माफ कर दी जाती है, बशर्ते मूलधन की समस्त अवशेष धनराशि की वसूली सुनिश्चित कर ली गई हो।

किन्तु सेवाकाल में कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में मोटर वाहन/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज की गणना मृत्यु की तिथि तक ही की जायेगी और उसकी वसूली नियमानुसार की जायेगी।

.....

संलग्नक–9 (i)

संख्याःबी–3–4086/दस–94–20 (24)/92

प्रेषक,

श्री एस.ए.टी. रिजवी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष,
जिला जज तथा जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर, 1994

विषयः राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में माफ किया जाना।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय /मरम्मत/विस्तार अग्रिम, वाहन अग्रिम तथा व्यक्तिगत कम्प्यूटर के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जाता है जिसकी नियमानुसार ब्याज सहित वसूली उनकी सेवा–निवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित की जाती है। कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति सामान्यतया अत्यन्त दयनीय हो जाती है और उनके द्वारा उक्त अग्रिमों की अवशेष धनराशि को ब्याज सहित माफ किये जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

2– अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय /मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं बशर्ते अग्रिम के मूलधन की समस्त अवशेष धनराशि की वसूली सुनिश्चित कर ली गई हो।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर ब्याज की गणना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की मृत्यु की तिथि तक ही की जाये।

4– ऐसे प्रकरणों, जिनमें भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिमों पर देय ब्याज की वसूली हो गई हो, को उपर्युक्त निर्णय के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु रि–ओपेन नहीं किया जायेगा। लेकिन जिन प्रकरणों में ब्याज की देय धनराशि अभी वसूल नहीं हुई है, उनका निस्तारण इस निर्णय के अन्तर्गत किया जायेगा। परन्तु जिन प्रकरणों में ब्याज की आंशिक रूप से वसूली कर ली गई हो उनमें केवल वसूली हेतु अवशेष ब्याज की धनराशि ही माफ की जायेगी।

5– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण/कय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम के ऐसे प्रकरण, जो उक्त निर्णय से आच्छादित होते हों, में मूलधन की अवशेष धनराशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करके देय ब्याज की धनराशि की गणना की पुष्टि महालेखाकार से कराने के उपरान्त ब्याज माफी का अधिकार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रतिनिहित कर दिया जाये। अतः मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ब्याज माफी के आदेश अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी

द्वारा पारित किए जायेगें। पारित आदेशों की एक एक प्रति महालेखाकार तथा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। आदेश में अन्य सामान्य बातों के अलावा अग्रिम के पूर्ण विवरण यथा–स्वीकृति आदेश संख्या, स्वीकृत धनराशि, किस्तों के अवमुक्त करने की तिथि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

6– प्रत्येक वर्ष के अन्त में शासन को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराई जायेगी कि आलोच्य वर्ष में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम की ब्याज के मद में देय कुल कितनी धनराशि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत माफ की गई। यह सूचना प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 15 तारीख तक शासन के वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

7– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में मोटर वाहन/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों पर भी देय ब्याज की गणना मृत्यु की तिथि तक ही की जायेगी परन्तु मृत्यु की तिथि तक देय ब्याज की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

8– वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

एस.ए.टी. रिजवी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

.....

10- परिवार के एक सदस्य का नियोजन

"उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974" (संशोधनों के समायोजन सहित– संलग्नक–10(i) के अनुसार मृत सरकारी सेवक के परिवार के एक अर्ह सदस्य को सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो लोक सेवा आयोग की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 6/12–1973–नियुक्ति–4, दिनाँक 7 अक्टूबर, 1974 के द्वारा यह नियमावली बनायी गयी है तथा 21.12.1973 से प्रवृत्त है। इस नियमावली में अब तक 6 बार संशोधन किया गया है।

1. शासनादेश संख्याः 4/7/1979–कार्मिक–2, दिनाँक 20.2.1981 के द्वारा मई, 1973 में हुए उपद्रव में पुलिस आदि के 22 मृत कार्मिकों के परिवार के सदस्यों पर इस नियमावली के उपबंध लागू कर दिये गये हैं।
2. शासनादेश संख्याः 6/12/1973–कार्मिक–2, दिनाँक 12.08.91 के द्वारा इस नियमावली के तहत ऐसी सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत आते हैं और कालान्तर में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में रखे गये थे, के पदों पर ही नियुक्ति किये जाने के आदेश हुए थे (वर्तमान समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रभाव में नहीं है)।
3. शासनादेश संख्याः6/12/73–का–2/93, दिनाँक 16.04.1993, शासनादेश संख्याः6/12/73–का–2–1994, दिनाँक 21.04.1994 एवं शासनादेश संख्याः6/12/73–का–2–1999, दिनाँक 20.01.1999 के द्वारा इस नियमावली के नियम–5 को संशोधित किया गया है।
4. शासनादेश संख्याः6/12/73–का–2–2001, दिनाँक 12.10.2001 के द्वारा परिवार की परिभाषा में 'मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था, को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

संलग्नक-10 (i)

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. परिभाषाएं– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित, ऐसे सरकारी सेवक से है, जो–

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण– "नियमित रूप से नियुक्ति" का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) "मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय,

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित संबंधी होंगे–

(1) पत्नी या पति, (2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ

(4) [1]मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहिन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(घ) "कार्यालय का प्रधान" का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. <u>नियमावली का लागू किया जाना–</u> यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4. <u>इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव–</u> इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5. [2]<u>मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती–</u> (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हों, तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनॉक से पॉच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथा सम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

"(3) उप नियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे"।[1]

(4) जहॉ उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाऐं, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।[2]

5क[3]-नियम-5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी के ऐसे बाइस कार्मिकों के, जिनकी मृत्यु मई 1973 में हुए उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।

6. <u>सेवायोजन के लिये आवेदन-पत्र की विषय वस्तु-</u> इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र, जिस पद पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से

सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन–पत्र में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनाँक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और,

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

7. प्रकिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों – यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता– (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रकिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3)[1] "इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया

समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"

9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान– किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि –

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति– राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे।

• • • • •